सफलता के सोपान

एक अनुकरणीय अभियान (4)
जनपैरवी विशेषांक

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान
भारत जननी परिसर, रानीपुर भट्ट, पोस्ट-सीतापुर, चित्रकूट-210204 (उ.प्र.),
E-mail : abssschitrakoot@rediffmail.com
absss@sancharnet.in, दूरभाष : *05198*-224332

दलितों की जमीनों पर दबंगों का कब्जा, जिन्दों को भी मुर्दा दिखाया

प्रेरणा पुरुष : डॉ० एस.एन.सुब्बाराव जी के साथ संस्थापक जी एवं संस्थान अध्यक्ष डॉ सिंह

आन्दोलन : सत्याग्रही आयुक्त की प्रतिक्षा में

जनसुनवाई: अधिकारियों से अपनी व्यथा सुनाते ग्रामीण

प्रदर्शन : विश्व मानवाधिकार दिवस पर चिनगारी संगठन द्वारा जनजागरण रैली एवं जन सभा

जनसुनवाई : मानवाधिकारों के प्रबल प्रवर्तक, पैरोकार एवं बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी अग्निवेश जी

दुखडा : कोई नही सुनइया दइया, भइया इस रजधानी में

पैरवी एवं मीडिया: ग़रीबो के अधिकारों एवं हक़दारी हेतु पैरवी कार्यशाला में मीडिया एवं साथ में श्री गोपाल भाई

सफलता के सोपान एक अनुकरणीय अभियान -(4)

जनपैरवी विशेषाँक

संरक्षण, मार्गदर्शन
गोपाल भाई
अवधारणा एवं निर्देशन
भागवत प्रसाद
संकलन एवं सम्पादन
प्रियंका जायसवाल
सहयोग
विद्यासागर बाजपेयी, गजेन्द्र सिंह, ज्योत्सना, वासुदेव, राजाभइया, अभिषेक, दिनेश पाल, माया साकेत, संजय, संतोष कोल
शब्दांकन
कुमार अरबिन्द
वर्ष - 2005-2006

विकास, सामाजिक न्याय, कानून, समाज, पर्यावरण, योजना, अधिकार एवं कर्तव्य विषयक जागरूकता एवं साक्षरता श्रृंखला माला

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान
भारत जननी परिसर, रानीपुर भट्ट, पो०-सीतापुर
जनपद-चित्रकूट (उ०प्र०) २१०२०४
द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित
दूरभाष : ०५१९८-२२४३३२
E-mail : abssschitrakoot@rediffmail.com
absss@sancharnet.in

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठसंख्या
१	अपनी बात	३
२	जन पैरवी - कथ्य एवं क्रियाशीलता	४-१३
३	सतत संघर्ष से बदली चन्दपुरा की तस्वीर	१४-२१
४	दंबगों के कब्जे से मुक्त हुआ गांधी आश्रम	२२-२६
५	संघर्ष से पत्थर को सोने में बदला	२७-२९
६	गाँव के सात किसानों को फर्जी ऋण से मुक्ति मिली	३०-३४
७	सामंतवाद के ख़िलाफ खड़े ग़रीबों को अपनी धरती मिली	३५-३६
८	भांवरपुर गुलामी से मुक्ति की ओर	३७-३८
९	भूरी ने पाया ज़मीन पर कब्ज़ा	३९
१०	सरजूबाई के संघर्ष ने रचा इतिहास	४०-४२
११	श्रमिक संगठित हुए तो मजदूरी मिली	४३-४४
१२	चिनगारी संगठन सशक्तीकरण एवं हक़दारी की ओर	४५-४६
१३	दबंगों के चंगुल से मुक्त हुई बुधिया	४७-४८
१४	निरन्तर पहल से श्रमिकों को मिला हक़	४९-५०
१५	मजदूर की अपनी लड़ाई अपनी जीत	५१-५२
१६	सरकारी कागजो में मृत सोना ने ज़मीन हासिल की	५३
१७	क्षयरोग पर पाई विजय	५४

अपनी बात

हमारे देश में विश्व के सबसे अधिक निर्धन, सीमान्तीकृत, भुखमरी से पीड़ित, निरक्षर एवं पिछड़े लोग रहते हैं । एक ओर खद्यान्न भण्डारों में अनाज पड़ा सड़ रहा है, तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में भुखमरी और कुपोषण से ग्रस्त नागरिक है। एक ओर 'निर्धनता में कमी लाने' के लिए विशाल निधियों वाली बड़ी-बड़ी सार्वजनिक योजनाएं है, तो दूसरी ओर इतने अधिक सीमान्तीकृत लोग है, जो इनका लाभ नहीं उठा सकते । पहुँच एवं नियत्रंण से कोसों दूर है। आप जानते हैं कि अन्तिम स्थिति में जीने की जिसकी बाध्यता है, वह एक बहुत बड़ा समुदाय है। ऐसे उपेक्षित समुदाय की आवाज़ बनना एक जोखिम भरा साहस का कार्य है। राजनीति करने वाले लोग या दल ग़रीब की पक्षधरता सघन रूप से कभी नहीं कर पाये हैं। केवल स्वैच्छिक प्रयास ही आशा की किरण हैं।

नागरिक समाज संस्थाओं के समग्र विकास के साथ-साथ तृणमूल कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि, नेतृत्व विकास, आजीविका एवं हकदारी तक निर्धनों की पहुँच एवं नियंत्रण, चुप्पी संस्कृति के विरुद्ध आवाज, स्वाभिमान एवं अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में पैक्स कार्यक्रम वरदान सिद्ध हो रहा है। वंचित, शोषित, उपेक्षित, उत्पीडित़, अभावग्रस्त एवं सामाजिक न्याय से कोसो दूर बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र के वंचितों, निर्धनों, दलितों एवं आदिवासियों तथा महिलाओं के बीच अवसर प्रदान करने हेतु पैक्स कार्यक्रम के प्रति आभार ।

सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप कुछ सफलताएँ सामने हैं। आत्म प्रशंसा का यद्यपि समाज में वातावरण अपने चरम पर है। इस स्थिति से बचने का प्रयास किया गया है। सफलताएँ जो हम आपको यहाँ समर्पित कर रहे हैं, उस समर्पण के पीछे विशुद्ध भाव यह है कि समाज परिवर्तन के लिए संघर्षरत् नये साथी हमारी प्रयास, प्रक्रिया जान-समझ कर और अधिक प्रेरित हो सकें। पैक्स कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनी सभी सहभागी संस्थाओं, जुझारू साथियों एवं संघर्शशील कार्यकर्ताओं के प्रति कोटिशः आभार। अपने जीवन एवं परिवार की चिन्ता न करते हुए भी समाज परिवर्तन, सामाजिक न्याय एवं समानतायुक्त समाज की दिशा में अहर्निष लगे हुए हैं। ऐसे साहसी, समर्पित, साथियों को साधुवाद देते हुए आपको यह लघु पुस्तिका समर्पित है। मार्गदर्शन प्रार्थनीय है।

अपनी सहभागी संस्थाओं एवं साथियों यथा (१) बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान, विकासखण्ड-मड़ावरा, जनपद-ललितपुर (२) परागीलाल विद्याधाम समिति, विकासखण्ड-नरैनी, जनपद-बाँदा, (३) कृष्णार्पित सेवाश्रम, विकासखण्ड-महुवा, जनपद-बाँदा, (४) अरुणोदय संस्थान, विकासखण्ड-जैतपुर, जनपद-महोबा, (५) दामिनी समिति, विकासखण्ड-कर्वी, (शिवरामपुर, भरतकूप) जनपद-चित्रकूट (६) पाठा कोल विकास समिति, विकासखण्ड-मानिकपुर, जनपद-चित्रकूट, (७) अन्त्योदय संस्थान, विकासखण्ड-मौदहा (सिसोलर), जनपद-हमीरपुर के सक्रिय, रचनात्मक प्रयोगो, प्रयासों को यहाँ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान, चित्रकूट (उ०प्र०) ऐसे ही युवा, उदीयमान, महिला एवं दलित नेतृत्व के गढ़ने-मढ़ने का अकिचंन प्रयास कर रहा है। संस्थान के प्रयास एवं पहल बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में सामाजिक जागरूकता, जनान्दोलन, रचना एवं संघर्श के साथ-साथ बुन्देलखण्ड के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन की दिशा में संस्थान सार्थक, स्थायित्व विकास की वकालत एवं प्रयोग की दिशा में समर्पित है।

विश्वास है सामाजिक, स्वैच्छिक जगत के युवा, उदीयमान साथी प्रेरणा ले सकेंगे।

साभार सहित

(भागवत प्रसाद)
निदेशक
अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान, चित्रकूट (उ.प्र.)

(१) जनपैरवी - कथ्य एवं क्रियाशीलता

बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सच:

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र में फैले बुन्देलखण्ड की मुख्य पहचान ग़रीबी और अभाव के क्षेत्र में बनती जा रही है। गाँवों में रोजी-रोटी की व्यवस्था न होने के कारण बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। कहीं-कहीं तो जल संकट ही इतना विकट है कि वही पलायन का एक मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सामन्ती तत्व ग़रीब व कमजोर परिवारों का बुरी तरह शोषण कर रहे हैं। सभी प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार उन्हीं का चलता है। बहुत से वनों का अवैध कटान भी भ्रष्ट अधिकारियों व सामन्ती तत्वों की मिली भगत से हो रहा है। जिसके कारण आज जंगल वीरान दिखाई पड़ते हैं। शोषण एवं पर्यावरण विनाश का दोहरा दबाव ग़रीब लोगों को सहना पड़ रहा है जिसके कारण ये बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर होते हैं। इनका कठिन श्रम दूर-दूर के क्षेत्रों में सुन्दर भवन बना रहा है पर अपने ही गाँवों का जीवन-आधार बचाने का, यहाँ की मिट्टी और खेत बचाने का, तालाब और वन बचाने का अवसर उन्हें नहीं मिल पा रहा है।

शोषण एवं पर्यावरण विनाश का दोहरा दबाव ग़रीब लोगों को सहना पड़ रहा है जिसके कारण ये बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर होते हैं। इनका कठिन श्रम दूर-दूर के क्षेत्रों में सुन्दर भवन बना रहा है पर अपने ही गाँवों का जीवन-आधार बचाने का, यहाँ की मिट्टी और खेत बचाने का, तालाब और वन बचाने का अवसर उन्हें नहीं मिल पा रहा है।

ग़रीब जहाँ दबंगों के शोषण व उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, वहीं एक लोकतांत्रिक देश का अंग होने के नाते इनके अधिकारों की रक्षा हेतु जिन प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, उन्हीं के द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जाता रहा है। सरकार भी हमेशा से इस क्षेत्र के दलित व वंचित वर्ग को अपनी दूषित राजनीति का शिकार बनाती चली आ रही है।

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान तथा इसकी सहयोगी संस्थाओं ने यहाँ सबसे ग़रीब कोल आदिवासी व अन्य दलित व वंचित समुदाय के परिवारों के साथ कार्य करना आरम्भ किया। आधारभूत सर्वेक्षण द्वारा निकल कर आया कि उनकी ग़रीबी का मुख्य कारण प्राकृतिक संसाधनों पर चंद बड़े भू-स्वामियों का कब्जा व ग़रीबों व दलितों का उपयोग केवल शोषित मज़दूरों के रूप में होना है। इस स्थिति को बदलने के लिए संस्थान व सहयोगी संस्थाओं ने अथक प्रयास किया। बंधक मजदूरी प्रथा को दूर करने के लिये भाग-दौड़ की ताकि विकास कार्यों के लिये आदिवासी एवं दलित समुदाय स्वतन्त्र ही रहें, उन्हें किसी भू स्वामी के पास जाने की मजबूरी न रहे। अधिकांश भूमिहीन परिवारों को कुछ न कुछ भूमि मिल सके, इसके लिये संस्थान ने अथक प्रयास किया। लघुवन उपज

पर इन आदिवासियों की हक़दारी बढ़े व इसका उचित मूल्य मिले इस दिशा की ओर भी प्रयास किये गये, सफलता भी मिली।

इन सबका परिणाम मात्र एक दशक में ही यह मिला कि निहित स्वार्थों द्वारा उपस्थित किये गये अनेक अवरोधों के बाजजूद बहुत से दलित-आदिवासी परिवारों की ग़रीबी वास्तव में दूर हो सकी या पहले से बहुत कम हो गयी। संस्थान व इसके सहयोगी संस्थाओं ने महिलाओं के लिए रोज़गार व आय के अवसर बढ़ाने के लिये भी विशेष प्रयत्न किये। उन पर हो रहे जोर जुल्म के विरुद्ध कई स्तरों पर संघर्ष किया गया । महिला आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक उन पर हो रहे अत्याचार की कहानी पहुँचाई गई, इन कार्यवाहियों से महिलाओं को कुछ राहत मिली।

किसी संस्था के कार्यक्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का हल तभी संभव हो पाता है जब उस समस्या से प्रभावित लोग स्वयं अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पहल लेना प्रारम्भ करते हैं, संस्था एक सहजकर्ता व प्रोत्साहक मात्र हो सकता है। जन समस्याओं के समाधान के कई माध्यम हो सकते हैं, परन्तु जन पैरवी उन सभी माध्यमों में से सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन कर सामने आया है।

जनपैरवी: सामाजिक परिवर्तन का शस्त्र- जनपैरवी किसी उद्देश्य को समर्थन का कार्य है। किसी समस्या को सुलझाने के लिये, दूसरे पक्ष के सामने अहिंसक तरीके से की जाने वाली वार्ता, अनुरोध, समझाइश या प्रतिवाद के समुचित प्रयास वकालत है। जब ये प्रयास सामान्य जनता या बड़े जन समूह के हित में किए जाते हैं तो इन्हें जन पैरवी कहा जाता है। जन पैरवी सामान्यतः जनहित को प्रोत्साहित करता है और सामाजिक न्याय की स्थापना के प्रयास करता है।

जनपैरवी समाज के वंचित और अल्प सुविधा प्राप्त सदस्यों के हित की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। इसके अन्तर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों और श्रमिकों से संबंद्ध विषय शामिल होते हैं। जनपैरवी के प्रयास, अपने बाहरी स्वरूप में अपने लक्ष्य विषय के अनुरूप विभिन्न हो सकते हैं। जनतांत्रिक शस्त्र के रूप में भिन्न-भिन्न तकनीकि, राजनीति और कार्यपद्धति हो सकती है, यह कहा जा सकता है जनपैरवी स्विस चाकू की तरह से है, जिसमें कई औजार होते हैं पर इस समन्वित रूप को चाकू ही कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एडवोकेसी के सहनिदेशक और जनहित समर्थकों के अगुवा श्री डेविड कोहेन का कहना है - ''जिस प्रकार से मानवीय गरिमा के लिये कहते हैं कि जीवन केवल रोटी के लिये ही नहीं - इसी प्रकार जनसमर्थकों को केवल निर्वाचन द्वारा बदलाव लाने के लिये, केवल जन आन्दोलन द्वारा नहीं, केवल पक्ष निर्माण द्वारा नहीं, केवल सूचना द्वारा नहीं, केवल संयुक्त मोर्चा बनाकर नहीं बल्कि सभी संभावित तरीकों द्वारा परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए''

> *''दृढ़ क़ानूनी और अंहिसक दबाव के बिना हमने नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में एक भी उपलब्धि हासिल नहीं की है..... दमन करने वाले और उत्पीड़क अपने आप आज़ादी नहीं देते, दमन झेलने वाले को इसकी मांग करनी पड़ती है'' - मार्टिन लूथर किंग*

जनपैरवी उपर्युक्त लक्ष्यों में किसी भी, या किन्ही की भी, या बहुत से अन्य लक्ष्यों की शक्ल में हो सकता है। बस उसका एक मात्र उद्देश्य पूर्ण परिणाम होना चाहिए कि वह ऐसा सामाजिक परिवर्तन लाये जो समाज के कमज़ोर वर्गों तक अधिकतम आर्थिक व राजनैतिक शक्ति व संसाधन पहुँचायें। ज़रूरी नहीं कि सामाजिक परिवर्तन आकस्मिक क्रान्ति से प्रकट हो जाये। यह शान्तिपूर्ण और सतत् प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है।''

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान एवं सहयोगी संस्थाओं ने जनपैरवी को एक माध्यम न मानकर किसी जनसमस्या के समाधान का शस्त्र माना है। संस्थान व सहयोगी संस्थाएं मीडिया, प्रशासन, नीतिकारों, प्रबुद्धवर्ग के लोगों व विभिन्न राजनैतिक संगठनों से संबंध स्थापित कर, हर स्तर पर लोगों की बात रखने व उनके हितों की रक्षा करने हेतु एक दूरगामी दृष्टिकोण को लेते हुए सामाजिक न्याय, हक़दारी, शोषण विहीन एवं समरस समाज स्थापना की ओर सतत् प्रयास कर रहे हैं।

जनपैरवी के प्रयासों का काम किसी अभियान में प्रयुक्त रणनीति, कार्यपद्धति और तकनीकि से निर्धारित किया जा सकता है। जनपैरवी प्रयासों की सफलता और प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि निम्नलिखित तकनीकों और रणनीतियों को कितने प्रभावी तरीके से काम में लिया जाता है –

१. विषय की पहचान और उसकी स्थापना
२. सूचना संग्रह
३. रुचिशील लोगों व हितभागियों का संगठन
४. एकजुटता
५. अन्य लोगों/समूहों से तालमेल
६. सम्पर्कों की स्थापना व निरन्तरता
७. अभियान की योजना
८. संचार माध्यमों को जोड़ना
६. विधायिका पर दबाव बनाना
१०. व्यवस्था में पहुँच बनाना

१. विषय की पहचान और स्थापना :

जनपैरवी के प्रयास कार्यक्षेत्र की स्थिति या निजी मामले या नीतिगत पहल में प्रकट होते हैं जैसे संस्थान एवं सहयोगी संस्थाओं ने जब बुन्देलखण्ड में काम करना प्रारम्भ किया तब सर्वप्रथम इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान गाँव में ही रात्रि विश्राम करते हुए लोगों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई ताकि वे शोषण, उत्पीड़न आदि जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी व्यथा बता सकें । संस्थान व सहयोगी संस्थाओं द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में व्याप्त निम्नलिखित समस्याओं, मुद्दों या विषयों की पहचान व स्थापना का प्रयास किया गया है –

१.१ : भूमि संबंधी समस्या
१.२ : बेरोजगारी एवं पलायन की समस्या एवं कारण
१.३ : वन एवं राजस्व विभाग संबंधी समस्या
१.४ : सूखा व बाढ़ की समस्या
१.५ : सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या
१.६ : फर्ज़ी बैंक ऋण की समस्या
१.७ : दबंगों द्वारा शोषण व उत्पीड़न की समस्या, मानवाधिकार हनन
१.८ : पेयजल का संकट
१.६ : सिंचाई का संकट
१.१० : न्यूनतम मजदूरी व बंधुवा मजदूरी की समस्या
१.११ : बाल-मजदूरी की समस्या
१.१२ : पर्यावरण विनाश
१.१३ : अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा
१.१४ : शिक्षकों की अनुपस्थिति

१.१५ : विद्यालयों में क्षमता से अधिक पंजीकरण का मुद्दा आदि ।

इन समस्याओं को मीडिया व पत्रकारों के माध्यम से राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक उठाने व लोगों को इन मुद्दों पर सोचने आत्ममंथन करने की दिशा में पहल की गई है। सामाजिक सरोकारों की ओर हितगामियों, समर्थकों को तैयार किया गया है।

२. सूचना संग्रह :

विषय की पहचान के बाद लेकिन स्थापना के पहले बहुत सारा काम रहता है। वास्तव में पर्याप्त सूचना इकट्ठी किए बिना किसी विषय की स्थापना नहीं की जा सकती है। यह सूचना अभियान के भावी कार्यक्रम के निर्धारण में मददगार सिद्ध होती है । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संस्थान व सहयोगी संस्थाओं द्वारा चिन्हित विषयों पर निम्न प्रकार की सूचनाओं को संग्रहित करने का प्रयास किया गया है –

२.१ : विषय से संबंधित कानून पर समझ एवं सघन पकड़
२.२ : विषय पर नीति की स्पष्टता
२.३ : कानून व योजनाओं से संबंधित लोग
२.४ : हमारे विषय से सहानुभूति रखने वाले सरकार में बैठे लोग और विषय के विरोधी लोग, समुदाय
२.५ : ऐसे तटस्थ लोग जिन्होंने इस विषय पर कोई धारणा नहीं बनाई
२.६ : संचार माध्यमों द्वारा दिया गया स्थान और विश्लेषण
२.७ : इस विषय से संबंधित अन्य समूह
२.८ : अन्य समूहों से तालमेल की संभावना

संस्थान का यह प्रयाश रहा है कि लक्ष्य विषय इससे प्रभावित लोगों को समझ में आता हो और वे जनपैरवी के प्रयासों में पहल करने को तैयार हो । काम शुरू करने से पहले चुना हुआ विषय ठीक से स्थापित किया जाना जरूरी है । सूचना संग्रह के बाद विषय की स्थापना के लिये पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है जिससे वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है।

जनपैरवी के इस संघर्ष में सूचना ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक सशक्त आधार प्रदान करता है। हमारे पास जितनी तथ्यात्मक व सम्पूर्ण जानकारी होगी, हम अपने बात को उतने ही आत्मविश्वास के साथ रख सकते हैं व विपक्षी को अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डाल सकते हैं। विषयों की पहचान व स्थापना के पश्चात् जनपैरवी के हमारे प्रयासों में अगला कदम सूचना संग्रह का रहता है। चूंकि हमें ज्ञात हो चुका होता है कि गाँव में किस प्रकार की समस्या है और अब हमें उस समस्या के समाधान हेतु आवाज उठानी है। अतः हमें अपनी आवाज को मजबूती देने के लिये उससे संबंधित सूचना एकत्र करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है।

३. रुचिशील लोगों एवं हितभागियों का संगठन :

बुनकरों के हाथों में बेड़ियां

सामयिक

■ भारत डोगरा

क्या किसी दबंग में इतनी हिम्मत हो सकती है कि वह पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ताक पर रखकर सात हजार लोगों का रोजगार डेढ़-दो वर्ष से भी अधिक समय के लिए छीन ले ओर स्वयं ढेर सारा मुनाफा हड़प ले?

यह हादसा महोबा जिले के जैतपुर कस्बे व उसके आसपास के गांवों में लगभग डेढ़-दो वर्षों से चल रहा है व इस कारण यहां सबसे अधिक रोजगार देने वाली खादी की दस्तकारी बुरी तरह बर्बाद हो रही है।

जैतपुर-बेलाताल खादी के मुख्य केन्द्र रहे हैं व राष्ट्रीय स्तर पर यहां की खादी की गुणवत्ता को स्वीकार किया जाता है, पर हाल ही में जब यह लेखक जैतपुर व आसपास के गांवों में गया तो "जिन गली मोहल्लों में हथकरघे की आवाज कभी थमती न थी वहां सन्नाटा छाया हुआ था। बुनकर हताश हो चुके थे व उनमें से कई तो दिल्ली व पंजाब जैसे स्थानों पर प्रवासी मजदूर के रूप में जाने की तैयारी कर रहे थे।

इन कुशल दस्तकारों ने बताया कि चाहे खादी के कार्य में कितनी भी कठिनाइयां हो पर अपनी गुणवत्ता के बल पर डेढ़-दो वर्ष पहले तक यहां की खादी अच्छी तरह बिक रही थी व उन सब की आजीविका इस कार्य से भली-भांति चल रही थी। बुनकरों के साथ कताई, दर्जी, धोबी, रंगाई, कर्मचारी आदि के कार्य भी जोड़ लें तो आठ हजार या उससे अधिक लोगों का रोजगार इस कस्बे व इसके आसपास के कुछ गांवों में खादी से जुड़ा हुआ था। यह बस उस समय बदल गया जब एक दबंग व्यक्ति ने यहां के गांधी आश्रम पर कब्जा जमा लिया और इन बुनकरों द्वारा उत्पादित माल को खरीदना बंद कर दिया। इसके स्थान पर बाहर से कमीशन पर माल खरीदकर उसे जैतपुर की खादी के नाम से बेच दिया जाता था, जिससे जैतपुर की खादी की प्रतिष्ठा को में भी क्षति हुई। जहां एक दबंग व्यक्ति और उसके समर्थकों ने अवैध तरीकों से अपने लिए बहुत मुनाफा बटोरा वहीं यहां के कारीगरों की रोजी-रोटी छिन गई।

इतना ही नहीं स्थानीय गांधी आश्रम के कर्मचारियों का भी इतना शोषण किया गया कि उनमें से कई परेशान होकर घर में ही बैठ गए। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि उनसे गांधी आश्रम का कार्य करवाने के स्थान पर एक भव्य निजी मकान बनवाने के लिए मजदूरों का काम जबरदस्ती करवाया गया। काम भी इतना ज्यादा लिया गया कि वे बीमार पड़ गए व इस तरह उनकी नौकरी ही छूट गयी। इस समय भी वे डरे हुए घबराए हुए थे कह रहे थे कि दबंग सदा बंदूकधारियों के साथ घूमता है अतः उसका बहुत आतंक है, हमारा नाम न लिखिए।

इन बेरोजगार किये गए दस्तकारों व कर्मचारियों की अनेक लिखित शिकायतों पर डेढ़-दो वर्ष तो कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई, पर जुलाई में चित्रकूट के कमिश्नर ने पहली बार इस ओर ध्यान दिया। 28 जून को हिम्मत जुटाकर कई बुनकरों ने कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने लिखा विगत 2 वर्षों से गांधी आश्रम संस्थान के वर्तमान मंत्री की दबंगई एवं गलत नीतियों के कारण हमारे समुदाय के लगभग 7 हजार परिवार भुखमरी की कगार पर हैं।

यह ज्ञापन प्राप्त करने के बाद जुलाई के महीने में तत्कालीन कमिश्नर [illegible] ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को मिलने के लिए बुलाया। दोनों पक्षों की बात सुनकर उन्होंने गांधी आश्रम के मंत्री के कार्य को अनुचित पाया। उन्होंने पुनः चुनाव कराने के आदेश दिए। इससे पहले बुनकरों ने सवाल उठाया था कि जब हमारे करघे डेढ़ ... वर्ष से बंद पड़े हैं तो जैतपुर की खादी कैसे बेची जा रही है?

[illegible]

> जिन गली-मोहल्लों में हथकरघे की आवाज कभी थमती न थी वहां सन्नाटा छाया हुआ है। बुनकर हताश हो चुके हैं और उनमें से कई तो दिल्ली व पंजाब जैसे स्थानों पर प्रवासी मजदूर के रूप में जाने की तैया... रहे हैं, जबकि खादी ... महत्वपूर्ण केन्द्र तबा...

पत्थर की खदानें या पत्थर के दिल

■ भारत डोंगरा

[illegible]

राष्ट्रीय लघु खनिज नीति बनाऐं

खनिज नीति में किसानों-मजदूरों के हित, पर्यावरण की रक्षा और स्थायी रोजगार शामिल होना चाहिए

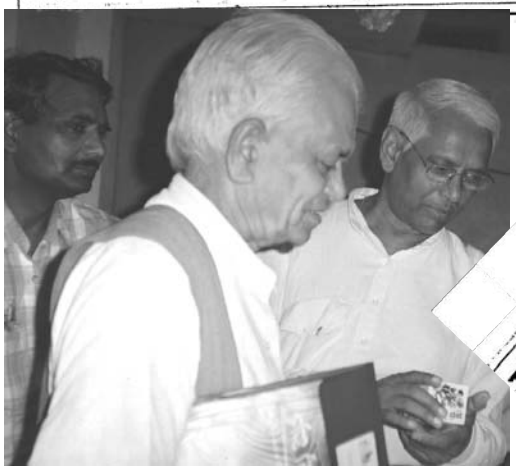

राष्ट्रीय खनन नीति की चर्चा चलने पर प्रायः तेल, कोयले, लौह अयस्क जैसे खनिजों की चर्चा अधिक होती है और उन लघु खनिजों की बात पीछे पड़ जाती है जिनसे संबंधित नीतियां हजारों गांवों व कस्बों की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को नजदीकी तौर पर प्रभावित करती हैं। तरह-तरह के पत्थर और बालू, चूना, खड़िया मिट्टी जैसे लघु खनिजों का खनन कम से कम समय में अधिक से अधिक दोहन के ठेकेदारी दृष्टिकोण से हो रहा है। जिसमें मजदूरों की भलाई, पर्यावरण की रक्षा, स्थाई रोजगार की उपलब्धि जैसे उद्देश्यों की उपेक्षा हो रही है और कई स्तरों पर भ्रष्टाचार पनप रहा है। चाहे चित्रकूट/भरतकूप (बुंदेलखंड) के पास का खनन हो या टिहरी गढ़वाल में कटाल्दी गांव का विवाद (उत्तरांचल) हो चाहे शंकरगढ़ (जिला इलाहाबाद) की सिलिका खनन का मामला हो -सभी में स्थानीय गांववासियों के हितों की उपेक्षा, पर्यावरण के दीर्घकालीन विनाश और भ्रष्टाचार के खेल के ऐसे उदाहरण सामने आते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए लघु खनिज संबंधी एक समन्वित और संतुलित नीति जरूरी है।

लघु खनिज प्राप्त करने के तौर तरीके क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुरूप होने चाहिए। उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के अस्थिर और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में डायनामाइट और भारी मशीनों का प्रयोग बहुत नुकसानदायक है। इसी तरह किसी जगह खनिज होने का अर्थ यह नहीं है कि वहां खनन अवश्य ही हो। इस खनन का आसपास के क्षेत्र के खेत, वन, चरागाह, जल स्रोतों पर क्या असर पड़ेगा, इसे ध्यान में रखना होगा। सामान्यतः

समितियों या स्वयं सहायता समूहों को खनन के अधिकार मिलें, तो इससे उनके आर्थिक उत्थान की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में तो खनन का मलबा नहरों व नदियों में जाकर सिंचाई का संकट उत्पन्न करते हुए देखा गया है। खनन के संदर्भ में कई बार पर्यावरण संरक्षण व रोजगार के हितों के टकराव की बात की जाती है ... स्थाई आजीविका पर ध्यान ... होगी। ग्रामीणों की स्थाई ... हैं। अन्य रोजगार उपायों ... होने चाहिए जो स्थाई आ...

दूसरी ओर कुछ शक्ति... तमाम तरीकों से हथिया ले...

... से उतना 'लघु' नहीं है ...

जनपैरवी के प्रयास तभी प्रभावी बन सकते हैं जब आपके आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ आयें। जनपैरवी के अपने प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिये चिन्हित विषय पर रूचिशील लोगों, हितग्राहियों को अपने साथ लाने के लिये लोगों को संगठित करने के लिये संस्थान द्वारा निम्न प्रयास रहे हैं –

३.१ : अपील, पत्र	३.२ : प्रदर्शनी, पोस्टर, पर्चे
३.३ : भाषण	३.४ : सभा, सहभोज
३.५ : हस्ताक्षर अभियान	३.६ : नाटक, जुलूस, प्रदर्शनी
३.७ : नुक्कड़ नाटक	३.८ : सम्मेलन, कार्यशाला, संगोष्ठी
३.९ : प्रतियोगिता	३.१० : विभिन्न संचार माध्यमों से प्रचार

३.११ : क्रमिक अनशन, आमरण अनसन, धरना प्रदर्शन, जनसभा, चक्काजाम

संस्थान एवं सहयोगी संस्थाओं ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर चिनगारी संगठन का गठन किया है। चिनगारी संगठन ग़रीब व वंचित समुदाय के महिला-पुरुष सदस्यों का एक ऐसा जन संगठन है जिसके माध्यम से संस्थान व सहयोगी संस्थाएं चिन्हित विषयों को गाँव-गाँव तक स्थापित करने एवं उन विषयों पर जनपैरवी हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। चूंकि समस्याएं कहीं न कहीं से समुदाय से ही संबंधित है। अतः समुदाय द्वारा उठाई गयी सामुहिक एवं स्थायी आवाज ज्यादा प्रभावशाली तरीके से कारगर होती है।

इसके अलावा अन्य रूचिशील लोगों जैसे प्रख्यात पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों, विरोधी दल के नेताओं, प्रबुद्धजनों, मीडिया आदि को गोष्ठी, जनसुनवाई, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, क्षेत्र भ्रमण, पोस्टर, पत्रों आदि के माध्यम से बुन्देलखण्ड की समस्याओं के प्रति संवेदित करने का प्रयास करते रहे हैं। यहाँ की गम्भीर समस्याओं और संस्थागत प्रयासों को समय-समय पर प्रख्यात पत्रकार श्री भारत डोगरा, स्वामी अग्निवेश, श्री एस०एन०सुब्बाराव जैसे समाज के सचेतक एक ओर जहाँ राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाते रहें हैं व सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का हमारा एक सशक्त माध्यम बनकर हमारे प्रयासों को मजबूती देते रहे हैं, वहीं विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य विभिन्न मुद्दों पर न सिर्फ हमें समर्थन देते रहे हैं बल्कि स्पष्ट रूप से अपनी संस्तुतियाँ भी दर्ज करते रहे हैं।

४. एकजुटता :

समान रूचि वाले समूहों और संगठनों से सम्बन्ध बनाना महत्वपूर्ण हैं। अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान व सभी सहयोगी संस्थाओं ने समान रूचि के आधार पर दलित व आदिवासियों के अधिकारों हेतु पैरवी एवं लॉबिंग करने हेतु प्रतिबद्धता जताई है। संस्थायें प्रारम्भिक तौर पर समान रूचि वाले मुद्दों पर एक दूसरे से विचार-विमर्श करते हैं। फिर मुद्दों पर आवश्यक समझ बनाने व सूचना संग्रह के बाद मिलकर आगे की रणनीति तय करते हैं।

विशिष्ट विषयों पर भी एकजुटता (नेटवर्किंग) की जाती है जैसे- बंधुवा मजदूरी, बाढ़ व सूखा की समस्या, सरकारी योजनाओं के लाभ एवं पहुंच से वंचना, भूमि एवं लघुवन उपज की हक़दारी से वंचना, प्राकृतिक संसाधनों यथा -खनिज के पट्टे, तालाब के पट्टे आदि । पेयजल का संकट, सिंचाई का संकट, न्यूनतम मजदूरी की समस्या, पर्यावरण विनाश आदि विषयों पर पत्रकारों के साथ नेटवर्किंग का काम किया गया है। पत्रकार भ्रमण के माध्यम से पत्रकारों को सीधे गाँव की समस्या से रूबरू कराया जाता है। तत्पश्चात् स्वयं पत्रकारों द्वारा सत्यापित जानकारी के आधार पर समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया में क्षेत्र की प्रमुख समस्यायें प्रकाशित, प्रसारित होती है। मीडिया द्वारा फोकस किये जाने पर व्यवस्था तंत्र में बैठे अफसरों की निद्रा टूटती है और चहुमुखी दबावों के चलते वे समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही करने

को बाध्य होते हैं। यहाँ भी संस्थान का प्रयास समस्याओं का प्रकाशन मात्र ही लक्ष्य कभी नहीं रहा अपितु प्रकाशित सामाग्री को दबाव बनाने हेतु, समस्याओं के निराकरण हेतु शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। प्रकाशित सामाग्री को सम्बन्धित विभागों (मण्डल, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर) पत्र के माध्यम से भेजने का काम किया गया है, इससे समस्या समाधान की दिशा में बल मिला है।

५. अन्य लोगों/समूहों से तालमेल :

विषय में रुचि रखने वाले लोगों की पहचान कर लेने के बाद, उनसे मैत्री बढ़ाना और कुछ के साथ घनिष्ठता कायम करना हमारे लिए बहुत उपयोगी रहा है। सब समूहों की हमेशा एक सी प्राथमिकता नहीं होती लेकिन विषय में रूचि के कारण वे सक्षम सहयोगी सिद्ध होते हैं, जितना बड़ा मैत्री क्षेत्र होता है, उतना ही बड़ा प्रभाव निर्णायकों पर होगा, चाहे वे व्यवस्थापिका के लोग हो, विधायिका के लोग हो, न्यायपालिका के लोग हो या संचार माध्यमों के। विभिन्न सहयोगी सम्मिलित रूप से समूह की शक्ति बढ़ाते है और इस तरह विषय के प्रभाव को बढ़ाते हैं।

इस बात की महत्ता को समझते हुए संस्थान व सहयोगी संस्थाओं ने शासन-प्रशासन में बैठे कुछ जागरूक अधिकारियों के साथ मिलकर अनेक समस्याओं के समाधान पाने में सफलता प्राप्त की है। जैसे - बांदा क्षेत्र में व्याप्त भू-विसंगतियों के समाधान हेतु उस क्षेत्र में काम कर रहे परागीलाल विद्याधाम समिति (नरैनी) व कृष्णार्पित सेवाश्रम (अतर्रा) ने जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों से सघन सम्पर्क स्थापित कर समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है, वह उल्लेखनीय है। परागीलाल विद्याधाम समिति द्वारा आयोजित एक जनसुनवाई कार्यक्रम में आये तात्कालिक जिलाधिकारी श्री मुकेश मेश्राम के सामने जब भूमि संबंधी समस्याओं को रखा गया तो समस्याओं के अम्बार को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि इस क्षेत्र में भू-विसंगतियों का भण्डार है। तब उन्होंने तुरन्त आदेश दिया कि सभी लेखपाल दो दिन के अन्दर भूमि नापकरपट्टाधारकों को दें। इस प्रकार वर्षों से चली आ रही भूमि समस्याओं का निवारण एक अधिकारी की संवेदनशीलता के फलस्वरूप तुरन्त हो सका ।

बांदा जागरण

लोगों का दर्द सुना तो कारिंदों पर गिरी गाज

इसी प्रकार श्री विजय शंकर पाण्डेय (कमिश्नर, बांदा) द्वारा महोबा के बंद पड़े गांधी आश्रम को भ्रष्ट नेता के चंगुल से मुक्त कराकर पुनः प्रारम्भ कराया गया, जिससे ८००० परिवारों के आजीविका पर लगा ग्रहण हट सका। ललितपुर में बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान के प्रयासों के फलस्वरूप जब समाचार पत्रों में वहाँ के सहरिया आदिवासियों भुखमरी

के स्थिति को उजागर किया गया तो संवेदनशील जिलाधिकारी श्री उमेश मित्तल द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से तुरन्त ही १६०० अन्त्योदय कार्ड भुक्तभोगियों के नाम बनवाए गये।

६. टिकाऊ सहचर्य बनाना :

जनपैरवी के सन्दर्भ में सहचर्य समान उद्देश्य के लिये साथ काम कर रहे संगठनों की मैत्री है। ये संगठन विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध हो सकते हैं। वे सामान्यतः विभिन्न गतिविधियों में लगे हो सकते हैं, कुछ परस्पर विरोधी विचारधाराओं के पोषक हो सकते हैं। सहचर्य में विचित्रता यही है कि विभिन्न समूहों और संगठनों का सहचर्य एक समान उद्देश्य के लिये साथ हो जाता है। सामान्यतः ये समूह विभिन्न वर्तमान गतिविधियों और प्राथमिकताओं के बावजूद एक छाते के नीचे एक साथ आ जाते हैं।

यह देखा गया है कि सहचर्य कायम करना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है सहचर्य को कायम रखना और प्रकृति को नजर में रखना। विषय के अनुरूप सहचर्य छोटी अवधि या बड़ी अवधि के लिये रखा जा सकता है। सहचर्य के सहभागियों के बीच अच्छे संबंध बनाये रखने और विषयों के प्रभावी समर्थन के लिये निम्न शर्ते पूरी करना जरूरी है –

६.१ : सहचर्य के लक्ष्य कार्य में स्पष्टता रखी जानी चाहिए।
६.२ : समूहों में कार्य और दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। ,
६.३ : समूहों के बीच पूर्ण और खुला संचार और संवाद कायम रखा जाना चाहिए।
६.४ : सहचर्य में से सामूहिक नेतृत्व उभरना चाहिए।

सहचर्य, अभियान को सहायता देता है और सशक्त बनाता है इससे समस्या विषय पर विभिन्न समूहों के दृष्टिकोण रखने में, अनुभव और विशेषज्ञता को केन्द्रित करने में मदद मिलती है। संस्थान ने सहचर्य का सूत्र लेकर ही बुन्देलखण्ड के ५ जिलों में अपने सहयोगी संस्थाओं को साथ लेकर जनपैरवी कार्यक्रम आरंभ किया। जिले और क्षेत्र भले अलग हों लेकिन जनसमस्याएं लगभग एक जैसी हैं। सामूहिक समस्याओं को उठाने तथा पैरवी करने के लिए पैरवी कर्ताओं के बड़े समूहों की भी आवश्यकता पड़ती है । अलग-अलग जिलें में कार्यरत सहयोगी संस्था एक उद्देश्य को लेकर एक साथ तभी खड़े हो सकते हैं जब उनमें सहचर्य का भाव हो। इस भाव को बनाये रखने हेतु संस्थान ने हर जरूरी उपाय किये जैसे – निरन्तर बैठके, एक दूसरे के सुख-दुःख में सहभागिता, एक-दूसरे के विचारों को सम्मान देना, समसामयिक मुद्दों पर चर्चा, समझ एवं सामूहिक रणनीति तथा नियोजन पर बल दिया है।

७. अभियान की योजना :

अगर किसी मुद्दें को अभियान के रूप में ले जाना है तब यह आवश्यक हो जाता है कि पहले उससे संबंधित रणनीति बना ली जाये। मुद्दों की गम्भीरता के आधार पर तय रणनीति के तहत अभियान से संबंधित सभी पहलुओं की सघन तैयारी की जाये। अभियान की योजना व तैयारी का अभियान की सफलता में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। चूँकि किसी भी अभियान का एक व्यापक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है अतः इसके नियोजन में एक व्यापक व दूरगामी दृष्टिकोण का होना जरूरी हो जाता है। लोगो के मानस की तैयारी, उनकी अभियान में सहभागिता व सक्रियता पर प्रभाव डालती है। अतः सघन सम्पर्क व प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों के मन मस्तिष्क को झकझोरने का काम

किया जाता है। और यदि इसके विभिन्न हितभागियों, साथियों व संचार माध्यम का साथ मिल जाये तो निःसंदेह से अभियान को बल मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है।

८. संचार माध्यमों का सहयोग :

संचार माध्यम लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है। लोकतांत्रिक प्रणाली की यथा स्थिति को सामने रखकर व्यवस्था के नियामकों का ध्यान केन्द्रित कर प्रभावी हस्तक्षेप की भूमिका में संचार माध्यम अग्रणी रहे हैं। जनपैरवी के लिए संचार माध्यम सबसे शक्तिशाली माध्यम है क्योंकि मौजूदा युग में संचार माध्यमों का व्यापक नेटवर्क है। यह माध्यम सूचनाओं को तत्काल विस्तारित कर उनकी ओर सत्ताधारकों, दबाव समूहों, सामाजिक पैरोकारों का ध्यान केन्द्रित कर उन्हें चर्चा के केन्द्र में लाता है । संचार माध्यमों के कारण एक ओर जहाँ व्यवस्था तंत्र सजग और सक्रिय होता है वहीं आम जनमानस में अपने अधिकारों के प्रति सक्रियता बढ़ती है। जनपैरवी में संचार माध्यमों को शामिल करते हुए कई ऐसे अनुभव सामने आयें है, जिनसे समस्याओं की सूचना प्रसारित होते ही एक ओर जहाँ भुक्तभोगी आन्दोलित हुए हैं वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी अपनी जवाबदेही के प्रति दबाव में आया है । अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान बुन्देलखण्ड के बड़े भू-भाग में निवास कर रहे बड़ी संख्या में दलित, आदिवासियों की जनपैरवी करता आ रहा है। ऐसी स्थिति में विकट समस्याओं को प्रकाश में लाने के लिए तथा उन समस्याओं पर व्यापक बहस छेड़ने के लिए संचार माध्यमों की हर क्षण आवश्यकता पड़ती रही है। अपने कार्य नियोजन में संस्थान ने मीडिया संवेदीकरण को विशेष महत्व दिया है। मीडिया जगत से बेहतर समन्वय बनाते हुए और स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मीडिया कर्मियों का ध्यान बुन्देलखण्ड की शाश्वत समस्याओं की ओर समय-समय पर केन्द्रित किया जाता रहा है । जनपैरवी के दौरान संचार माध्यमों की सहभागिता निम्नाकिंत स्तर पर प्राप्त किया गया है :-

८.१ : मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला
८.२ : क्षेत्रीय विकास-विचार गोष्ठी
८.३ : जनसुनवाई कार्यक्रम
८.४ : पत्रकार भ्रमण
८.५ : मीडिया संवाद
८.६ : धरना प्रदर्शन व जुलूस
८.७ : समाचार प्रकाशन व मुद्दों के प्रकाशन में, आदि ।
८.८ : सरकारी गैरसरकारी समुदाय एवं मीडिया कार्यशाला।
८.९ : मीडिया का भुक्तभोगी, पीड़ित के साथ साक्षात्कार

इसी प्रकार कुछ विशेष प्रयोग भी सहयोगी संस्थाओं द्वारा किये जाते रहे हैं। जैसे- परागीलाल विद्याधाम समिति द्वारा पत्रकारों का दुर्गम गाँवों में रात्रि विश्राम भी कराया गया जहाँ कि किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ऐसे गाँव में पत्रकारों को रात्रि विश्राम के बहाने से गाँव वालों के साथ उनके दुख-दर्द को जानने-समझने का मौका मिला । जनसुनवाई कार्यक्रमों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ पत्रकार बन्धुओं को भी आमंत्रित किया जाता रहा है जिससे उन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की जानकारी सभी को मिल सके व उनके क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर दबाव बनाया जा सके। सही मायने में मीडिया जनपैरवी के हमारे संघर्ष में कदम-कदम के साथी रहे हैं। समाज सेवा संस्थान मीडिया के ताकत का बेहतर प्रयोग ग़रीबों की पक्षधरता हेतु करता आया है। संस्थान का मानना है कि मीडिया एवं सामाजिक संस्थाएं एक-दूसरे की पूरक बनकर सामाजिक न्याय, शोषण, उत्पीड़न विहीन समाज निर्माण

में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, परन्तु आवश्यकता है एक-दूसरे के विश्वास अर्जन की, प्रमाणिक सूचनाएं प्रदान करने की और यह काम संस्थान एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा अब तक प्रमाणिक तरीके से किया गया है। फलस्वरूप ग्रामीण हकदारी, सरकारी योजनाओं तक ग़रीबों की पहुँच एवं ग़रीबों की आवाज़ इधर के समय में बेहतर तरीके से उठाई जा सकती है। पीड़ित, वंचित लोगों को न्याय मिला है।

९. विधायिका पर दबाव :

विधायिका में सरकारी नीतियों का निर्धारण होता है और नये कानून बनते हैं, पुराने कानूनों में संशोधन होता है, या वर्तमान कानूनों का समापन होता है। जनतंत्र में विधायक/सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनसे आशा की जाती है कि वे जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करें। इसलिये जरूरी है कि उन्हें जनमत का ज्ञान हो, उसकी इच्छा/अनिच्छा का पता हो। विधायकों/सांसदों को विभिन्न विषयों की तथ्यात्मक आंकड़ों सहित जानकारी होना जरूरी है। इससे उन्हें नीति निर्धारण में तर्क संगत रुख़ अपनाने में मदद मिलती है।

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान व सहयोगी संस्थाओं द्वारा विभिन्न विधायकों/सांसदों को समय-समय पर विभिन्न संगोष्ठी/कार्यशालाओं में आमंत्रित किया जाता रहा है तथा विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में पत्रों, पत्र-कतरनों, ज्ञापन आदि के माध्यम से सूचित किया जाता रहा है। ऐसे ही अन्य तरीकों से भी विधायकों/सांसदों को सूचित और प्रभावित किया जाता रहा है ताकि लक्ष्य विषय के लिये उनका समर्थन जुटाया जा सके। विधायिका पहल की दिशा में संस्थान द्वारा मानिकपुर के कोल आदिवासियों के लघुवन उपज के संग्रहण, एकत्रीकरण तथा विपणन को लेकर तात्कालीन विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश विधायिका में प्रश्न उठवाया गया । जिसका प्रणाम कोल आदिवासियों के पक्ष में गया है। इसी प्रकार संस्थान द्वारा कोल जाति को अनुसूचित जनजाति के दर्जे हेतु लोकसभा में कई बार सांसदों द्वारा मुद्दा के रूप में उठाया गया है।

१०. जनतांत्रिक पद्धति में मैत्री संबंधों की स्थापना :

जब कभी हम मुकाबले के लिए खड़े होते हैं तब सिर्फ संचार माध्यमों, विधायकों/सांसदों या प्रशासनिक लोगों तक पहुँच बनाना काफी नहीं रहता। निर्णायकों और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अन्य लोगों तक भी पहुँच बनाना और अच्छे संबंध कायम करना महत्व रखता है। उन शक्ति केन्द्रों के साथ मित्र भाव और निष्ठा पूर्वक संबंध बनाना और उनसे आवश्यक जानकारियाँ हासिल करना भी उपयोगी चीज है। इस दिशा में संस्थान द्वारा ग़रीबों की पक्षधरता, अन्याय एवं शोषण के खिलाफ कार्य करने वाले समूहों, अधिकार आधारित समूहों से मैत्री स्थापना की गई है। बुन्देलखण्ड के पाठा क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड स्तरीय मुद्दों, समस्याओं को ऐसे समूहों के संज्ञान में लाकर आगे बढ़ाने की वकालत की गई है।

(२) सतत् संघर्ष से बदली चन्दपुरा की तस्वीर

आज़ादी के ५८ वर्ष तथा गणतन्त्र के ५६ वर्ष पश्चात् जहाँ एक ओर हमारी सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश के कई भागों की स्थिति आज भी अत्यन्त सोचनीय है, जो इस बात का प्रमाण है कि विकास की अधिकतम कार्यवाही केवल कागज़ों तक ही सीमित है। उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र अधिकतम पिछड़े क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यही कारण है कि देश के ग़रीब जिलों को चिन्हित करते समय सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लगभग सभी जिलों को सम्मिलित किया गया। इस क्षेत्र के कई इलाके आज सरकार द्वारा किये जा रहे कागज़ी वादों और खोखली योजनाओं का पुख्ता सबूत है।

आधुनिक विकास की इस विडम्बना और असमानता को बाँदा जिले के नरैनी विकासखण्ड के चन्दपुरा ग्राम पंचायत में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहाँ पर लोग आज भी यातनापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिये मज़बूर हैं। रंज तथा बागै नदी के दोआबा क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध इस इलाके में चन्दपुरा के अतिरिक्त आठ अन्य गाँव सम्मिलित हैं। चन्दपुरा ग्राम पंचायत विकास की सारी सुविधाओं जैसे सम्पर्क मार्ग, चिकित्सीय सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, सिंचाई के साधन, विद्युतीकरण आदि से वंचित है। रंज नदी के किनारें बसे सबसे पहले गाँव चन्द्रपुरा की जनसंख्या लगभग १२५० के क़रीब है। यहाँ पर मूलरूप से सभी जातियों के परिवार समान रूप से निवास करते हैं, परन्तु पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या सामान्य वर्ग के परिवारों की संख्या से अधिक है। इस क्षेत्र की मुख्य फसल अरहर, चना, तथा ज्वार है। सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण गेहूँ तथा धान जिनके लिये यहाँ उपयुक्त भूमि है, की खेती नहीं की जाती है। ग्राम वासियों के अनुसार गांव में सिंचाई का एक मात्र साधन पम्पिंग सेट्स हैं, जिन्हे मध्य प्रदेश की सीमा से लगे पड़ोस के गाँव से २८ से ३० रुपये प्रति लीटर मिट्टी के तेल के द्वारा चलाया जाता है, पर सिंचाई का यह साधन आवश्यकतानुसार पर्याप्त नहीं है।

सरकार की गतिविधियों का पुख्ता प्रमाण इस ग्राम पंचायत में मौजूद है। सुश्री मायावती के शासन काल में यह अम्बेडकर ग्राम घोषित हुआ और इसके पश्चात् श्री मुलायम सिंह जी की सरकार के दौरान इसे समग्र ग्राम विकास का दर्ज़ा भी प्राप्त है। हैरत की बात यह है, कि इन सबके बावजूद भी इस गाँव में आज तक बिजली नहीं पहुँची और न ही गाँव तक पहुँचने के लिये कोई पक्का सम्पर्क मार्ग है। गाँव तक पहुँचने में सबसे बड़ी बाधा रंज नदी है, जिस पर कोई रपटा तक नहीं बना है और इसको पैदल ही पार करना पड़ता हैं गाँव के आस-पास ४-५ किमी० तक कोई भी

पक्का सम्पर्क मार्ग नहीं है। बरसात के दिनों में इस गाँव का सम्पर्क अन्य सभी जगहों से टूट जाता है और गाँव के लोग गाँव में ही क़ैद हो जाते हैं। पड़ोस का एक गांव महोरछा, जो इस पंचायत का एक मजरा है और जिसकी दूरी तकरीबन १ से १.५ किमी० तक है, बरसात के दिनों में इस गाँव तक पहुँचने के लिये मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुये ५ किमी० की दूरी तय करनी पड़ती है। ग्राम वासियों के अनुसार उनके द्वारा शहर से जुड़ी हुई गतिविधियाँ बरसात आने से पहले ही पूरी कर ली जाती हैं, और यदि फिर भी बरसात के दिनों में शहर से जुड़ा कोई आवश्यक काम पड़ता है, तो १३ किमी० का लम्बा मार्ग तय करके जाना पड़ता है।

गाँव में शिक्षा की व्यवस्था के आभाव के कारण नौनिहालों का भविष्य ख़तरे में है। गाँव में मात्र एक प्राइमरी विद्यालय है, जिसका निर्माण सन् १९५९-६० में हुआ था, आज यह भवन एकदम जर्जर अवस्था में है और बच्चे भवन के बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय की चहारदीवारी देख-रेख के अभाव के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कक्षा पाँच के बाद बच्चों को गाँव के बाहर दूसरे गाँव नहरी अथवा बड़ैइछा के विद्यालयों में दाख़िला लेना पड़ता है और नदी पार करके शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है। वर्षा के अधिकांश महीनों में नदी में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण, इसको पैदल पार करना असम्भव होता है, और गाँव के होनहार बच्चों को विवशतावश अपनी पढ़ाई बन्द करने के लिये मज़बूर होना पड़ता है। इसलिये इस गाँव के बच्चे मुख्यरूप से लड़कियाँ कक्षा पाँच तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाती हैं और आज तक इस गाँव की किसी भी लड़की ने पाँचवीं से अधिक शिक्षा नहीं प्राप्त की है।

नदी में डूब-उतरा रहा सर्वशिक्षा अभियान

कक्षा पाँच के बाद बच्चों को गाँव के बाहर दूसरे गाँव नहरी अथवा बड़ैइछा के विद्यालयों में दाख़िला लेना पड़ता है और नदी पार करके शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है। वर्षा के अधिकांश महीनों में नदी में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण, इसको पैदल पार करना असम्भव होता है, और गाँव के होनहार बच्चों को विवशतावस अपनी पढ़ाई बन्द करने के लिये मज़बूर होना पड़ता है।

चिकित्सकीय सुविधा के नाम पर गाँव में एक राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय है जहाँ पर जुलाई २००५ से ताला लटक रहा हैं, और प्रांगण मे जानवर बँधते है। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया, पिछले वर्ष तक एक फार्मासिस्ट था, अब वो भी नहीं रहा। गाँव के लोग झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मज़बूर हैं, और गलत इलाज के कारण कई मौतें भी हो चुकी हैं। बरसात के दिनों में गम्भीर रूप से पीड़ित व्यक्ति को चारपाई पर रखकर नदी के उस पार ले जाया जाता है, और इस कठिन प्रक्रिया में कभी-कभी पीड़ित व्यक्ति बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इस कारण बरसात के दिनों में गंभीर मामले शहर तक नहीं पहुँच पाते हैं। गाँव में ए०एन०एम० कभी नहीं आती, जब कोई विशेष रूप से लेने जाता है, तो १००-२०० रुपये लेने के बाद आती है। गणेश प्रसाद जी जो कि इस गाँव के ४० वर्षों तक प्रधान रह चुके

हैं, तथा द्वारिका प्रसाद जी जो कि पूर्व प्रधान हैं, बताते हैं, कि पिछले ४०-५० वर्षों से इस गाँव मे कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आया, चुनाव के पहले केवल प्रत्याशी आ जाते हैं, और जीतने के बाद वो भी शक्ल दिखाने नहीं आते। आज़ादी के पश्चात् इस गाँव में विकास के नाम पर मात्र पंचायत भवन का निर्माण, चिकित्सालय का निर्माण तथा एक्सचेंज का निर्माण हुआ, पर आज की तारीख़ में सभी जर्जर अवस्था में बन्द पड़े हुये हैं। गाँव वालों के अनुसार इस क्षेत्र की २०० एकड़ जमीन की मिट्टी गेहूँ तथा धान की फसल के लिये बहुत अच्छी है, पर सिंचाई के साधन के अभाव के कारण इनकी खेती नहीं हो पाती है। इन सबके अलावा बरसात के दिनों में इस कैद रूपी गाँव मे नदी की त्रासदी के कारण ग्रामीणों को रातें जागकर बितानी पड़ती हैं। गाँव वालों के अनुसार इन सब सुविधाओं के अभाव के कारण अन्य जगहों के लोग इस गाँव में अपनी बेटियाँ ब्याहने से कतराते हैं। गाँव के लड़को की शादियाँ करने में परिवारजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या तो फिर लड़के कुँवारे ही रह जाते हैं।

इन सारी सुविधाओं के अभाव के चलते इस गाँव के लोग एक यातनापूर्ण जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। द्ववाबा क्षेत्र के नौ गाँवों में चन्दपुरा गाँव रंज नदी के किनारे बसा सबसे पहला गाँव तथा सबसे समीप का गाँव है, और जब इस गाँव की स्थिति इतनी दयनीय तथा सोचनीय है, तब अन्य आठ गांवों के जीवन की कल्पना करने का अनुमान ही अत्यन्त रोगटें खड़े कर देने वाला अनुभव है।

चन्दपुरा गाँव के लोग जहाँ ऐसी जीवन त्रासद जीवन जी रहे हैं वहीं नरैनी में युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक दल परागीलाल

परागीलाल विद्याधाम समिति के प्रयास :-

- **ग्रामीणों का ११ दिनों का क्रमिक उपवास का समापन, प्रशासन ने सभी मांगे मानी - १४ नवम्बर, ०४**
- **विकास कार्य हुये परन्तु चन्दपुरा अछूता रह गया।**
- **७ दिवसीय जनजागरूकता पदयात्रा - १८ से २४ अक्टूबर, ०५**
- **समस्याओं का संकलन**
- **क्षेत्रीय लोगों व कार्यकर्ताओं की निरन्तर बैठकें व चर्चा।**
- **दो दिवसीय पत्रकार भ्रमण - ५ व ६ जनवरी, ०६**
- **समाचार पत्रों द्वारा समस्याओं का प्रकाशन।**
- **मुख्यमंत्री को पत्र कतरन सहित पत्र - १८ जनवरी, ०६**
- **गणतंत्र दिवस पर करतल में राष्ट्रध्वज के नीचे करुण विलाप व राष्ट्रपति को ज्ञापन - २६ जनवरी, ०६**
- **आयुक्त को पत्र व पदयात्रा की जानकारी- २ फरवरी, ०६**
- **प्रशासन की सकारात्मक पहल का इन्तजार।**
- **सत्याग्रह प्रारम्भ - नहरी से बांदा की ओर - १५ फरवरी, ०६**
- **सत्याग्रही बांदा पहुंचे - १७ फरवरी, ०६**
- **चन्दपुरा सत्याग्रह मण्डल स्तरीय सत्याग्रह में तब्दील।**
- **मण्डल स्तर के जनसंगठनों एवं संस्थाओं की भागीदारी।**
- **बांदा की संस्थाओं द्वारा सत्याग्रहियों का अभिनन्दन एवं सहयोग।**
- **आयुक्त के समक्ष धरना।**
- **आयुक्त के साथ वार्ता व आयुक्त का आश्वासन।**
- **क्षेत्र परियोजना निदेशक व खण्ड विकास अधिकारी का भ्रमण - २२ फरवरी, ०६**
- **उपजिलाधिकारी का क्षेत्र भ्रमण - २८ फरवरी, ०६**
- **जिलाधिकारी का भ्रमण - २ मार्च, ०६**

विद्याधाम समिति के नाम के साथ गरीबों व दलितों के पैरवी व हकदारी हेतु संघर्षशील हैं । यह दोनों घटनायें समान्तर रूप से चल रही हैं । चन्दपुरा के कुछ जागरूक ग्रामीणों ने जब समिति के प्रयासों को जाना सुना, तब उन्होंने समिति कार्यकर्ताओं से मिलकर अपनी व्यथा कह डाली । कार्यकर्ता द्रवित हुए, उन्होने ग्रामीणों के संघर्ष को अपना संघर्ष बना लिया और उनके साथ हो लिये।

१४ नवम्बर, २००४ से करतल बस स्टैण्ड में चलाये जा रहे क्रमिक उपवास को समाप्त करवाने में जिला प्रशासन ने सभी माँगे मानी जाने का आश्वासन दिया था उस आश्वासन के बाद पुंगरी पुल, कनाय की सड़क तो बन गयी थी, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार के प्रयास किये गये थे किन्तु पुकारी से चन्दपुरा सम्पर्क मार्ग, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थिति समग्र विकास में चयनित गाँव की दुर्दशा को ठीक करने में कोई प्रगति नहीं हुई बल्कि तमाम सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था। इस स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय लोगों के साथ एक बैठक बुलाई गयी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि एक बार फिर से तथ्यपूर्ण समस्याओं का संकलन करके प्रशासन को भेजा जाय तथा समाधान की माँग की जाये।

हाथों में तख्ती बैनर लिए भीख नहीं अधिकार चाहिए, मजदूर को अपना काम चाहिए, गरीब गाँव में रोते हैं, अफसर घर में सोते हैं, टूट-फूट की बर्बादी से, क्षेत्र बचाओ-क्षेत्र बचाओ जैसे गगन भेदी नारों के साथ बाँदा प्रस्थान कि लिए गाँव-गाँव से उतरा जन सैलाब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाली सरकार के दावों में तमाचा सा जड़ रहा था।

समस्याओं की प्रमाणिकता पूर्वक जानकारी इकट्ठा करने के लिए समिति कार्यकर्ताओं ने १८ से २४ अक्टूबर, २००५ तक एक सात दिवसीय जन जागरूकता पद यात्रा की इस यात्रा में कार्यकर्ताओं का दल गाँव-गाँव गया, गाँव में बैठकें हुयी, बैठकों में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी, पैरवी के अब तक के सारे प्रयासों से मिली सफलतायें तथा अधूरे पड़े कार्यों पर चर्चाये की गयी। पदयात्रा समाप्त होने के बाद पुनः क्षेत्रीय लोगों एवं कार्यकर्ताओं की एक बैठक करतल में सम्पन्न हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि इन समस्याओं को प्रकाश में लाया जाए तथा समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन से माँग की जाए।

संकलित समस्याओं को प्रकाश में लाने तथा समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु दिनाँक ५ से ६ जनवरी, २००६ को मीडिया का दो दिवसीय भ्रमण आयोजित किया। इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों ने भ्रमण के दौरान रात्रि विश्राम भी गाँव में किया। मीडिया भ्रमण के बाद समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रानिक चैनल्स में क्रमशः सभी समस्याओं का प्रकाशन हुआ।

समाचार पत्रों में प्रकाशित ख़बरों की कतरन सहित दिनांक १८.१.०६ को मुख्यमंत्री को भेजकर समस्याओं के समाधान की प्रार्थना की गयी । २६ जनवरी, २००६ को गणतन्त्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज के नीचे अमर शहीदों के चित्रों के सम्मुख करतल क्षेत्र के गण ने करुण बिलाप कर अपनी आह, कराह शोक प्रकट किया तथा अपनी माँगों का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा।

चिनगारी संगठन
करतल, विकास खण्ड-नरैनी (बाँदा) उ. प्र.

परम आत्मा, परमपूज्य, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी तथा अमर शहीद बलिदानी सपूत के नाम गणतन्त्र के 56 वर्ष समाप्त होने के अवसर पर गण का विलाप पत्र सखेद, सक्षोभ सादर समर्पित

द्वारा

महामहिम राष्ट्रपति
भारत सरकार
नई दिल्ली

मान्यवर,

आज गणतन्त्र के 56 वर्ष पूरे होने में हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। किन्तु क्षोभ भी है कि जिन उद्देश्यों को लेकर आप सबने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी वे दूर-दूर तक पूर्ण होते नहीं दृष्टिगोचर हो रहें। आज न चाहते हुए परम पवित्र राष्ट्र ध्वज के नीचे आप सबके चित्रों के सम्मुख बाँदा जनपद के करतल क्षेत्र के गण को करुण विलाप के लिए विवश होना पड़ रहा है। अपनी आह, कराह, शोक, क्षोभ प्रकट करना पड़ रहा है, ताकि शायद संवेदनहीन सत्ताधारी उनका तन्त्र सम्वेदित हो सके। इस क्षेत्र के साथ जो दुर्व्यवहार, जो उपेक्षा प्रशासन द्वारा की गयी है वह घोर निन्दा ही नहीं, शोक, व्यथा, निराशा का भी विषय है।

यदि दिनांक 14 फरवरी, 2006 तक हमारी निम्न माँगों पर कार्यवाही नहीं प्रारम्भ की गयी तो राष्ट्रध्वज के समीप आपके चित्रों के समक्ष हमारा संकल्प है कि 15 फरवरी, 2006 से हम जिला प्रशासन बाँदा, उसके बाद प्रान्तीय शासन लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे। अभी भी समय है, ईमानदारी, प्रमाणिकता के साथ हमें सुना, देखा जावे।

हमारी माँगे

1. पुकारी से चन्दपुरा तक पक्का सम्पर्क मार्ग चाहिए। इस मार्ग के अभाव में द्वाबा क्षेत्र के एक दर्जन गाँवों के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। अब तक इस क्षेत्र को सम्पर्क मार्ग से न जोड़ा जाना मतदाता के साथ ठगी है, शासन-प्रशासन का प्रमाद है।
2. राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पंचमपुर 22 वर्षों से दूसरों के मकान में चल रहा है। होम्योपैथिक चिकित्सालय चन्दपुरा पशुओं का अड्डा बना है। पशु चिकित्सालय करतल में डाक्टर के कभी दर्शन नहीं होते, यही स्थिति होम्योपैथिक चिकित्सालय बहरी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय करतल एवं नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करतल की है। तमाम दुर्व्यवस्थाओं के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई का राष्ट्रीय धन व्यर्थ जा रहा है। क्षेत्र के साथ स्वास्थ्य की ऐसी धोखा-धड़ी बन्द होनी चाहिए।
3. यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बच्चों का भविष्य चौपट कर रही है, अध्यापकों की अनुपस्थिति के कारण कई विद्यालय अक्सर बन्द पड़े रहते हैं। कन्या प्राथमिक विद्यालय करतल में 160 फर्जी छात्रों का नामांकन छात्रवृत्ति एवं मिड-डे मिल के लालच में किया गया है। प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक तथा कन्या विद्यालयों की जर्जर हालत देश के नौनिहालों के साथ खिलवाड़ है। इस बदतर स्थिति में बदलाव चाहिए।
4. करतल क्षेत्र के आधा दर्जन तालाबों का वजूद खत्म करके दबंगों ने खेती करना प्रारम्भ कर दिया है। 54 बीघे में बना महराजपुर का विशाल ताल 25 बीघे में सिमट कर रह गया है। इन तालाबों का संरक्षण तथा जीर्णोद्धार चाहिए।
5. क्षेत्र में चलाई जा रही काम के बदले अनाज योजना भ्रष्टाचार की शिकार हो गयी है। काम के अभाव में सैकड़ों परिवार पलायन कर गये हैं। कनाय, पंचमपुर, रानीपुर, मोटेपुरवा इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। गरीबों को काम चाहिए।
6. आँगनबाड़ी केन्द्र अपनी सार्थकता खोते जा रहे हैं वे व्यक्तिगत आय के स्रोत बन चुके हैं। यही स्थिति गरीबी रेखा से नीचे गल्ला पाने वाले परिवारों की है। यह देश की दोहरी क्षति है, जिनके लिए योजना है उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाता। जिन अपराधियों से गरीबों को बचाना है योजनाओं का धन वही खाकर रमा रहा है, उनको मोटा कर रहा है। इसलिए या

चिनगारी संगठन
करतल, विकासखण्ड–नरैनी (बांदा) उ0प्र0

दि० 2-02-06

प्रतिष्ठा में,
श्रीमान आयुक्त महोदय,
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

विषय : सत्याग्रह

मान्यवर,

करतल, द्वाबा क्षेत्र (नरैनी, बांदा) प्रारम्भ से उपेक्षा का शिकार है। लगातार लोकहितकारी मांगों की ओर शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते आ रहे हैं। अब तक हमें कोई परिणाम नहीं मिला है। दिनांक 18.01.2006 दिनांक 26.01.2006 हमारे पुराने मांग पत्र रद्दी की टोकरी में डाले गये हैं। अन्त में बाध्य होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा प्रखर चिन्तक डॉ0 राममनोहर लोहिया के बताये अहिंसक मार्ग पर चल पड़े हैं। यदि हमें 14 फरवरी, 2006 तक कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं मिला तो दिनांक 15 फरवरी को ग्राम पंचायत नहरी (नरैनी) से क्षेत्रीय महिला-पुरुषों का सत्याग्रही जत्था बांदा पैदल प्रस्थान करेगा। स्थान-स्थान पर क्षेत्रीय समस्याओं तथा जनता के हितों की उपेक्षा का रोना रोते हुए हम 17.02.2006 को बांदा पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री को सम्बोधित मांग पत्र आपको सौंपेंगे।

कृपया दिनांक 17 फरवरी, 2006 को कार्यालय में उपलब्ध रहने का कष्ट करें। हम लोग लगभग 2:00 बजे आपका आश्वासन पाना चाहेंगे।

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं इस प्रार्थना के साथ कि कृपया सत्याग्रह को पढ़, समझकर जनहित में सहयोग प्रदान करें।

1. मा0 श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, मंत्री, बाह्य सहायतित परियोजना।
2. मा0 श्री श्यामाचरण गुप्त, सांसद बांदा/चित्रकूट।
3. मा0 श्री जमुना प्रसाद बोस, पूर्व मंत्री।
4. मा0 श्री विवेक सिंह, पूर्व मंत्री।
5. श्रीमान् जिलाधिकारी, बांदा।
6. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बांदा।
7. श्रीमान् उपजिलाधिकारी, नरैनी।
8. सभी प्रबुद्ध जन।

प्रार्थीगण

द्वारिका प्रसाद द्विवेदी-पूर्व प्रधान चन्दपुरा, राजेन्द्र सिंह चौहान-पूर्व प्रधान करतल मिथिला, संयोजिका चिनगारी संगठन, नरैनी, नीलम, मालनपुर, रानअौतार, माखनपुर, जगदीश अवस्थी करतल हल्के, राजा का पुरवा, अवधेश कुमार, नरसिंहपुर, जगदेव, कनाय, रामरोकक निर्मल, रेहुंची, सुन्दरलाल रगौली, गढ़ुवा

नीलम

आवश्यक

(11)

प्रेषक,
जिलाधिकारी,
बांदा

सेवा में,
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल,
बांदा

संख्या /ई0आर0के0 दिनांक:फरवरी 14 2006

विषय:– चिंगारी संगठन (पत्तालाल विद्याधाम समिति) द्वारा दिनांक 17.02.06 को मा0 आयुक्त चित्रकूटधाम को ज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री राजाभइया, मंत्री, पत्तालाल विद्याधाम समिति मानिकपुर रोड नरैनी के पत्र दिनांक 18.01.06 पर पारित अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 20.01.06 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें जांच कराकर अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच उपजिलाधिकारी नरैनी से कराधी गयी। जांच अधिकारी ने अपनी आख्या पत्र संख्या–1023/एस0टी0 दिनांक 15.02.06 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत आख्या संलग्न कर प्रेषित की गयी है, जो मूल रूप में संलग्न कर आपकी सेवा में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:–यथोपरि (29 पृ0)

भवदीय,

कृते-जिलाधिकारी,
बांदा

16.2

---

(12)

कार्यालय आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा

संख्या–1694 /आशु-3-शिकायत/2006, दिनांक: मार्च 27, 2006

विषय:– चिंगारी संगठन(पत्तालाल विद्याधाम समिति) द्वारा दिनांक 17-02-2006 को मा0 आयुक्त, चित्रकूटधाम को ज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्य विकास अधिकारी,
बांदा।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र-संख्या 1556/आशु-3-शिकायत/2006 दिनांक, 1 फरवरी 2006 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उपजिलाधिकारी नरैनी की बिन्दुवार विस्तृत जांच आख्या के संगत बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से एक माह में अवगत कराने की अपेक्षा की गई है, किन्तु अब तक कृत कार्यवाही आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि कृपया उपजिलाधिकारी नरैनी की जांच आख्या के शिकायती बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराने का कष्ट करें।

(उषा रमण)
अपर आयुक्त(प्रशासन),
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार :

प्रतिलिपि: उपजिलाधिकारी, नरैनी, को उक्त सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(उषा रमण)
अपर आयुक्त(प्रशासन),
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

दिनाँक २ फरवरी २००६ तक प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। तब पुनः आयुक्त महोदय को एक पत्र लिखकर प्रार्थना की गयी कि हम लोग लगातार लोक हितकारी माँगों को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते आ रहे हैं। अब तक हमें कोई परिणाम नहीं मिला हमारे पुराने माँग पत्र रद्दी की टोकरी में डाले गये हैं। अन्त में बाध्य होकर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी तथा प्रखर चिन्तक डा० लोहिया के बताये मार्ग पर चल पड़े हैं। यदि १४ फरवरी तक कोई सन्तोष जनक समाधान नहीं मिला तो १५ फरवरी को ग्राम पंचायत नहरी से क्षेत्रीय महिला-पुरुषों का सत्याग्राही जत्था बाँदा पैदल प्रस्थान करेगा। १४ फरवरी तक भी प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नही हुई तो १५ फरवरी २००६ को करतल क्षेत्र के दर्जनों गाँवों के शोषित, पीड़ित ५०० भुक्तभोगियों का जत्था शासन-प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा के विरुद्ध सत्याग्रह जत्था नहरी से बाँदा निकल पड़ा। हाथों में तख्ती बैनर लिए ''भीख नहीं अधिकार चाहिए, मजदूर को अपना काम चाहिए'', ''गरीब गाँव में रोते हैं, अफसर घर में सोते हैं'', ''टूट-फूट की बर्बादी से, क्षेत्र बचाओ-क्षेत्र बचाओ'' जैसे गगन भेदी नारों के साथ बाँदा प्रस्थान किया। गाँव-गाँव से उतरा जन सैलाब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाली सरकार के दावों में तमाचा सा जड़ रहा था। बीच-बीच में जनसभाओं गीतों का भी आयोजन हुआ। प्रथम दिन में नहरी से जगह-जगह सभायें करते हुए ३० कि०मी० चलकर देवरार पहुँचे। देवरार वासियों ने सभी सत्याग्रहियों के आवास और भोजन का प्रबन्ध किया। दूसरे दिन प्रातः ६ बजे बाँदा की ओर देवरार से पुनः रवाना हुए, सत्याग्रही जिस गाँव से गुजरते थे उस गाँव के लोग भी इनकी व्यथा सुन उसमें सुर से सुर मिला, अपना समर्थन देकर वे भी साथ में बोलते थे। बांसी, देवरार, गिरवाँ, बडोखर, तिन्दवारा के ग्राम प्रधानों ने जगह-जगह पर सत्याग्रहियों का स्वागत कर सभी का मनोबल बढ़ाया। १७ फरवरी, ०६ को चन्दपुरा से शुरू हुआ सत्याग्रह बांदा पहुँचते-पहुँचते मण्डल स्तरीय सत्याग्रह में तब्दील हो गया। महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट के जनसंगठनों का कारवां इस सत्याग्रह का अभिन्न अंग बनकर हजारो-हजारो की संख्या में बांदा शहर की गलियों में अपनी कथा-व्यथा, वेदना को गीतो, नारों से आवाज़ देते हुए आयुक्त महोदय के आवास में जनसभा के रूप में तब्दील हो गया । मण्डल स्तर की संस्थाओं के प्रतिनिधियों जैसे 'पंचायत अध्ययन एवं सन्दर्भ केन्द्र' के श्री अवधेश गौतम आदि की भूमिका प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण रही । जब इस जन कारवाँ ने मण्डलायुक्त के कार्यालय में डेरा डाल दिया तब वहाँ चिनगारी संगठन, महुआ, तिन्दवारी, महोबा, मानिकपुर, शिवरामपुर, सिसोलर से भी भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। आयुक्त महोदय के पहुँचने से पूर्व अपर आयुक्त

जिलाधिकारी के आदेश :-

- **सचिव का निलम्बन**
- **कोटेदार का कोटा निरस्त व उसके खिलाफ एफ.आई.आर. के आदेश**

महोदय ने अपने चेम्बर में बुलाकर सत्याग्रहियों के प्रतिनिधियों से अपनी समस्या रखने एवं वापस जाने को कहा। परन्तु सत्याग्रहियों के प्रतिनिधियों द्वारा आयुक्त महोदय से अपनी बात कहने पर अडिग रहने के कारण सायं ३ बजे आयुक्त महोदय का समय मिला। संवेदनशील एवं सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पित आयुक्त महोदय ने चारों जिलों से आये हुए सत्याग्रहियों से एक-एक कर समस्याओं को जाना, समझा तथा आवश्यक कार्यवाही के तत्काल निर्देश भी दिये तथा चारों जिलों में समस्या पीड़ित गाँव में जनसुनवाइयाँ आयोजित करने की तारीख भी सुनिश्चित की। जिसका अब तक कई जिलों में फालोअप भी हो चुका है।

सत्याग्रह के मूल स्थान चन्दपुरा में आन्दोलन समाप्त होने के दूसरे दिन से अधिकारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। ग्राम पंचायतों में काम करने वाले सभी कर्मचारी सक्रिय हो गये, २२ तारीख को क्षेत्र परियोजना निदेशक तथा खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर समस्याओं से रूबरू हुए। २८ फरवरी को उपजिलाधिकारी ने भी क्षेत्र का भ्रमण किया, ब्लाक की एक टीम ने तो २७ फरवरी से वहीं डेरा ही डाल दिया वहाँ वृद्धा वस्था, विकलांग, विधवाओं की सूची बनायी गयी। स्वर्ण जयन्ती समूह को सक्रिय किया गया। अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा किया गया।२ मार्च को चन्दपुरा गाँव जिलाधिकारी ने स्वयं पहुँचकर विकास कार्यो का सत्यापन किया विकास कार्यो में भिन्नता बरतने पर सचिव को निलम्बित किया, राशन सामग्री का वितरण न होने पर कोटेदार का कोटा निरस्त कर उसके खिलाफ एफ०आई०आर० के आदेश दिये। सत्याग्रह आन्दोलन के बाद प्रशासन द्वारा अब तक निम्नवत प्रयास किये गये -

१. चन्दपुरा गाँव के १२ हैण्डपम्पों की मरम्मत तथा २ का रिबोर कराया गया।
२. प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों को ड्रेस वितरित किया गया।
३. सभी गाँवों में स्वास्थ्य टीम बनाकर टीकाकरण कराया गया।
४. अधूरे पड़े इन्द्रा आवासों को पूर्ण कराया गया।
५. लेखपालों की टीम गठित कर कब्जा से वंचित ५ परिवारों की १४ बीघे जमीनों की नाप कर दी गयी।

उपलब्धियाँ -

- **चन्दपुरा गाँव के १२ हैण्डपम्पों की मरम्मत तथा २ का रिबोर कराया गया।**
- **प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों को ड्रेस वितरित किया गया।**
- **सभी गाँवों में स्वास्थ्य टीम बनाकर टीकाकरण कराया गया।**
- **अधूरे पड़े इन्द्रा आवासों को पूर्ण कराया गया।**
- **लेखपालों की टीम गठित कर कब्जा से वंचित परिवारों की जमीनों की नाप कर दी गयी।**
- **जिलाधिकारी द्वारा चन्दपुरा गाँव में १ जूनियर हाई स्कूल, १ स्वास्थ्य केन्द्र भवन, पुकारी से चन्दपुरा सम्पर्क मार्ग, नेदुवा से चन्दपुरा सम्पर्क मार्ग को शीघ्र बनवाये जाने की घोषणा की गयी।**

वर्तमान स्थिति -

- **पुकारी से चन्दपुरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण हो चुका है। (लगभग रु० २ करोड़)**
- **नेदुवा से चन्दपुरा सम्पर्क मार्ग स्वीकृति हो चुका है।**
- **पुकारी के पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। (बजट रु० ८ करोड़)**
- **चन्दपुरा गाँव का विद्युतीकरण का कार्य सम्पन्न हो गया है।**
- **कोटे की दूकान निरस्त कर कोटेदार के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया।**

६. जिलाधिकारी द्वारा चन्दपुरा गाँव में १ जूनियर हाई स्कूल, १ स्वास्थ्य केन्द्र भवन, पुकारी से चन्दपुरा सम्पर्क मार्ग, नेढुवा से चन्दपुरा सम्पर्क मार्ग को शीघ्र बनवाये जाने की घोषणा की गयी।

प्रशासनिक अधिकारियों में अभी भी सक्रियता है। सभी कर्मचारी क्षेत्र में पहुँच रहे हैं शिकायते मिलने पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में निरन्तरता बनाये रखने के लिए क्षेत्र में एक संचालन समिति का गठन किया गया है जिसकी नियमिति बैठके होती हैं बैठकों में कार्यो की समीक्षा होती है तथा बीच-बीच में प्रशासन को अवगत करते रहते हैं।

जनपैरवी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू :

- ज्ञान की राजनीति को जन राजनीति से कैसे जोड़ा जाए ताकि राज्यसत्ता की राजनीति से जवाबदेही प्राप्त हो सके। ज्ञान का जनतंत्रीकरण किया जाना चाहिए नहीं तो उस पर बिचौलियों का यानी मीडिएटर्स का नियंत्रण हो जायेगा।
- जब तक ज्ञान से जवाबदेही नहीं आती तब तक आप पैरवी नहीं कर सकते। पैरवी निर्धन द्वारा निर्धनों के लिए की जाती है।
- अधिकार आधारित दृष्टिकोण की बात करते हुए कई बार यह समझ लिया जाता है कि अधिकार कोई ऐसी चीज है जिन्हें दिया जाता है। जबकि अधिकार ऐसी चीज है जिनका दावा किया जाता है, जिनके लिए मांग की जाती है और जिनका उपयोग किया जाता है।
- एडवोकेसी (पैरवी) का उपयोग अधिकारों का दावा करने के लिए किया जाता है (*एडवोकेसी शब्द लैटिन का है जिसका अर्थ है आवाज़ को बढ़ाना अथवा बुलन्द करना)*। पैरवी ग़रीबों की आवाज़ को बुलन्द करने में मदद कर सकती है। अधिक जन-केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इससे लोगों को अपने लिए बोलने में मदद मिलेगी । मार्टिन लूथर किंग ने भी इसी की वकालत की थी ।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पैरवी ग़रीबों, वंचितों, पिछड़ो और महिलाओं को मूलधारा में शामिल करने का एक संघर्ष हैं जिसमें संविधान की मंशा सर्वोपरि होती है।

- **पैरवी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संविधान और नियम कानूनों में अटूट आस्था है।**
- **पैरवी में योजनाबद्ध संगठित प्रयास की जरुरत होती है।**
- **जन नीतियों का प्राथमिक स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन ही पैरवी का एक मात्र उद्देश्य होता है।**

(३) दबंगो के कब्जे से मुक्त हुआ गांधी आश्रम

वर्ष १९५७-५८ में गांधी आश्रम जैतपुर की स्थापना हुयी और गांधी जी के सपनों के अनुसार ही वहां खादी उद्योग का कार्य प्रारम्भ हुआ। वैसे तो देखा जाये तो खादी उद्योग का काम देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से होता आ रहा है, परन्तु अपनी शुद्धता और सफाई के कारण जैतपुर की खादी समूचे देश में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। यहाँ के कारीगरों के अनुरूप ही खादी पहनने वाला नागरिक सुखद अनुभव करता था, इतना ही नहीं यहाँ के व्यवसायिक कारीगरों की कार्यकुशलता को देखने व गाँव में हो रही कताई, बुनाई, धुनाई, रंगाई आदि को देखने हेतु देश के कोने-कोने से लोग आया करते थे। यह गांधी आश्रम ७००० लोगों की जीविका का आधार था, लेकिन जैसे-जैसे आश्रम का काम बढ़ता गया वैसे-वैसे दबंगो, बाहुबलियों की निगाहें पैनी होती गयी। आश्रम की स्थापना के कुछ दिनों बाद ही मंत्रियों का आवागमन चालू हो गया। इसी प्रकार अनुभवी मंत्री जाते गये फिर भी काम सुचारु रूप से चलता रहा। गांधी आश्रम की स्थापना के कुछ समय पश्चात् लकड़ी का अम्बर चरखा, चार तकले आश्रम की ओर से बनवाये गये और उन्हें कर्मचारियों को सौपा गया था और आश्रम के ही कार्यकर्ता साथियों ने सभी को इन सभी उपयोगी औजारों के सम्बन्ध में जानकारी दी थी, जिससे बुनकरों को मेहनत में कुछ कमी और कमायी में कुछ बढ़ोत्तरी होने लगी। वर्ष १९६०-६१ में आश्रम ने ६ तकला का अम्बर चरखा निकाला जिसमें सूत कताई के साथ-साथ पूनी बनाने (कार्डिग) का काम भी हो जाता था। इस प्रकार चार के बजाय छः तकलो से काम करने से सहूलियते बढ़ गयी, काम में भी आसानी होने लगी और आमदनी भी कुछ बढ़ गयी। जब बाजार में यहाँ के कपड़ो की मांग बढ़ी तो कपड़े की गुणवत्ता में और अधिक निखार हेतु दूसरे प्रान्तों से रुई मंगानी प्रारम्भ कर दी गयी और उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाली रुई को नकारा गया। परन्तु कारीगरों के हस्त निर्मित कपड़े ने चारो ओर अपनी ख्याति फैला दी। इस सफलता को देखकर देश के कोने-कोने में गांधी आश्रम खादी भण्डार खोले गये और जैतपुर की खादी ने इस प्रकार अपना बाजार पूरे देश में बना लिया।

मंत्री का कहर मजदूरों के ऊपर टूटना प्रारम्भ हुआ । प्रतिदिन की गाली-गलौज, मार सहने को मजदूर मजबूर हो गये। यदि कभी कोई आवाज उठाता भी तो बन्दूक की नाल उधर घूम जाती।

इसी समय जैतपुर के प्रधान रहे श्री मन्टूलाल जी ने बुनकरों को खेती करने हेतु भूमि देने का वादा किया, परन्तु बनुकरों के अन्दर देशप्रेम की ज्वाला धधक रही थी, उन्हें खादी व खादी व्यवसाय से बेपनाह मोहब्बत सी हो गयी थी और बुनकरों ने भूमि लेने से साफ मना कर दिया, वे अपने स्वदेशी व्यवसाय में सपरिवार लिप्त रहे। तब तक इस आश्रम में अनेक मंत्री आ चुके थें। अब तक के मंत्रियों के समय में बुनकरों के लिये आश्रम वरदान था। सभी प्रसन्न मुद्रा में इस कार्य में लगे हुये थे, परन्तु किसी को क्या मालूम कि इस आश्रम में किसकी-किसकी निगाहे लगी हुयी हैं। आश्रम में कुछ राजनैतिज्ञों ने अपनी पैठ बना ली और धीरे-धीरे वर्ष २००४-०५ में इस आश्रम के ही कार्यकर्ता ओमप्रकाश मिश्रा ने बगैर चुनाव के अपनी ताकत के बल पर वर्तमान मंत्री को भागने पर मजबूर कर दिया और स्वयं मंत्री बनकर बैठ गया। अब तक ओमप्रकाश मिश्रा ने अपनी जड़े मजबूत कर ली तथा मनमानियों,

धीरे-धीरे कर आश्रम के सभी काम बन्द हो गये, सभी चरखे शून्य पड़ गये, सभी के चेहरों की खुशियां चली गयी और कुछ दिनों बाद बुनकर भुखमरी, बेरोजगारी के कारण देश-प्रदेश पलायन करने को विवश हो गये

अनियमितताओं का गांधी आश्रम के इतिहास में नया दौर प्रारम्भ हुआ। मंत्री का कहर मजदूरों के ऊपर टूटना प्रारम्भ हुआ। प्रतिदिन की गाली-गलौज, मार सहने को मजदूर मजबूर हो गये। यदि कभी कोई आवाज उठाता भी तो बन्दूक की नाल उधर ही घूम जाती। २००० रुपये वेतन पाने वाले व्यक्ति के चारों ओर पांच-पांच बंदूकधारी गार्ड चलने लगे। बुनकरों के बनाये हुये कपड़े जबरदस्ती आश्रम में रखवा लेता और थोड़ा बहुत पैसा देकर भगा दिया जाता था, कुछ कहने पर मजदूरों को एक रुपये भी नहीं प्राप्त हो पाता था। वह मंत्री आश्रम में काम कर रही महिलाओं से आश्रम का नहीं घर का काम करवाने लगा। आश्रम में महिलाओं के साथ गाली-गलौज करता और मजदूरी भी काट लेता। आश्रम में काम कर रहे मजदूरों/महिलाओं ने यह भी बताया कि आश्रम में अवैध रूप से कपड़ा बगैर इन्ट्री किये बाहर बाजार में भी जाता रहा परन्तु बेबस, लाचार, मजदूर करते क्या, बस टुकटुकी लगाये अपने हाथों की मेहनत को जाता देखते रहते और धीरे-धीरे कर आश्रम के सभी काम बन्द हो गये, सभी चरखे शून्य पड़ गये, सभी के चेहरों की खुशियां चली गयी और कुछ दिनों बाद बुनकर भुखमरी, बेरोजगारी के कारण देश-प्रदेश पलायन करने को विवश हो गये। इधर जैतपुर के नाम से खादी निरन्तर शहरों में बिकती रही, लेकिन खादी यहाँ बनती नहीं थी ये लुटेरे खादी कहीं और से लाते और मुहर जैतपुर की लगाकर शोरूमों में बेचते रहे तथा मनमाने ढंग से अवैध कमाई करते रहे। परन्तु कुछ दृढ़संकल्पी बुनकरों ने हार नहीं मानी और खादी उद्योग के मुख्य कार्यालय में प्रार्थनापत्र दिया, परन्तु जिसके आदमी ऊपर से नीचे हो भला उसका क्या बिगड़ सकता था? तब तक आश्रम में मुख्य-मुख्य पदों पर मंत्री जी ने अपने परिवारों, अपने रिश्तेदारों व अपने सहयोगियों को बैठा दिया था और अपार सम्पत्ति का मालिक भी बन गया था । अरुणोदय संस्थान ने २००३ में पैक्स परियोजना के तहत जैतपुर विकासखण्ड के २५ ग्राम पंचायतो में जन पैरवी, महिला सशक्तीकरण, पंचायत सशक्तीकरण हेतु कार्य प्रारम्भ किया। इसी दौरान गाँव-गाँव में सम्पर्क स्थापित करते समय जब इन बुनकरों ने अपनी व्यथा सुनाई तब संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकार माननीय श्री भारत डोगरा जी व अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान के संस्थापक माननीय श्री गोपाल भाई को दिनाँक ०४.०६. २००५ को महोबा आने हेतु आमंत्रित किया, जिसमें माननीय गोपाल भाई व श्री भारत डोगरा जी ने जैतपुर का भ्रमण किया, साथ ही बुनकरों के साथ बैठकर आश्रम के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की, जिसमें बुनकरों ने अपनी व्यथा बताने में झिझक नहीं की, उन्होंने अपने दुखों को सुनने समझाने वाला पहली बार देखा था। शायद

माननीय श्री गोपाल भाई को दिनाँक ०४.०६. २००५ को महोबा आने हेतु आमंत्रित किया, जिसमें माननीय गोपाल भाई व श्री भारत डोगरा जी ने जैतपुर का भ्रमण किया साथ ही बुनकरों के साथ बैठकर आश्रम के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की, जिसमें बुनकरों ने अपनी व्यथा बताने में झिझक नहीं की, उन्होंने अपने दुखों को सुनने समझाने वाला पहली बार देखा था।

MISSING... THE HUM OF HANDLOOMS

Money and muscle power is ruining khadi weavers of Mahoba

SAHARA TIME 25-06-05

Bharat Dogra

As production of khadi involves spinning as well as weaving by hand, this is the most employment generating form of producing cloth

PHOTO: BHARAT DOGRA

Nowhere to go: Resident of Jaitpur with their famous Khadi produce

इसीलिये बुनकरों ने अपने हाथों से बनाये कपड़ों को दिखाया। अपने बन्द पड़े चरखों को दिखाया साथ ही कताई का काम कर रही महिलाओं ने अपनी आप बीती बताई।

दिनाँक ०४.०६.२००५ को ही अतिथियों ने बुनकरों से सम्बन्धित दो गांवों में जैतपुर और बुधौरा का भ्रमण किया और सारी कथा व्यथा को जाना समझा। यहाँ से जाने के बाद माननीय श्री भारत डोगरा जी व श्री गोपाल भाई जी ने अपने-अपने स्तर पर इन समस्याओं को प्रकाशित किया, संस्थापक जी ने 'गाँव की ओर' में छापा, तो डोगरा जी ने दिल्ली के सुप्रसिद्ध समाचार पत्रों (सहारा समय, जनसत्ता, ग्रासरूट) के साथ-साथ, पत्राचार के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया, जिससे प्रशासन का भी ध्यान जुलाहों की ओर आये। इधर अरुणोदय संस्थान ने बुनकरों को जगाने का काम करना प्रारम्भ रखा ताकि वे ओमप्रकाश मंत्री जैसे दरिंदे से घबराये नहीं और साहस बनाये रखें। दिनाँक १४.०६.२००५ को संस्थान कार्यकर्ता ने बुनकरों की सामूहिक बैठक बुलायी, जिसमें एक चिनगारी संगठन का गठन किया। जिसमें श्रीमती रेखारानी अध्यक्ष, श्रीमती बेटीबाई कोषाध्यक्ष, श्री पन्नीलाल सचिव, सहित बारेलाल जी, श्री लखनलाल, श्री सुखलाल, श्री देवीदीन, भगवानदास, मुन्नालाल, धनीराम, परशुराम, मनीराम, रामस्वरूप, कालूराम, बाबूलाल, श्रीमती शान्ती बाई, श्रीमती सीमा आदि सदस्य के रूप में सामने आये और सामूहिक रूप से जन आन्दोलन की तैयारी की गई। साथ ही सामूहिक रूप से माननीय जिलाधिकारी हेतु ज्ञापन तैयार किया गया। आन्दोलन के संचालन हेतु स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लेने की तैयारी की । यह नियोजन तैयार किया कि दिनाँक २८.०६.०५ को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जायेगा/परन्तु इस बात की जानकारी मंत्री ओमप्रकाश को हो गयी। मंत्री ने एक दिन पहले से ही अपना जाल महोबा में बिछा लिया। उसने इतनी तैयारी कर ली कि बुनकर समुदाय का जत्था कलेक्ट्रेट तक न पहुँच पाये। जब संस्थान प्रमुख को इस बात की जानकारी हुयी और विश्वसनीय सूत्रों ने होने वाली घटना से अवगत कराया तो संस्थान कार्यकर्ता साथियों ने तुरन्त अपना नियोजन बदला और तीन जीपों को तय किया। अचानक फेरबदल के बावजूद भी बुनकर अपने संकल्प से नहीं डिगे और जो जैसा था उसी हालत में चल दिया। उस समय महिलाओं की खुशी देखते बन रही थी। एक महिला के आवाज लगाने पर २० महिलायें एकत्रित हो गयी और बगैर कहे गाड़ी पर बैठ गयी। तीनों गाड़ियाँ जब जैतपुर से बांदा की ओर रवाना हुयी सभी ने अपने-अपने देवी देवताओं से अनेक प्रकार की मन्नते मांगी और पुकारते हुए कहा कि प्रभु ! इस दरिन्दे से आश्रम मुक्त कराओ। गाड़ी में बैठी सभी महिलायें प्रार्थना करती हुयी बांदा पहुंची। बांदा में स्थानीय प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया को बुलाकर बुनकरों की आप बीती मीडिया के सामने रखी गयी । बस क्या था मीडिया ने भी

अरुणोदय संस्थान के प्रयास

- **वरिष्ठ पत्रकार श्री भारत डोगरा व संस्थान के संस्थापक श्री गोपाल भाई का भ्रमण - ०४.०६.०५**
- **बुनकरों की समस्याओं का देश के प्रमुख समाचार पत्रों व गाँव की ओर में प्रकाशन - वर्ष २००५**
- **चिनगारी संगठन का गठन - १४.०६.०५**
- **मण्डलायुक्त को ज्ञापन - २८.०६.०५**
- **मण्डलायुक्त के साथ बैठक - २९.०६.०५**
- **संस्थापक जी व अरुणोदय प्रतिनिधि द्वारा आश्रम के इलाहाबाद कार्यालय में सम्पर्क - १२.०७.०५**
- **चिनगारी संगठन के द्वारा आश्रम के प्रादेशिक व केन्द्रीय कार्यालय के साथ पत्राचार**
- **प्रादेशिक कार्यालय द्वारा ओम प्रकाश मिश्रा को पदमुक्ति का आदेश ।**
- **गांधी आश्रम पुन: खुला - अक्टूबर, २००५**

अचानक फेरबदल के बावजूद भी बुनकर अपने संकल्प से नहीं डिगे और जो जैसा था उसी हालत में चल दिया। उस समय महिलाओं की खुशी देखते बन रही थी एक महिला के आवाज लगाने पर २० महिलायें एकत्रित हो गयी ।

इस मुद्दे को प्राथमिकता दी और ११ बजे अशोक की लाट से कमिश्नरी कार्यालय तक बुनकरों का जत्था पैदल चलकर पहुँचा। १२.३० बजे मण्डलायुक्त श्री विजयशंकर पाण्डेय ने सभी बुनकरों की पीड़ा सुनी और मामले को गम्भीरता से लेते हुए दूसरे दिन ही २९.६.०५ को ओम प्रकाश मिश्रा एवं बुनकर समुदाय से दो प्रतिनिधियों को वार्ता हेतु आमंत्रित किया ।

२९.०६.०५ को ओम प्रकाश मिश्रा निर्धारित समय पर अपने समर्थकों सहित कमिश्निरी कार्यालय पहुँचे। यहाँ बेलाताल से ३ बुनकर पन्नीलाल, बारेलाल, सुखलाल भी कमिश्निरी कार्यालय पहुँचे। १२.०० बजे मण्डलायुक्त महोदय ने दोनों पक्षों को बुलवाकर बाते सुनी। एक ओर जहाँ ओम प्रकाश मिश्रा अपने समर्थकों के साथ बढ़चढ़ कर अपनी बात रख रहे थे, वहीं दूसरी ओर बुनकरों ने भी बिना किसी भय के वास्तविकता को मण्डलायुक्त के समक्ष रखा। हालांकि ओम प्रकाश मिश्रा के समर्थक बार-बार बुनकरों को दबाने की कोशिश कर रहे थे किन्तु न्यायप्रिय अधिकारी होने के कारण मण्डलायुक्त के सामने बुनकर निर्भीक होकर अपने पक्ष को रखते रहे। अन्त में पूरी वास्तविकता जानने के बाद मण्डलायुक्त महोदय ने निर्णय दिया कि यदि मंत्री जी संस्था को नहीं चला पा रहे हैं तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। जिस पर ओम प्रकाश मिश्रा ने मक्खन बाजी अन्दाज में बात को घुमाना चाहा किन्तु मण्डलायुक्त ने तुरन्त गांधी आश्रम के प्रादेशिक कार्यालय को मंत्री ओम प्रकाश मिश्रा को पद मुक्त किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में आदेशित किया। मण्डलायुक्त के निर्णय से बौखलाए ओम प्रकाश मिश्रा ने कक्ष से बाहर निकलते ही अपना आपा खो दिया और सीधे बुनकरों के साथ गाली-गलौज प्रारम्भ कर दी। यह पहली बार था जब किसी बुनकर ने ओम प्रकाश के सामने ऊँची आवाज में बोलकर प्रतिकार किया हो। पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से मामला शान्त हुआ और ओम प्रकाश जी मौके की नजाकत को समझ कर वहाँ से निकल लिये किन्तु ट्रैफिक चौराहे में पुनः ओम प्रकाश जी ने संस्था प्रमुख एवं बुनकरों के दल के साथ-साथ प्रिन्ट मीडिया को भी अपना कोप भाजन का शिकार बनाया। लेकिन कोई सफलता प्राप्त न होने के बाद दिनाँक ५.७.०५ को बुनकर पन्नीलाल को २० हजार रुपये के लालच में लेकर पैरवी से पीछे हटने का प्रस्ताव भेजा किन्तु बुनकरों ने प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा और महिलाओं ने यह धमकी उपहार के रूप में दी कि यदि अब ओमप्रकाश मिश्रा ने हमारी बस्ती की किसी बच्ची की तरफ आंख उठाकर देखा तो हम मिट्टी का तेल डालकर उनकी गाड़ी में आग लगा देंगे। अब चाहे हमारी जान चली जाए किन्तु ओम प्रकाश मिश्रा को गांधी आश्रम से हटाकर ही दम लेंगे।

प्रभाव

गांधी आश्रम बन्द होने से इससे जुड़े लगभग सात हजार लोगों की आजीविका का संकट पैदा हो गया था। संस्थान के अथक प्रयास से गांधी आश्रम पुनः शुरु हुआ और अब तक लगभग आठ सौ परिवार इससे फिर सक्रिय रुप से जुड़ चुके हैं।

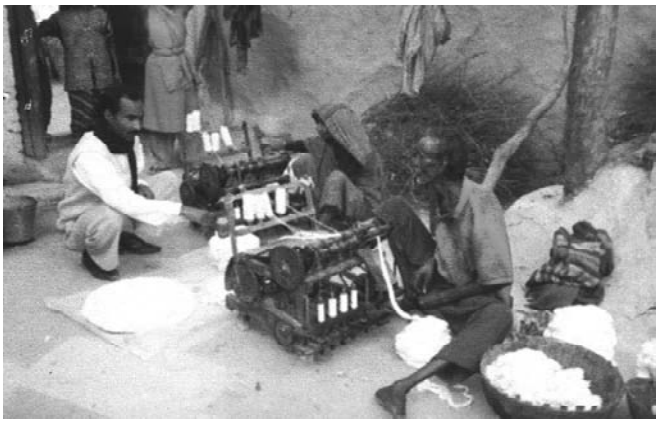

दिनाँक १२.७.०५ को अभिषेक एवं गोपाल भाई जी इनके इलाहाबाद कार्यालय जाकर श्री अमला सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह आदि से सम्पर्क करके उनका साहस बढ़ाने का कार्य किया और मण्डलायुक्त से बात करने के लिए कहा

गया। यहाँ चिनगारी संगठन और इलाहाबाद कार्यालय दोनों ओर से प्रादेशिक कार्यालय एवं केन्द्रीय कार्यालय में पत्राचार में गति प्रदान कर दी गयी। साथ ही इलाहाबाद की प्रबन्ध कार्यकारिणी में बेलाताल के बुनकरों के समर्थन में लखनऊ में धरना प्रदर्शन की धमकी भी दे डाली। प्रादेशिक कार्यालय ने भी मामले को गम्भीरता से लेते हुए वैधानिक प्रक्रिया के उ

चिन्गारी संगठन
विकास खण्ड जैतपुर जनपद महोबा

पत्रांक - 103-c5-05 दिनांक 28-6-05

सेवा में,

मानवीय मण्डलायुक्त महोदय,
चित्रकूट धाम मण्डल बांदा (उ0प्र0)

संदर्भ :- क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम जैतपुर महोबा में कार्यरत बुनकर परिवारों की पीड़ा के निस्तारण के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

प्रार्थीगण बुनकर समुदाय के मजदूर है जो कि परम्परागत रूप से खादी निर्माण कर अपना पेट पालते थे लेकिन विगत 2 वर्षों से गांधी आश्रम संस्थान के वर्तमान मंत्री महोदय ओम प्रकाश की दबंगी एवं गलत नीतियों के चलते हमारे समुदाय के लगभग 7 हजार परिवार भुखमरी की कगार पर है न्याय की आशा मे हम लोगों ने कई बार पैरवी की लेकिन कोई परिणाम नहीं निकले पुनः एक बार आपके द्वार पर न्याय की गुहार लगाते हुये आपको कुछ बिन्दु से अवगत करा रहे हैं।

1. ओम प्रकाश मिश्र मंत्री क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम जैतपुर द्वारा विगत एक वर्ष से सूत रूई,पूनी की खरीददारी बन्द कर दी गयी है जिससे संस्था से जुड़े सात हजार से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गये है और भुखमरी की कगार पर आ पहुंचे है क्योंकि सभी मजदूरों की आय का जरिया गांधी आश्रम ही है किन्तु खादी बन्द हो जाने से मजदूर तथा संस्था दोनों को अपूर्तनीय क्षति हो रही है जिसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं हैं।
2. उक्त मंत्री द्वारा एक बार खरीद की गयी है जिसमें प्रत्येक थान पर 10 प्रतिशत के हिसाब से कमीशन लेकर खरीद की गयी है जिससे हम मजदूर को मेहनत के अनुसार लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ है।
3. उक्त मंत्री हम बुनकरों द्वारा तैयार किया हुआ माल न खरीदकर दूसरी जगह से अधिक कीमत दिखाकर माल खरीदते है तथा उसमें कमीशन लेकर आराम करते है तथा हम मजदूरों को माल तैयार होने के बाद भी खरीद न करने के कारण बेकार हो जाता हैं।
4. उपरोक्त मंत्री महोदय का हम बुनकरों के प्रति व्यवहार अत्यन्त निन्दनीय एवं अशोभनीय है यह मजदूरों को भद्दी-भद्दी गाली गलौज करते है तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करते है और कुछ कहने पर जान से मारने की धमकी देते हैं।
5. यह कि उपरोक्त मंत्री ओम प्रकाश मिश्र दबंग अपराधिक किस्म का व्यक्ति है संस्था में इनका काफी आतंक है तथा भय व्याप्त है जिस कारण कोई भी इनका विरोध करने के लिये तैयार नहीं है यह संस्था में मंत्री पद पर रहकर संस्था के धन को दोनों हाथों लूट रहा हैं तथा संस्था को क्षति पहुंचा रहा है।

6. इनके द्वारा कर्मचारियों के फन्ड की रसीदें अपने पास रखकर मजदूरों एवं कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जाता है।
7. हम मजदूरों चरखा चलाने वाली महिलाओं धोबी,दर्जी,बुनकर,कत्तर सभी का कार्य रूका हुआ है जबकि यही ग्राम जैतपुर मे रूई,सूत,पूनी होते हुये भी खरीद नहीं की जा रही है।
8. यह कि उपरोक्त मंत्री को मात्र 2 हजार रूपये मानदेय/वेतनमान के रूप मे मिलते है जबकि इनके द्वारा कस्बा हमीरपुर में लाखों रूपये का मकान एवं सम्पत्ति बनाई गयी है उपरोक्त हेतु गांधी आश्रम के धन का दुरूपयोग किया गया है।
9. यह कि इनकी अवैधानिक कार्य प्रणाली एवं दबंगी से हम मजदूरों का शोषण एवं उत्पीड़न हो रहा हैं इनके साथ भारी बड़ा काफिला चलता है तथा हमेशा अपने साथ कई शस्त्र धारियों को लेकर घूमते है जिससे भयवश कोई व्यक्ति विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाता हैं।
10. यह कि समस्त पीड़ित परिवार पूर्णतयः भूमिहीन है। गांधी आश्रम ही आय का एक साधन मात्र है। यदि उक्त समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द नहीं हुआ तो हमारे बच्चे दर दर भटकेंगें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अंकित बिन्दुओं की गहराई से उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री ओम प्रकाश मिश्र के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

आपकी महान दया होगी।

दिनांक - 28.06.2005

प्रार्थीगण,
समस्त चिन्गारी सदस्य एवं
बुनकर परिवार
ग्राम जैतपुर जनपद महोबा

...नाथ सिंह को गांधी आश्रम का नया मंत्री बनाया।

अक्टूबर २००५ से गांधी आश्रम पुनः खुल गया है और पुरानी प्रक्रिया से लेनदेन भी चालू हो गया है। धीरे-धीरे बुनकर परिवार इससे जुड़ते जा रहे है व उनकी आजीविका को धीरे - धीरे एक स्थाई आधार मिलता जा रहा है। इसी क्रम में अब तक कुल ८०० परिवार आश्रम से जुड़कर अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं, जिनमें से २०० परिवार अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग से हैं उनमें भी ४५ परिवारों की महिलाएं संस्थान द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय सदस्या हैं जिन्होंने आश्रम को मुक्त कराने के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ●●●

क्या हो सकता है पैरवी से :

- पैरवी के जरिए जरूरत पड़ने पर नीतियाँ बनाई जा सकती हैं।
- पैरवी से नुकसानदेह और अप्रभावी नीतियों में बदलाव लाया जा सकता है।
- पैरवी के माध्यम से नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव दिये जा सकते हैं, जो हमारे अध्ययनों और अनुभवों पर आधारित होंगे।

(४) संघर्ष से पत्थर को सोने में बदला

गरीबी रेखा से ऊपर उठने व भूख से बचने के लिए १५ आदिवासी परिवारों को पथरीली भूमि के बदले कृषि योग्य भूमि देकर संवेदनशील परगना मजिस्ट्रेट ने एतिहासिक कार्य किया है। देश में ऐसे ही रचनात्मक प्रयासों से गरीबी दूर की जा सकती है।

ब्लाक मड़ावरा की १३ ग्राम पंचायतों के ४२ मजरों में बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान गरीब आदिवासियों दलितों के बीच कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक शोषित, पीड़ित सहरिया गोंड़ आदिवासी एवं हरिजन समुदाय हैं। पिछड़ी जाति के भी परिवार यथा ढीमर, काछी, नाई, कुम्हार दबंगों के शिकार हैं। बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान के कार्यक्षेत्र के १३ ग्राम पंचायतों की कुल जनसंख्या वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार २७१४२ है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या १३७०० एवं पिछड़ी जाति की संख्या १११६८ है। कुल २४८६८ जनसंख्या के बीच संस्थान पंचायत सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण एवं जनपैरवी का कार्य कर रहा है। यहाँ जीवन जीने के जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे - जल, जंगल, जमीन पर दबंगों का कब्जा है और यहीं इस क्षेत्र में गरीबी का मुख्य कारण है। गरीबों को समय-समय पर होने वाले पट्टे पथरीली भूमि पर किये गये हैं। दबंग लोग प्रधान होते रहे हैं। गरीब गाँव के दबंगों के यहाँ बधुंवा मजदूरी करके जीवन गुजारते रहे हैं। उनकी अपनी जमीनों की खोज-खबर करने का उन्हें पेट, रोटी और गुलामी के चक्कर में होश नहीं रहा। निरक्षरता क्षेत्र के लिए अभिशाप है। सीरोन ग्राम पंचायत का मजरा पिसनारी जहाँ सहरिया आदिवासी परिवार रहते हैं, सहरिया आदिवासी परिवारों की अधिकांशतः भूमि पथरीली है। पथरीली भूमि की वजह से ये परिवार दूसरे बड़े लोगों की कृषि मजदूरी करके परिवार पालते हैं। कई परिवार आज भी दबंगों के चुंगल में है। वह गुलामी से निकलने के लिए छटपटाने लगे हैं किन्तु प्रशासनिक संरक्षण ठीक से नहीं मिलता है। वर्ष २००३ से जनपैरवी के तहत आदिवासी गरीबों की जमीनों की ख़ोज-खबर व कब्जा दिलाने की पहल बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान ने प्रारम्भ की । इसी अभियान के तहत जब गाँव-गाँव में सम्पर्क स्थापित किया गया तब वहाँ कुछ ग्रामीणों ने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि उनका पट्टा पथरीली भूमि पर कर दिया गया है। जहाँ किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया

यहाँ जीवन जीने के जो प्राकृतिक संशाधन है, जैसे - जल, जंगल, जमीन पर दबंगों का कब्जा है और यहीं इस क्षेत्र में गरीबी का मुख्य कारण है। गरीबों को समय-समय पर होने वाले पट्टे पथरीली भूमि पर किये गये हैं।

संस्थान द्वारा उठाये गये कदम

- **गाँव-गाँव में सम्पर्क ।**
- **ग्राम पंचातों में कृषि योग्य भूमि नम्बर खोजना एवं लेखपाल से सम्पर्क साधना ।**
- **उपजिलाधिकारी को पीड़ित के प्रति संवेदित करना ।**
- **लेखपाल द्वारा पथरीली भूमि के नम्बर के बदले कृषि योग्य भूमि का नम्बर छांटकर नकल तैयार कर देना ।**
- **उपजिलाधिकारी महरौनी के न्यायालय में संस्थान के अधिवक्ता द्वारा पट्टेदारों की तरफ से वाद दायर करना। (१२ फरवरी, ०६)**
- **उपजिलाधिकारी द्वारा भूमि स्थानान्तरण का आदेश अपने अदालत से दिया गया । (२८ फरवरी, ०६)**

जा सकता है । ऐसी स्थिति में अपने पास जमीन होते हुए भी इन ग्रामीणों को भरण-पोषण हेतु यहाँ के दबंगों के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती है व उनके शोषण का शिकार होना पड़ता है। ग्रामीणों की इन समस्याओं को जानने, समझने के बाद संस्थान ने अपने अथक प्रयास के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों में कृषि योग्य भूमि नम्बर खोजना प्रारम्भ किया तथा लेखपालों से सम्पर्क साधा। उपजिलाधिकारी को पीड़ित के प्रति सम्वेदित किया गया । संस्थान का मानना था कि यदि सफलता मिली तो गरीब गरीबी रेखा से हमेशा-हमेशा के लिए ऊपर उठ सकता है। वर्तमान पथरीली भूमि से कृषि योग्य भूमि दिलाना बहुत कठिन कार्य है। हज़ारों रुपये खर्च करना और अदालत के चक्कर लगाना, फिर भी जरूरी नहीं कि कृषि योग्य भूमि मिल ही जाये। यदि जमीन मिल जाये तो कब्जा आसानी से नहीं मिल सकता है। सीरोन न्याय पंचायत के अन्तर्गत पिसनारी ग्राम पंचायत के ५ सहरिया आदिवासी परिवारों को बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान द्वारा पूर्व में पट्टा एवं कब्जा दिलवाया जा चुका है, परन्तु भूमि पथरीली, असमतल एवं ऊबड-खाबड होने के कारण बीज भी वापस नही मिल पाता था । इस सन्दर्भ में सहरिया आदिवासी परिवारों की हमेशा शिकायत रहती थी हतें भूमि मिलने का कोई फायदा नहीं मिल रहा। इस शिकायत के आधार पर बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान द्वारा भूमि हस्तान्तरण हेतु वाद अपरजिलाधिकारी महोदय के यहाँ दायर किया गया। परन्तु निर्णय में विलम्ब हो रहा था।

बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान ने अपरजिलाधिकारी महोदय को क्षेत्र भ्रमण एवं जन समस्याओं के समाधान हेतु बुलाया गया। इस अवसर पर सहरिया आदिवासियों के दर्द को रखा गया। संवेदनशील एवं ग़रीब समर्थक अपरजिलाधिकारी महोदय ने इसको गम्भीरता से लिया तथा संस्थान कार्यकर्ता एवं भुक्तभोगियों को साथ लेकर कार्यालय में आने को कहा। २८ फरवरी, २००६ को संस्थान कार्यकर्ता एवं सहरिया आदिवासी अधिकारी महोदय के कार्यालय पहुँचे। अपरजिलाधिकारी महोदय ने तत्काल एक वकील की सहायता लेकर ५ परिवारों को कृषि योग्य भूमि प्रदान की। वर्षो-वर्षो चलने वाली क़ानूनी प्रक्रिया को मात्र कुछ दिनों में समाधान दे देना, निःसंदेह मानवीय संवेदना एवं सामाजिक समर्थ हृदय ही कर सकता है। यह निर्णय निःसंदेह, ग़रीब सहरिया आदिवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है । आज ५ सहरिया परिवार स्थायी आजीविका से जुड़कर अपने-अपने खेतों कृषि कार्य कर रहे हैं ।

---

18 फरवरी 2006 को भूमि ट्रान्सफर पर जमीन पाने वाले परिवार

क्र०	नाम	पिता का नाम	जाति	गाँव	रकवा
१	मारोद	ठनुवा	चमार	पिसनारी	११०/२मि०/०.८०६ हे०
२	शामला	रल्ली	सहरिया	पिसनारी	१८८/१४मि०/०४४५ हे०
३	हरजुआ	ष्यामला	सहरिया	पिसनारी	३२६/३मि०/०.५७२ हे०
४	रामा	खरगा	सहरिया	पिसनारी	२१/४/०५मि०/०४४५ हे०
					२१/६/२१मि०/०.६११ हे०
					२१/६/२१मि०/०.६०७ हे०
५	हरपा	कलुवा	सहरिया	पिसनारी	७४/० मि०/०.८६४ हे०
				कुल	४.३८३ हे० (१० एकड़)
				सरकारी मूल्य	५००००.०० रुपये

ग्राम सोल्दा (उल्दनां खुर्द पंचायत) भूमि ट्रांसफर के मुकदमों का विवरण

न्यायालय उपजिलाधिकारी महरौनी, ललितपुर

क्र०सं०	मुकदमा नं०	नाम	आराजी नं०	रकवा (हे०में)
१	५२/२००३-०४	श्री तुलसीराम आदि बनाम ग्राम सभा तबादला	५६/१०	०.९३१
			५५/४	०.२०६
			८५/१०	०.७२५
२	५४/२००३-०४	श्री पप्पू आदि बनाम गाँव सभा तबादला	३५/२७	०.२३५
			६३ मि०	०.२८३
३	५५/२००३-०४	श्री तुलसी बनाम गाँव सभा तबादला	४४/१०	०.२३५
			५७ मि०	०.४३७
४	५६/२००३-०४	श्री लल्लू बनाम गाँव सभा तबादला	१३७	१.६१९
			६३ मि०	२.१७०
५	५७/२००३-०४	श्री जानकी आदि बनाम गाँव सभा तबादला	३५१/६	१.२१४
			६३ मि०	१.२१५
			४०० मि०	०.४०३
६	५८/२००३-०४	श्री चुन्नी आदि बनाम गाँव सभा तबादला	१३७/३मि०	१.६१९
			६३ मि०	२.१०४
७	५९/२००३-०४	श्री सुकलाल आदि बनाम गाँव सभा तबादला	१९/९	०.६०७
			४०० मि०	०.७२९
८	३७/२००४-०५	श्री हरीराम आदि बनाम गाँव सभा तबादला	३५/१५	०.४०५
			३५/१७	०.२०२
			५७ मि०	०.६०७
९	३८/२००४-०५	श्री मुन्ना आदि बनाम गाँव सभा तबादला	१३७/३ मि०	१.६१९
			४०० मि०	०.१०२
			६३ मि०	२.००४
१०	३९/२००४-०५	श्री हल्काई आदि बनाम गाँव सभा तबादला	३५/११	०.८०१
			५७ मि०	०.८०१

सोल्दा गाँव सहरिया आदिवासियों का गाँव है। वहाँ भी १० वर्ष पूर्व पथरीली भूमि के पट्टे कर दिये गये थे। संस्थान के प्रयास और निरन्तर पैरवी करते हुए ८ माह लग गया। ३० अप्रैल २००५ को परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय के निर्णय से सहरिया आदिवासी प्रसन्न हैं, जीवन खुशहाली से जीने की उम्मीद जगी है। ●●●

(५) गाँव के सात किसानों को फर्जी ऋण से मुक्ति मिली

बुन्देलखण्ड का अपना दर्द है, बुन्देलखण्ड जहाँ पिछले पांच सालों से सूखे की मार झेल रहे पाठा में बर्बादी का आलम विदर्भ से कम दर्दनाक नहीं है । यहां के किसान भी ऋण जाल में फंसकर खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं । पिछले दो वर्ष में पांच किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं । इस साल अब तक पाठा से लगभग ढेड़ लाख किसान रोज़गार की तलाश में पलायन कर चुके हैं । सूखे ने क्षेत्र में अपराधों का सिलसिला शुरू कर दिया है ।

सूखे की हालत यह है कि यहां खेतिहार जमीन की कीमत एक हजार से दस हजार रुपये प्रति बीघा तक गिर गई है, लेकिन इस पर भी कोई खरीददार नहीं है । किसानों के पारिवारिक काम अटके पड़े हैं । बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई... सब कर्ज भरोजे । किसान खेती के लिये दिये जाने वाले क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर जरूरी पारिवारिक काम कर रहे हैं । किसानों का ध्यान कहीं से कर्ज लेने और फिर उसे चुकाने पर रहता है । इस तरह ऋण जाल में फंस कर क्षेत्र के पांच किसान पिछले दो साल में खुदकुशी कर चुके हैं । इनमें चार किसान झांसी और ललितपुर जिले के और एक बांदा का था ।

बुन्देलखण्ड का दर्द

क्षेत्रफल

२९४१८ वर्ग किलोमीटर

(राज्य के क्षेत्रफल का १२.२१ प्रतिशत)

आबादी

लगभग एक करोड़

फसल

साल भर में एक फसल वो भी वर्षा पर निर्भर

सिंचित भूमि

८२०२८४ हेक्टेयर

जमीन की कीमत

सिंचित जमीन : १० से १५ हजार रुपये बीघा

असंचित जमीन : १ से १० हजार रुपये बीघा

कारखानों का औसत

एक लाख की आबादी पर १.६ जब कि उत्तर भारत का औसत एक लाख पर ६.३ है।

भूगर्भ जल स्तर

४५ से ५० सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से गिरता जल स्तर

बुन्देलखण्ड में हर साल ४५ से ५० सेंटीमीटर भूगर्भ जलस्तर नीचे खिसक रहा है । हालात ये है कि बुन्देलखण्ड के गांवों से हर साल रोजगार की तलाश में पलायन करने वालों की संख्या राष्ट्रीय औसत से तीन गुना ज्यादा है । इस इलाके से इस साल ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं । सूखे ने बुन्देलखण्ड में अपराध का नया सिलसिला शुरू किया है । कर्ज देने वाले जब किसान ने अपना पैसा वसूलने आते हैं, तो टकराव होता है । कभी-कभी बात हत्या तक पहुँच जाती है । इस साल छः माह में बुन्देलखण्ड के चार जिलों में सौ से अधिक हत्याएँ हो चुकी हैं, जिनमें बांदा में ३२, हमीरपुर में २५, चित्रकूट में २२ और महोबा में २१ घटनाएँ हुई हैं । इनमें से ५० से अधिक मामले भूमि विवाद और लेन-देन से जुड़े हैं ।

पांच वर्षों के सूखे का हाल यह है कि दो सौ बीघा के किसान का जीवन स्तर किसी मामूली सी दूकान चलाने वाले के सामने फीका है । कहीं ७ किलो सरसो बोने पर ३ किलो वापस मिल पाता है तो कहीं एक बीघे में ३ किलो चना ही मिल पाता है । इस पूरे इलाके के जिस किसान के घर परदेश में कमाने वाला कोई नहीं है, वे सब भुखमरी के कगार पर हैं । सन् २००४-०५ के एक अध्ययन के मुताबिक बुन्देलखण्ड में ८० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है। लेकिन यहां की २० प्रतिशत जमीन पर ही दो फसले ली जा सकती है । सूखे ने इस हिस्से की भी कमर तोड़ दी है। सरकारी आंकड़ों में पिछले ५० वर्षों से सिंचित क्षेत्र १५ प्रतिशत से ४० प्रतिशत हो चुका है। लेकिन लगातार और भू-गर्भीय जल के संकट के कारण स्थिति दिन ब दिन दूभर होती जा रही है । किसान इन समस्याओं की मार झेलते-झेलते आर्थिक उलझनों में इस कदर उलझ रहा है कि इससे उबरने का कोई रास्ता नहीं सूझता है । कर्ज के बोझ तले दबे किसान जब कर्ज की अदायगी के बारे में सोचते है तो रूह कांप जाती है, दबाव, धमकियों, निराशा व सामाजिक उपेक्षा का हल आत्महत्या समझ में आता है । एक ऐसा रास्ता जिसके बाद न कोई कर्ज होगा और न कोई अदायगी ।

इन्हीं कारणों से 'किसान क्रेडिट कार्ड' को 'किसान आत्महत्या कार्ड' कहना ज्यादा उचित होगा। क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से कर्ज लेना जितना आसान है, किसानों कि उचित समझ न होने के कारण व सरकार की गलत नीति के कारण, उसका भुगतान उतना ही मुश्किल हो जाता है और अंततः जब घर-जमीन के साथ-साथ अपनी इज्जत व प्रतिष्ठा भी जाती दिखाई पड़ती है, कर्ज के मकड़जाल में जब दम घुटने लगता है तो किसान एक पल का वो खतरनाक रास्ता चुनता है जिसे आत्महत्या कहते हैं । यह है विभीषिका किसान क्रेडिट कार्ड की ।

किसान क्रेडिट कार्ड फिर ट्रैक्टर कम्पनियों के दलालों का माया जाल, गरीब किसान जायें तो जायें कहाँ । किसान क्रेडिट कार्ड एक बार अगर किसान के पास आता है तो अभिशाप बन जाता है । दलाल मधुमक्खी की तरह पीछे लग जाते हैं । वे माहिर है किसानों को ट्रैक्टर के चक्रव्यूह में फँसाने में । एक बार अगर कोई किसान इस चक्रव्यूह में फँसता है तो घर-बार, खेती बाड़ी तो जाती ही है, जब इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो फिर आत्महत्या को मजबूर होते हैं । किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि कार्य कम घरेलू कार्य ज्यादा हो रहे हैं, वे कार्य जो कोई उत्पाद नहीं देते । किसान इस उम्मीद में रहता है कि अगली फसल से पैसे वापस हो जायेंगे, और मौसम आधारित खेती में अगर बारिश की मार पड़ी तो फिर हाथ से जिन्दगी तक निकल जाती है, पर कर्ज वहीं का वहीं रह जाता है ।

तुलसी ग्रामीण बैंक के मैनेजर श्री देवीचरण गुप्ता और बैंक दलाल राजकुमार ने मिलकर इन दलित परिवारों के नाम फर्जी क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, तथा जमीन बंधक कर लगभग दो लाख ८० हजार रू० निकाल लिया। एक वर्ष बीत जाने के बाद जब बैंक के कर्मचारी वसूली के लिए गाँव पहुंचे तब भुक्तभोगियों को पता चला।

बागै तथा रन्ज नदी के बीच बसा बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक का दूवाबा क्षेत्र सदियों से उपेक्षा का शिकार रहा है। यहाँ पर शोषण, उत्पीड़न, ठगी, अन्याय और अत्याचार के नित्य नये रूप उभरते रहते हैं। ऐसे ही सात दलित परिवार बैंक ठगी के शिकार हैं। अपनी जमीन, गाँव, घर छोड़कर पलायन कि स्थिति में पहुंच गये। मामला दूवाबा क्षेत्र के नरसिंहपुर का है। यहाँ के मत्थुर पुत्र भकोला, कल्लू पुत्र भकोला, बेटू पुत्र सिद्दू, मंगी पुत्र सिद्दू, मंगी पुत्र परसादी, शिवनंदन पुत्र बैजू, सजीवन पुत्र रामा के नाम से तुलसी ग्रामीण बैंक के मैनेजर श्री देवीचरण गुप्ता और बैंक दलाल राजकुमार ने मिलकर इन दलित परिवारों के नाम फर्जी क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, तथा जमीन बंधक कर लगभग दो लाख ८० हजार रू० निकाल लिया। एक वर्ष बीत जाने के बाद जब बैंक के कर्मचारी वसूली के लिए गाँव पहुंचे तब भुक्तभोगियों को पता चला। वसूली के लिए नोटिस देख भुक्त भोगियो की जबाने बंद हो गयीं, आंखो में अंधेरा छा गया। चिनगारी संगठन के सदस्य राजू को जब इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने भुक्तभोगियो की हिम्मत बंधाई और क्षेत्र में शोषण उत्पीड़न के विरूद्ध काम कर रही स्वयं सेवी संस्था परागीलाल विद्याधाम समिति के कार्यालय ले आये। जैसे ही यह मामला समिति कार्यकर्ताओं के संज्ञान में आया तो कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मुहिम छेड़ दी। कार्यकर्ताओं ने समस्या को प्रकाश में लाने के लिए सर्वप्रथम बांदा की इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया से सम्पर्क किया तथा उनसे तिथि सुनिश्चित कर भुक्तभोगियो से मीडिया का सीधा संवाद कराने के लिए दिनांक १७ मई, ०५ को पत्रकारो के साथ नरसिंहपुर गाँव पहुंच गये। मौके पर भुक्तभोगियो का मीडिया के साथ संवाद हुआ। दूसरे दिन बैंक ठगी की खबर सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। इसके बाद चिनगारी संगठन की सचिव नीलम ने आयुक्त के नाम प्रार्थना पत्र लिखकर समाचार पत्रो की कतरन

परागीलाल विद्याधाम समिति की पहल

- **भुक्तभोगियों का समिति कार्यकर्ताओं से सम्पर्क।**
- **बांदा की इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया का भ्रमण व भुक्तभोगियों के साथ संवाद- १७ मई, ०५**
- **बैंक की ठगी खबर का सभी समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशन - १८ से २३ मई, ०५**
- **चिनगारी संगठन व समिति के माध्यम से आयुक्त को प्रार्थना पत्र - २२ मई, ०५**
- **आयुक्त द्वारा बैंक चेयरमैन से रिकार्ड तलब।**
- **आयुक्त द्वारा भुक्तभोगियों को पत्र व वसूली न किये जाने की तसल्ली।**
- **बैंक मैनेजर द्वारा भुक्तभोगियों के नाम निकाले गये ऋण की ब्याज सहित (लगभग रुपये तीन लाख) अदायगी - ३० मई, ०५**
- **भुक्त भोगियों को बैंक द्वारा ऋण अदायगी का प्रमाण पत्र ।**
- **बैंक मैनेजर का निलम्बन - ३ जून, ०५**
- **बैंक मैनेजर व दलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज।**
- **दलाल को जेल।**
- **चिनगारी संगठन व भुक्तभोगियों का आयुक्त व समिति को आभार पत्र।**

क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रयासरत

चिनगारी संगठन

नरैनी रोड, करतल (बाँदा) उ0प्र0

पत्रांक

दिनांक 21.5.5

सेवा में -

मा. आयुक्त महोदय

चित्रकूट धाम मण्डल

बाँदा

मान्यवर,

नरैनी तहसील में बैंकों द्वारा लूट जारी है यहाँ के बैंक मैनेजर किसानों से क्रेडिट कार्ड बनवाने में 10 से 15% का कमीशन लेते हैं। इलाहाबाद बैंक शाखा करतल के बैंक मैनेजर [illegible] है। किसानों के फर्जी क्रेडिट कार्ड बनवाकर उनके नाम लोन निकलवा लेना यहाँ आम बात हो गई है, गोविंदपुर बिलहरका गाँव के 8 किसानों के फर्जी क्रेडिट कार्ड बनवाकर [illegible] ग्रामीण बैंक शाखा नरैनी से लगभग 3 लाख का लोन निकाल लिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि बैंकों के शोषण से मुक्ति दिलाने की कृपा करें।

भवदीय

नीलम

निदेशक

कार्यालय आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा

संख्या —मेमो/शिकायत

दिनांक मई 30 ,2005

श्री [illegible] s/o [illegible], [illegible] s/o [illegible], [illegible] s/o [illegible], [illegible] s/o [illegible], [illegible] s/o [illegible], [illegible] s/o [illegible] आदि

निवासी [illegible], तहसील नरैनी

[illegible] - द्वारा तहसीलदार नरैनी

आप द्वारा दिनांक 22.5.05 को [illegible] के सम्बन्ध में जो प्रार्थनापत्र आयुक्त महोदय को दिया गया था, की जाँच [illegible] से करायी गयी जाँच में निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः— [illegible]

अपर आयुक्त (प्रशासन)

चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा

लगाकर आयुक्त से न्याय की मांग की। इधर समिति के कार्यकर्ता भी दिनाँक २२.५.०५ को भुक्तभोगियों को साथ लेकर आयुक्त से मिले। पीड़ितो की व्यथा बताई। आयुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लिया तथा तुरन्त तुलसी ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को रिकार्ड सहित तलब कर लिया। सच्चाई पता चलने पर आयुक्त ने भुक्तभोगियो को पत्र भेजा कि यदि आपने पैसा नहीं लिया तो आपसे वसूली नही की जायेगी। उधर चेयरमैन ने भी बैंक मैनेजर पर दबाव बनाया कि इस मामले

सच्चाई पता चलने पर आयुक्त ने भुक्तभोगियो को पत्र भेजा कि यदि आपने पैसा नहीं लिया तो आपसे वसूली नही की जायेगी।

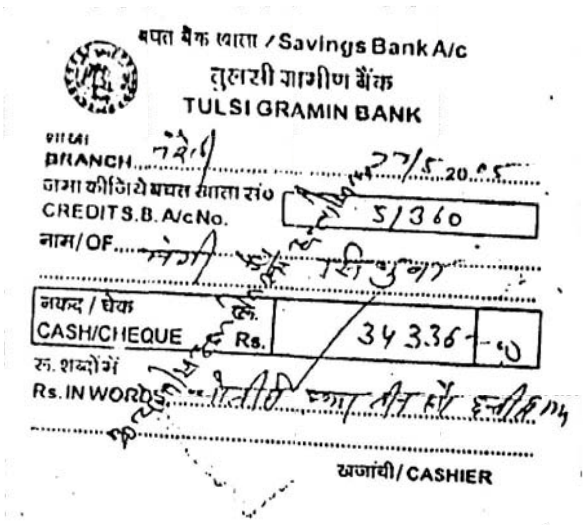

बचत बैंक खाता / Savings Bank A/c
तुलसी ग्रामीण बैंक
TULSI GRAMIN BANK
शाखा BRANCH
27/5 20.05
जमा कीजिये बचत खाता सं० CREDIT S.B. A/c No. 51360
नाम/OF
नकद / चेक CASH/CHEQUE Rs. 34336-00
रु. शब्दों में Rs. IN WORDS
खजांची/CASHIER

में आप दोषी हैं, इसलिए इस रकम को आप भरिये नही तो आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। अतंतः बैंक मैनेजर ने भुक्तभोगियो के नाम निकाला गया ऋण व्याज सहित तीन लाख रु० दिनाँक ३०.५.०५ को जमा किया तथा उसी दिन नरसिंहपुर स्वयं पहुंचकर भुक्तभोगियों से क्षमा मांगी। पैसा जमा होने के बाद एक तरफ भुक्तभोगियो को ऋण अदायगी का प्रमाण पत्र दिया गया। दूसरी तरफ

अमर उजाला
बुंदेलखंड न्यूज
दलितों के नाम 40-40 हजार फर्जी कर्ज

आज
से कर्ज तो लिया ही नहीं उल्टा भूमि जरूर गवां दी

बैंक मैनेजर को दिनांक ३.६.०५ को निलम्बित कर दिया गया तथा निलम्बन के बाद बैंक मैनेजर एवं दलाल राजकुमार के खिलाफ धारा ४७६, ४६८, ४७१, ४६६, ४२० आई०पी०सी० के तहत मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद बैंक मैनेजर स्टे लेकर जेल जाने से तो अभी बचा है। किन्तु दलाल जेल में है।

●●●

(६) सामंतवाद के खिलाफ खड़े गरीबो को अपनी धरती मिली

बाँदा जिले की नरैनी तहसील का एक गाँव है बोड़ेपुरवा। सामंती व्यवस्था की मँझधार में फँसे केवटों का गाँव। गाँव के मध्य में है ग़रीब पलायनकर्ता कचलू का घर। घर में छह प्राणी हैं। महीने भर 'पुज' जाने भर को दाना-पानी पड़ा है। उसके पास है बाढ़ निर्वासन का अतीत। पट्टे की ज़मीन में कब्जे को मोहताज़ वर्तमान और हरियाणा में ईंट-गारा उठाने-जोड़ने में चुक जाने भर को भविष्य। अपनी पत्नी के साथ कुछ बिसूरता हुआ घर की ड्योढ़ी पर बैठा था कचलू; जब २ जून ०५ की दोपहर समाजसेवी गोपाल भाई अपने हमक़दम सुपरिचित पत्रकार भारत डोगरा के साथ उसके आँगन पर जा खड़े हुए। साथ में थे अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान के निदेशक भागवत प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता गजेन्द्र सिंह, अर्चन, शशि निगम और इन सबका सारथी राजाभइया। क़लम-कागज़ वालों को देखकर लगभग पूरा गाँव कचलू के आँगन-ओसारे में उमड़ आया। भारत डोगरा के क़लम और नज़र उठाते ही शुरू हुई यहाँ आज के गुलाम भारत की दास्तान। कुल २० परिवारों की इस बस्ती में बचे-खुचे सुख, भले समान न हों पर दुख एक जैसे हैं। सबके सब पड़ोसी गाँव बिल्हरका के दबंगों के सताए हुए हैं। सबकी ज़मीन दबंग भूस्वामियों ने नोंच रखी है। पिछले २५ बरस से सबके सब सिर्फ अपनी ज़मीनों के कागज़ात संदूकों में धरे बैठे हैं। ये खेतों के कागज़ात जब भी हाथों में आते हैं अनायास आँसू टपक कर इनकी सरकारी इबारत को गाढ़ा कर देते हैं। ये कागज़ उन्हें चैन से सोने नहीं देते। जीभरकर हँसने नहीं देते। खुलकर रोने नहीं देते। जुल्म-ज़्यादती का एक पहर इंसान को तबाह कर देता है। बोड़ेपुरवा पूरे २५ बरस से जुल्म-ज़्यादती ढोता आ रहा है। सबके पट्टे की ज़मीन तो असरदारों के कब्ज़े में है ही, अपनी पैतृक ज़मीन पर भी क़दम रखने की हिम्मत नहीं। रही इन निरीह केवट परिवारों में। जिसके नाम ७-८ बीघे ज़मीन हो वह परिवार तीन दिन से भूखा पड़ा मिला। अपनी पैतृक ज़मीन पर दबंगों का कब्जा देखते-देखते अधेड़ स्वामीदीन अध पागल हो गया। उसके घर में कमाने की उम्र वाला कोई नहीं, इसलिए हरदम दाने को तरसते भीख मांगते रहना पड़ता है उसे। बरसात को छोड़कर यह दो-तिहाई गाँव मजदूर बनकर हरियाणा-दिल्ली-बम्बई-सूरत रोटी की तलाश में निकल जाता है। बच्चे, बेटियाँ, बहुएँ, बूढ़े और रोगी सबके सब महानगरों में मजदूरी करते हैं। शहर का प्रदूषित जीवन भोगते हैं। घरों में अगर रह जाती हैं तो तिथि-त्योहारों में बाट जोहती सिर्फ वृद्ध महिलाएँ।

द्रवित हुए थे राजधानी से आए सुविख्यात पत्रकार भारत डोगरा। आँखों की कोर में उमड़ आई थी संवेदना। जेब में जो भी 'किराया' पड़ा था भूख से निढाल दो-चार लोगों को चुपचाप दे बैठे। २ जून के पहले महीनों से यहाँ का दुख-दर्द लेकर आकुल-व्याकुल था परागीलाल विद्याधाम समिति का युवा सामाजिक कार्यकर्ता राजाभइया। यहाँ से लौटकर भारत डोगरा ने राष्ट्रीय ख़बरों में, लेखों में कचलू के समूचे कुनबे की त्रासदी उज़ागर की। और राजाभइया तब तक पूरी

नींद नहीं सो सका जब तक कमिश्नर से निर्देश लेकर दर्जनभर लेखपालों से इन ग़रीब केवट परिवारों की ज़मीने नहीं नपवा दी। ज़मीन तो नप गई। पर अभी भी चिंता बनी है कि खेतों पर इन ग़रीबों का पसीना टपकता रहेगा। या बहीखातों में सिर्फ आँसू ही ढलते रह जाएँगे।

गोपाल भाई के अनुसार ''यहाँ के राजनैतिक दल जनता को लुभा सत्ता में पहुँचते गये किन्तु गरीब को जीवन-यापन के लिए भूमि, जल, जंगल में हक़ नहीं दे सके। रोटी का संकट बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में है लेकिन नरैनी तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिल्हरका के छोटे से मजरे बोडेपुरवा की व्यथा दिल दहलाने वाली है। गाँव की गरीबी का आलम यह है कि यहाँ के निवासी रोटी के एक-एक टुकड़े के लिए परेशान हैं, क्षय रोग से ग्रसित कई परिवार प्राणरक्षा के लिए पलायन करते हैं। वैसे तो इस गाँव में घर-घर गरीबी व्याप्त है लेकिन विजय, स्वामीदीन, हल्के ये तीन बदनसीब परिवार पूरी तरह से भुखमरी से जूझ रहे हैं।''

परागीलाल विद्याधाम समिति की पर्यवेक्षिका मिथिला का कहना है कि यहाँ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कार्ड, कोटेदार के पास रहते थे उनसे मिलने वाली राशन सामग्री कोटेदार हज़म करते आ रहे है। आज अभी पूरा गाँव अशिक्षित है, बाहर से यदि कोई पत्र आता है तो लोग दूसरे गाँव चांदीपाठी बचवाने जाते हैं यहाँ के नौनिहालों के लिए भी आज तक आज़ाद देश की सरकार शिक्षा व्यवस्था नहीं दे सकी। बोड़ेपुरवा गाँव के ७० बच्चे विद्यालय का मुँह नहीं देख सके।''

सामुदायिक कार्यकर्ता श्रीमती शैलेन्द्र ने प्रशासनिक पहल का विवरण देते हुए बताया कि १७ जून २००५ को बांदा के इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारो की एक टीम को लेकर बोड़ेपुरवा का सघन भ्रमण हुआ। समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ की समस्यायें सुर्खियाँ बनी । बोड़ेपुरवा की पूरी व्यथा को जिलाधिकारी के सामने रखा गया उन्होंने तुरन्त सम्बन्धित विभागों को राहत पहुँचाने के निर्देश दिये। दूसरे दिन ही तहसीलदार नरैनी श्री वी०पी०सिंह राजस्व टीम के साथ गाँव पहुँच गये और सबसे पहले तो आठ परिवारों की २८ बीघा ज़मीन जो २५ वर्ष से दबंगो के कब्जे में थी, नापकर दिलवा दिया। चौकी प्रभारी करतल सलीम खाँ स्वैच्छिक एवं प्रशासनिक स्तर पर पहुँचायी गई खाद्य सामग्री लेकर गाँव पहुँचे और भुखमरी की कगार पर खड़े परिवारों को अन्न, वस्त्र, साबुन आदि का वितरण किया। एक स्वास्थ्य टीम भी मौके पर पहुँची और क्षयरोग से ग्रसित लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा उपलब्ध करायी। आपूर्ति अधिकारी ने भी वहीं पहुँचकर कोटेदार से उनके राशनकार्ड वापस करवाकर राशन सामग्री का वितरण करवाया । ●●●

बोड़ेपुरवा का अभियान

- **प्रख्यात पत्रकार श्री भारत डोगरा का भ्रमण - २ जून, ०५**
- **बांदा के इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के वरिष्ट पत्रकारों का भ्रमण - १७ जून, ०५**
- **समाचार पत्रों के माध्यम से समस्याओं को सुर्खियों में लाना।**
- **जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र व वार्ता।**
- **जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्देश।**
- **तहसीलदार द्वारा राजस्व दल के साथ भ्रमण।**

उपलब्धियाँ

- **८ परिवारों की २८ बीघा ज़मीन नापकर दी गयी।**
- **चौकी प्रभारी करतल द्वारा , स्वैच्छिक व प्रशासनिक स्तर पर पहुँचाई गई खाद्य सामग्री आदि का वितरण ।**
- **स्वास्थ्य टीम का गाँव भ्रमण क्षय रोग ग्रसित लोगों का स्वास्थ्य परिक्षण कर दवा उपलब्ध कराई गयी।**
- **आपूर्ति अधिकारी द्वारा कोटेदार से राशन कार्ड वापस करवाकर राशन सामग्री का वितरण।**

(७)भाँवरपुर - गुलामी से मुक्ति की ओर

भाँवरपुर गाँव नरैनी तहसील की बिल्हरका ग्रामपंचायत की ८०० की आबादी वाला एक मजरा है। यहाँ के भूमिहीन मजदूर दबंग दादुओं के यहाँ ५ किलो अनाज पर कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं। २५ वर्ष पहले इन्हें कृषि भूमि के पट्टे दिये गये थे किन्तु सामन्तशाही के चलते आज तक यह सभी परिवार अपनी ज़मीन पर कब्जा नहीं पा सकें। गुलामी मानसिकता में जकड़े यहाँ के लोग दासतापूर्ण जीवन जीने के लिए विवश हैं। दबंग राजस्व कर्मियों को खिला-पिलाकर भगा देते थे और गरीबों की ज़मीनो पर कुण्डली मारे बैठे रहते आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर प्रशासन द्वारा आवंटित भूमि भूमिहीनों को नापनी पड़ी । इस छोटी सी सफलता से यहाँ के गुलाम हो चुके लोगो में साहस का संचार हुआ और पीड़ित परिवारो ने उत्पीड़न से तंग आकर ५ किलो अनाज में काम न करने की सामूहिक कसम खाई तथा काम करने से इनकार कर दिया इससे दबंगो का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। बौखलाये दबंगो ने गाँव में डुग्गी पिटवा दी कि कोई भी मजदूर उनके खेत से नही गुजरेगें और न ही शौचादि के लिए उनकी ज़मीन में क़दम रखेंगे उनके कुओं से पानी भी नहीं भरेंगे। बस यहीं से इन परिवारों की मुसीबत का सिलसिला शुरू हो गया। आये दिन लोगो को घर से निकलने पर ध

भाँवरपुर घटनाक्रम - एक नज़र

- पत्रकार भ्रमण ।
- शोषकों के अत्याचार का लीड खबर के रूप में प्रकाशन
- संस्थान के निदेशक द्वारा मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी के अलावा दिल्ली, लखनऊ स्तर तक निर्णायक वार्ता
- प्रशासन द्वारा निर्देश जारी ।
- खबरों के प्रकाशन से प्रशासन का हरकत में आना ।
- जिलाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेटी जाँच के आदेश ।
- उपजिलाधिकारी द्वारा जाँच, मामले को रफा-दफा करने का प्रयास - २० मई ०५
- उपजिलाधिकारी द्वारा मनमुताबिक समझौता लिखवाकर हस्ताक्षर करवाना ।
- सी.ओ. द्वारा भी लीपा-पोती का प्रयास -२१ मई, ०५
- पुनः सहायक श्रम आयुक्त, सी.ओ. व एस.डी.एम. द्वारा गाँव वालों को धमकाने का प्रयास - २२ मई, ०५
- प्रशासन की जाँच रिपोर्ट में इस प्रकरण को गाँवदारी का मामला बताया गया ।
- भुक्तभोगियों द्वारा मण्डलायुक्त के समक्ष न्याय हेतु गुहार - २२ मई, ०५
- आयुक्त द्वारा पुनः जाँच के आदेश ।
- पहली जाँच रिपोर्ट से मिलती-जुलती रिपोर्ट जमा करना ।
- संस्थान के निदेशक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल का जिलाधिकारी से भेंट-वार्ता ।
- सहायक श्रम आयुक्त को जांच के आदेश ।
- सहायक श्रम आयुक्त का सकारात्मक रिपोर्ट ।
- दबंग के खिलाफ कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज ।

दैनिक श्री इंडिया

(जन-जन का प्यारा लोकप्रिय हिन्दी दैनिक)

डाक पंजी.-सं. टेक/पी.एम.जी.केपी /२९४/२००३ से २००५ तक

वर्ष ६ | अंक २०३ | वैशाख शुक्ल १२ | बांदा, शुक्रवार २० मई २००५ | पृष्ठ ४ | मूल्य १ रुपया

3 बुन्देलखण्ड भांवरपुर के पीड़ितों को दबंगों के अत्याचार से मुक्ति...

4 अपना शहर डाक्टर की पुत्री का निधन जिला अस्पताल...

भांवरपुर के पीड़ितों को दबंगों के अत्याचार से मुक्ति दिलायेंगे आयुक्त

श्री इंडिया संवाद

गुलामी से इंकार किया तो दबंगों द्वारा अत्याचार शुरू

डीएम ने एसडीएम और क्षेत्राधिकारी से रिपोर्ट माँगी

वह स्थान जहां ग्रामीणों ने सौगन्ध खाई

तेरह सौ में चौदह साल बंधुआ

श्री इंडिया संवाद

मकाया जाता था। अपमानित किया जाता था। दबंगो से हुकुम उदूली की हिमाकत कल्लू, कामता को भारी पड़ी। भगवानदास पटेल द्वारा इनके ऊपर पुराना कर्ज निकालकर इनसे जबरियन कर्ज़ अदा कराया जा रहा था। इस घटना की जानकारी जब परागीलाल विद्याधाम समिति के सचिव श्री राजाभइया को हुई तो पत्रकारों की टीम लेकर गाँव पहुँचे। पत्रकारो ने शोषकों के अत्याचार को लीड ख़बर के रूप में प्रकाशित किया। जिलाधिकारी से वार्ता की। ख़बर के छपते ही प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी धीरज साहू ने इस घटना की मजिस्ट्रेटी जाँच के आदेश दिये।

जाँच के लिए पहुँचा स्थानीय प्रशासन अपनी फँसती कलम देखकर घटना में पर्दा डालकर रफादफा करने की कोशिश में लग गया । २० मई, २००५ को जाँच के लिए पहुँचे उपजिलाधिकारी कुन्ज बिहारी अग्रवाल ने दोनो पक्षो को इकट्ठा कर समझाने बुझाने के प्रयास किये। मामला आगे बढ़ाने से भुक्तभोगियों को रोका, न मानने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की धमकी दी। गाँव वालो से अपने मनमुताबिक समझौता लिखवाकर हस्ताक्षर भी करवाये। २१ मई को सी०ओ० नरैनी तेजपाल सिंह गये, उन्होंने भी उपजिलाधिकारी महोदय के मार्ग में चलकर मामले की लीपा-पोती की कोशिश की। २२ मई को पुनः सहायक श्रम आयुक्त, सी०ओ० तथा एस०डी०एम० गाँव पहुँचे और अपने हको के लिए लामबन्द हुए पीड़ित पक्ष को समझाने, धमकाने का प्रयास करते रहे। प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी को दी गई जाँच रिपोर्ट में इस प्रकरण को गाँवदारी का मामला बताया गया, मामला को दबता देख भुक्तभोगियों ने पुनः २२ मई, २००५ को मण्डलायुक्त विजयशंकर पाण्डेय से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। आयुक्त ने पुनः एस०डी०एम०, बांदा और सी०ओ०, अतर्रा को जाँच हेतु भेजा चूँकि पूर्व में अधिकारियों द्वारा की गयी जाँच प्रशासन को भेजी जा चुकी थी। इसलिए इन अधिकारियों ने भी अपना बचाव पक्ष लेते हुए उसी से मिलती जुलती रिपोर्ट कमिश्नर को भेजी। इस प्रकरण को प्रशासन द्वारा बार-बार दबाने पर अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान के निदेशक भागवत प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल पुनः जिलाधिकारी से मिला, जिलाधिकारी ने पुनः सहायक श्रम आयुक्त को जाँच हेतु भेजा। सहायक श्रम आयुक्त जब दूसरी बार जाँच के लिए गये तो इस बार उनका व्यवहार सकारात्मक था। वे भुक्तभोगियो से मिले, और स्वीकार किया कि ग़रीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इस प्रकरण में दबंग के खिलाफ कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज़ करने को कहा।

बोड़ेपुरवा, भाँवरपुर, रानीपुर की सच्चाई को प्रशासन भले ही नकारता रहे लेकिन आज़ादी की अर्ध शताब्दी बीतने के बाद भी गावों का यह भारत आज भी इन गाँवों में गुलाम है।

(८) भूरी ने पाया ज़मीन पर कब्जा

दासता का जीवन जी रही भूरी को स्वयं पता नहीं था कि हाथ पीले होते ही मुझे गुलामी के धधकते भार में तपना पड़ेगा। पति जुम्मन गाँव के जमींदार भगवान पटेल के यहाँ बन्धुआ थे, भूरी भी अपने दो बच्चों सहित मालिक का कारोबार बढ़ाने में पति के साथ काम करती थी पति जुम्मन तो मालिक की तमाम यातनाओं को सहनकर काम करते-करते अपनी जवानी में ही देश दुनिया से चले गये, विधवा भूरी बच्चों का पालन-पोषण करती हुई दिन भर मेहनत मजदूरी करके जीवन बिताती रही। ६ बीघा ज़मीन थी, उसमें भी दबंगों ने कब्ज़ा कर रखा था । शोषण, उत्पीड़न भरा १५ वर्ष का लम्बा समय व्यतीत कर अप्रैल २००५ में पुनः भगवान दास ने १८०० रु० का कर्ज़ निकालकर अपने यहाँ बन्धुआ काम के लिए बाध्य कर दिया। मालिक का यह फरमान भूरी को नागवारा गुजरा और वह उस क्षेत्र में काम कर रही सामाजिक संस्था परागीलाल विद्याधाम समिति के कार्यकर्ताओं से अपनी व्यथा कह डाली। दबंगों के यहाँ पैरों तले रौंदी जा रही मानवता को समिति कार्यकर्ताओं ने चुनौती के रूप में स्वीकार कर गुलामी की जंजीरे तोड़ने का निर्णय ले लिया और लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में मान्यता प्राप्त मीडिया के ऊर्जावान साथियों को गाँव ले जाकर दबंगों के कहर से साक्षात्कार करवाया। भांवरपुर का यह प्रसंग इलैक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ। खबर प्रकाशित होते ही जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया। डी०एम० श्री धीरज साहू ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिये, तुरन्त ही एस०डी०एम० व सी०ओ० नरैनी, जांच के लिए गाँव पहुँचे जब इन अधिकारियों द्वारा दबंगो के यहाँ ही बैठकर जाँच की खाना-पूर्ति की गयी तो दुबारा भुक्तभोगी आयुक्त से मिले। आयुक्त ने पुनः जांच करवायी। दो माह तक लगातार जांच पर जांच का सिलसिला चलता रहा। अन्ततः जेल पहुँचने की कगार में खड़े भगवान दास पटेल ने अपने राजनैतिक प्रभाव से प्रशासन की आवाज धीमी कर उपजिलाधिकारी नरैनी के यहाँ शपथ पत्र दिया कि वे भूरी के यहाँ अब किसी प्रकार का कर्ज बकाया नहीं हैं। अब मैं इससे न तो कर्ज की वसूली करुंगा न ही अपने यहाँ काम के लिए बाध्य करूँगा। भूरी ने अपने जमीन को भी दबंगो से मुक्त किये जाने की प्रार्थना पत्र रखी थी उसी प्रार्थना में ही प्रशासन ने पुलिस बल के साथ भूरी की ज़मीन भी नापकर दे दिया। २० वर्षों बाद अपनी ज़मीन पर कब्जा पाकर भूरी आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो उठी और अपने उस खेत में धान की फसल बोया। फसल कटने के बाद पहली बार २५ मन धान पाकर भूरी अब सुकून का अनुभव कर रही है। उसी खेत में गेहूँ की लहलहाती फसल भी खड़ी है।

दबंगों के यहाँ पैरों तले रौंदी जा रही मानवता को समिति कार्यकर्ताओं ने चुनौती के रूप में स्वीकार कर गुलामी की जंजीरे तोड़ने का निर्णय ले लिया और लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में मान्यता प्राप्त मीडिया के ऊर्जावान साथियों को गाँव ले जाकर दबंगों के कहर से साक्षात्कार करवाया।

२० वर्षों बाद अपनी ज़मीन में कब्जा पाकर भूरी आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो उठी और अपने उस खेत में धान की फसल को पहली बार बोया। फसल कटने के बाद पहली बार २५ मन धान पाकर भूरी अब सुकून कर अनुभव कर रही है।

(९) सरजूबाई के संघर्ष ने रचा इतिहास

उदासीनता की राख के बीच में ही सुलगती चिंगारियों की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है। सरजूबाई एक ऐसी ही चिंगारी का नाम है। इन्दौर में जन्मी, पली-बढ़ी सरजू से आज धौरीसागर में उगते हुए सूरज की आशामयी किरणें प्रकट हो रही हैं।

सरजूबाई ललितपुर जनपद के ब्लाक मड़ावरा की धौरीसागर न्याय पंचायत के धौरी मजरे की रैकवार समुदाय की महिला है। धौरीसागर एक ऐसी ग्राम पंचायत है, जहाँ दबंगों की हवा में ग़रीब साँसे लेता है। महिलाएँ जहाँ आज भी पाँव में चप्पल पहनने की बजाय हाथ में चप्पल लेकर बस्ती में निकल पाती हैं। मात्र २३ प्रतिशत साक्षरता दर वाली पंचायत की एक महिला का अपने बूते पर चुनाव लड़ना भी एक क्रांतिकारी क़दम था। सच ही कहा है कि प्रतिभा किसी जगह विशेष की थाती नहीं होती। सरजूबाई धौरीसागर ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य समिति की अध यक्ष है। टीकाकरण, पल्सपोलियो अभियान के समय स्वयं सेवक की भूमिका में सरजू को सक्रिय भूमिका में देखा जा सकता है।

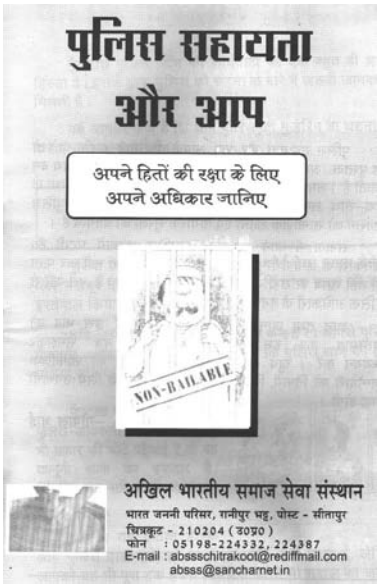

बुंदेलखण्ड सेवा संस्थान द्वारा आयोजित पंचायत प्रतिनिधि/समिति क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण में सरजूबाई की उपस्थिति नियमित है। महिला पंचायत प्रतिनिधि आंदोलन दिल्ली में ललितपुर का प्रतिनिधित्व किया। स्वयं सहायता संघ निर्माण प्रशिक्षण चित्रकूट में जाने का अवसर भी मिला। सरजूबाई प्राथमिक विद्यालय धौरीसागर में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को भोजन बनाकर खिलाने का काम पा गई है। पूरा गाँव उसे 'इंदौरवारी' के नाम से जानता है। स्पष्ट वक्ता, आज़ाद ख्यालों की निडर सरजू एक दिन पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण (सितम्बर २००४) से अपने घर शाम ६ बजे वापस जा रही थी। उसके हाथ में थी एक पुस्तक 'पुलिस सहायता और आप' बगल की सीट पर बैठे गाँव के एक व्यक्ति से संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के अनुभवों की चर्चा कर रही थी कि पीछे बैठे पिसनारी गाँव के दबंग ने दबंगई से चर्चा पर विराम लगाना चाहा। सरजूबाई को कब आज़ादी में अनावश्यक हस्तक्षेप रास आया है जो चर्चा को बीच में बंद कर देती। बात बढ़ी, आवाज़ें ऊँची हो गईं। सबका ध्यान केन्द्रित हो गया उन पर। बात हाथापाई से आगे लात-घूँसों के प्रहार तक पहुँच गई। दबंग बाप-बेटे ने मिलकर भरी बस में सरजूबाई के सीने पर बेरहमी से लात-घूँसों का प्रहार किया। बस में सन्नाटा छा गया। बीच-बचाव की मर्दानी हिम्मत किसी मर्द ने नहीं दिखाई। पिसनारी गाँव आया तो दबंग उतर गए। सरजूबाई के सीने की चोटों ने उसे बेहोशी

दबंग बाप-बेटे ने मिलकर भरी बस में सरजूबाई के सीने पर बेरहमी से लात-घूँसों का प्रहार किया। बस में सन्नाटा छा गया। बीच-बचाव की मर्दानी हिम्मत किसी मर्द ने नहीं दिखाई।

की हालत में पहुँचा दिया। होश रहने तक सरजूबाई के कानों में आवाज़ें किन्हीं गर्म सलाखों की तरह चुभती रहीं कि;. ...'उनसे क्यों झगड़ा मोल लिया?,..'वे बहुत खराब हैं',..'किसी दिन जान से मार डालेंगे।' कराहते-कराहते सरजूबाई पूरी तरह बेहोश हो गई। धौरीसागर आ गया। गाँव के लोगों ने सरजूबाई को होश में लाने के प्रयास किए। बेहोशी टूटी। उसने पुलिस चौकी तक जाकर प्राथमिकी दर्ज़ कराने की हिम्मत की तो लोग पकड़कर साईकिल से लिवा गए। चौकी पर उपस्थित चौकीदार ने कहा; 'मामला मड़ावरा थाने का है, क्योंकि जिस स्थान पर घटना घटी वह मड़ावरा थाने में आता है। आप वहाँ जाइए।' सरजूबाई असहाय सी घर लौट आई। रात काफी हो चुकी थी। उस समय मड़ावरा थाने तक जाने का अर्थ होता है कि २० किमी० जंगली रास्ते से चलना, तब कहीं थाने पहुँचना। सरजूबाई की स्थिति ने साथ नहीं दिया। जैसे-तैसे रात गुजर गई।

सुबह पहली बस से सरजू मड़ावरा थाने पहुँची। थानाध्यक्ष को सारी घटना सुनाई। दिनांक १७ अगस्त को सरजू की आपबीती पर जब थानाध्यक्ष ने कहा कि; 'प्रार्थना-पत्र अन्दर दे दो, रिपोर्ट लिख लेंगे।' प्रार्थना-पत्र काल-कोठरी में पहुँचा दिया गया। प्राथमिकी दर्ज़ की रसीद उसे नहीं दी गई, ऊपर से सरजू की पीड़ा पर ही लांछन लगा दिया गया कि हो सकता है तुम्हें श्वाँस की बीमारी हो इसलिए साँस लेने में परेशानी हो रही है। सरजू इस लांछन को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहाँ से चल दी। दरबाजे पर दरबान ने सलाह दी; 'अगर दस-बीस रुपए हों तो मैं लिख दूँ रिपोर्ट।' सरजू ने एक बार उसका चेहरा देखा और कहा कि पैसे लेने जा रही हूँ। अभी आऊँगी। वह सीधे संस्थान कार्यालय पहुँची। उसके सीने में आयी आन्तरिक चोटों के हरे-नीले निशान देखकर संस्थान ने पहले प्राथमिक उपचार कराना ज़रूरी समझा। कार्यकर्ता हरीचंद के साथ सरजू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मड़ावरा भेजा गया। दवा ज़रूरी थी, इसलिए यह बताया गया कि सीढ़ियों से गिर गई है। दवा के बाद सरजू घर चली गई। थाने में प्रार्थना-पत्र देने का कुछ परिणाम नहीं निकला। अगले दिन सरजू फिर मड़ावरा थाने गई। पूछा तो ज़वाब मिला कि प्रार्थना-पत्र खो गया है, फिर से लिखकर लाओ। सरजू हाँ कह कर वहाँ से चल दी। संस्थान पहुँची। अबकी बार प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक ललितपुर के नाम लिखा गया। सरजू स्वयं एसपी से मिलने गई, प्रार्थना-पत्र दिया। साथ में पर्यवेक्षिका आशा भी थी। वहाँ से वायरलेस करके घटना की जानकारी मड़ावरा थाने से ली गयी और तुरन्त कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। घटना की जानकारी समाचार-पत्रों के जिलास्तरीय मुख्यालयों को दी गई। सत्तासीन पार्टी के जिलाध्यक्ष को भी घटना से अवगत कराया गया। कुछ होने की उम्मीद के साथ सरजूबाई घर लौट आई। घटना के दिन से यह चौथा दिन था। पाँचवें दिन पुलिस दबंगों को पकड़ लाई। राज़ीनामा के लिए सरजूबाई को थाने बुलाया गया। दबंगों ने सरेआम सरजू से माफी मांगी और कहा कि; 'हमें नहीं मालूम था कि आप इतनी जागरूक हैं, ललितपुर तक

दबंगों ने सरेआम सरजू से माफी मांगी और कहा कि; 'हमें नहीं मालूम था कि आप इतनी जागरुक हैं, ललितपुर तक पहुँच जाएँगीं, अंततः इस बात पर कि आगे कभी ऐसा दोहराव न हो समझौता कर लिया गया। यह पूरे क्षेत्र की पहली ऐसी घटना थी जब किसी दबंग को हथकड़ी डालकर उपजिलाधिकारी की अदालत तक जाना पड़ा। एक महिला से माफी मांगनी पड़ी।

इस जंग में कौन जीता, कौन हारा ? यह अलग सवाल है लेकिन भारत माता की दुलारी का इस तरह अपनी ही माटी पर पीटा जाना हमारे सारे शक्ति- उपासना की दलीलों पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। हमें कटघरे में खड़ा करता है कि हम थोड़ा रुककर सोचें-विचारें कि हमारा व्यवहार, हमारे सिद्धांतों पर कितना अमल कर रहा है।

पहुँच जाएँगीं, अंततः इस बात पर कि आगे कभी ऐसा दोहराव न हो समझौता कर लिया गया। यह पूरे क्षेत्र की पहली ऐसी घटना थी जब किसी दबंग को हथकड़ी डालकर उपजिलाधिकारी की अदालत तक जाना पड़ा। एक महिला से माफी मांगनी पड़ी। दबंग ने भैंसों द्वारा सरजू की फसल चराने पर सरजू द्वारा भैंसों को कांजीहाऊस में बंद करवाने की जुर्रत का बदला बस में चुकाया और सरजू ने अपने अपमान का बदला उनको हथकड़ी पहना कर चुकाया। इस जंग में कौन जीता, कौन हारा ? यह अलग सवाल है लेकिन भारत माता की दुलारी का इस तरह अपनी ही माटी पर पीटा जाना हमारे सारे शक्ति-उपासना की दलीलों पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। हमें कटघरे में खड़ा करता है कि हम थोड़ा रुककर सोचें-विचारें कि हमारा व्यवहार, हमारे सिद्धांतों पर कितना अमल कर रहा है। हम कैसे समाज के निर्माण की रूपरेखा बनाने की दिशा में हैं । सरजूबाई मात्र दो दर्ज़ा तक पढ़ पाई, लेकिन स्वाभिमान से जीना उसने उतने में ही सीख लिया । अपनी पंचायत में हो रही मनमानी के विरुद्ध उसने आवाज़ उठाई, स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं के नियमितीकरण व व्यवस्थीकरण के लिए अनेक प्रार्थना-पत्र लिखे। गाँव चाहता है कि सरजूबाई आगामी चुनाव में पंचायत की प्रधान बने। खुला समर्थन उसे मिल रहा है। अब सरजूबाई 'चिंगारी संगठन' मड़ावरा की संयोजक सदस्य भी है। फरवरी २००५ में पुणे से श्री अशोक गोपाल ने सरजूबाई से साक्षात्कार किया, जिसकी रिपोर्ट इंटरनेट वेवसाइट पर उपलब्ध है । आज ग़रीब ग्रामीण सरजूबाई के गुणो से विश्व परिचित हो रहा है। सरजूबाई में समायी सेवा भावना ने उसे इस स्तर तक पहुँचाया है। गाँव की माटी सरजूबाई से बहुत कुछ चाहती है। ●●●

■ पैरवी की भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। पैरवी करते समय सटीक भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है। उदाहरण के लिए कई बार पॉवर्टी एलिविएशन (निर्धनता में कमी लाना) और पावर्टी इरैडिकेशन (निर्धनता—उन्मूलन) शब्दों का उपयोग एक ही अर्थ में कर दिया जाता है, जबकि इनके अर्थ अलग—अलग हैं।

■ पैरवी दो प्रकार की होती है — एक क्षेत्र की पैरवी जहां योजनाएं क्रियान्वित की जाती है और दूसरी नीति पैरवी। क्योंकि नीति को क्षेत्र स्तर पर बदला नहीं जा सकता इसलिए एक अलग प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत होती है। नीति—पैरवी के लिए विषय का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, सामान्यत— आमतौर पर यह बात स्वीकार की जाती है कि महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता, किन्तु इस विषय पर पर्याप्त शोध नहीं किया गया है। नीति—पैरवी के अंतर्गत हम सलाह देते हैं और नीतियों के प्रति अपना नजरिया प्रस्तुत करते हैं। सरकार तभी हमारी बात सुनती है जब नैतिक दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से हमारी स्थिति बेहतर होती है।

■ सरकारी कार्यक्रमों पर ध्यान केंन्द्रित करने के पीछे मूल तर्क यह है कि सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े ग्रामीण आबादी के प्रति उसकी वचनबद्वता को दर्शाते हैं। नागरिक समाज संगठनों (सी.एस.ओज) के लिए यह राज्य की जवाबदेही का एक सूचक है।

■ पैरवी कार्य के दौरान यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि पैरवी करने वाले संगठन जवाबी हमले/टकरावपूर्ण स्थितियों के लिए किस हद तक तैयार हैं।

(१०) श्रमिक संगठित हुए तो मजदूरी मिली

- तीन माह तक 'काम के बदले अनाज' मजदूरी के लिए चला सघर्ष
- १०६ मजदूरो की १०० कुंतल गेहूँ तथा ५० हज़ार रुपए की बकाया मजदूरी दिलाई
- गोवर्धनपुर तालाब भ्रष्टाचार से अभी भी लबालब
- बाँसी तालाब में ट्रैक्टर से खुदाई कर 'फूड फार वर्क योजना' को ठिकाने लगाया

बांदा जनपद में प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में शासन द्वारा लोगों को काम देने, श्रमशक्ति का पलायन रोकने एवं तालाबों का जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से फूड-फार-वर्क के अंतर्गत लाखों रुपये का प्रावधान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी तत्काल भुगतान किये जाने की आवश्यकता होती है ताकि कार्य कर रहे परिवारों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनाज एवं पैसा मिलता रहे। सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस योजना के धन को हडपना सबसे आसान समझा जाता है। क्योंकि बारिश हो जाने पर कार्यों की जांच की कोई गांरटी नहीं रह जाती। दिखा दिया जाता है कि कार्य तो करवाये गये हैं किन्तु मिट्टी बारिश में बह गयी। इस प्रकार मजदूरों को जो काम उनके गाँव में मिल सकता है वह उन्हें नहीं मिल पाता, गाँव का विकास कार्य इसका खामियाजा भोगता है व जनता के पैसे से ठेकेदारों की जेब मोटी होती है । परिणाम, ग्रामीणों का पलायन व गाँव की दुर्गति । कृष्णार्पित सेवाश्रम अतर्रा द्वारा संचालित पैक्स परियोजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरईमानपुर के गांधी तालाब में अप्रैल एवं मई २००५ में काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत खुदायी का काम कराया गया। तालाब खोदते हुये एक माह बीत जाने पर मजदूरों ने मजदूरी की माँग की तब प्रभारी सचिव द्वारा कहा गया कि आपके अनाज का भुगतान सहकारी समिति के द्वारा किया जायेगा। मजदूर लगातार २ माह अप्रैल, मई में इस आशा में तालाब खोदते रहे कि मजदूरी का भुगतान हो जायेगा। कई परिवारों का भुगतान २ माह तक न मिलने से वे भूखों मरने के कगार पर पहुँच गये। मजदूरों ने संस्था के सहयोग से १८ जून को जिला प्रशासन के समक्ष गुहार लगायी, तब मात्र ३० कु० गेहू का भुगतान किया गया। शेष धन एवं अनाज को ठिकाने लगाने की व्यवस्था ब्लाक प्रशासन द्वारा लगभग कर ली गई थी । संस्था कार्यकर्ताओं ने बी०डी०ओ० से इस संदर्भ में निरंतर प्रार्थना की किन्तु आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। ठोस पहल के अंतर्गत संस्था द्वारा जनपद के मीडिया कर्मियों के भ्रमण का आयोजन कर मौके पर तालाब में ही मजदूरों का सीधा साक्षात्कार करवाया गया। प्रमुख समाचार पत्रों एवं सहारा टी.वी., इलेक्ट्रानिक चैनल द्वारा मजदूरों के भूखों मरने की नौबत आने के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित/प्रसारित किया गया। प्रदेश स्तर पर बात पहुंच जाने पर डरकर ब्लाक प्रशासन द्वारा २८ जून को ३ माह बाद १०६ मजदूरों की १०० कुं० गेहूँ एवं ५० हजार रू० की बकाया मजदूरी का भुगतान किया गया। इसी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत जरर के मजरा गोवर्द्धनपुर में तालाब खुदवायी का कार्य करवाया गया। इस तालाब हेतु ४ लाख २५ हजार रुपये का कार्य प्रस्तावित था लेकिन मौके पर आधे से भी कम लागत का काम करवाया गया और

... बरईमानपुर के गांधी तालाब में अप्रैल एवं मई २००५ में काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत खुदायी का काम कराया गया। .... मजदूर लगातार २ माह अप्रैल, मई में इस आशा में तालाब खोदते रहे कि मजदूरी का भुगतान हो जायेगा। कई परिवारों का भुगतान २ माह तक न मिलने से भूखों मरने के कगार पर पहुँच गये।

प्रदेश स्तर पर बात पहुंच जाने पर डरकर ब्लाक प्रशासन द्वारा २८ जून को ३ माह बाद १०६ मजदूरों की १०० कुं० गेहूँ एवं ५० हजार रु० की बकाया मजदूरी का भुगतान किया गया।

आधा अधूरा छोड दिया गया । ६० मी० का घाट का निर्माण होना था किन्तु २५ मी० का ही निर्माण कराया गया है। मानक के अनुरूप कार्य न होने से घटिया सामग्री का प्रयोग करने पर सीढ़ियां उखड़ने लगी हैं। तालाब में ३ पुलियों के निर्माण का भी प्रस्ताव था लेकिन एक भी पुलिया नहीं बनवायी गयी। श्रमिकों को निर्धारित दर पर मजदूरी नहीं दी गयी है। इस समस्या के समाधान हेतु गाँव के लोग एकत्र होकर जिला प्रशासन के समक्ष गया। तब जाकर ४० मजदूरों की अवशेष एवं निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान किया गया। काम में गुणवत्ता की गड़बड़ी की जांच प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार उ०प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ लखनऊ द्वारा ग्राम बरईमानपुर के देवी तालाब एवं बांसी के तालाब में ट्रेक्टरों द्वारा खुदायी की गयी। जब कि कार्य काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत होना था। बरईमानपुर के तालाब की खुदायी का कुल स्वीकृत बजट ३ लाख के सापेक्ष ४० हजार में ट्रेक्टरों द्वारा खुदायी करवा दी गयी। ग्राम पंचायत बांसी में कुल स्वीकृत बजट ३ लाख ३४ हजार रुपये के स्थान पर मात्र ७० रुपये का कार्य ट्रेक्टरों द्वारा १ फुट खुदायी के रूप में करवाया गया है। इस प्रकार की सरेआम लूट और गरीबों के पेट पर लात मारने की घटनाओं के प्रार्थना पत्र लोगों को जागरूक कर जिला प्रशासन को सौंपे गये हैं। इसकी जांच ब्लाक बड़ोखर के जेई द्वारा की जा रही है। हाड़तोड़ मेहनत के बावजूद समय पर भुगतान न देना, मजदूरी माँगने एवं शिकायत करने पर जाँच पर जाँच बैठा देना, सरकारी एवं प्रशासनिक अमले की आदत सी बन गयी है। सम्पूर्ण प्रकरण को हकदारी के स्थान पर, इतना घुमा-फिरा देना कि मजदूर वर्ग जो रोज का कमाना, रोज का खाना के सिद्वान्त पर जीता है, टूट जाये और अपनी मजदूरी की माँग करना छोड़ दे। ऐसे में बुन्देलखण्ड में ग़रीबी, भुखमरी, पलायन नहीं होगा तो क्या होगा? यह हमारे प्रशासनिक तन्त्र की अकमंण्यता एवं संवेदन हीनता ही है कि ग़रीबो का निवाला उनसे छीनकर भ्रष्टचार का शिकार हो रहा है। ऐसे प्रकरणों में निःसंदेह संस्थान, जनसंगठन पहल तो करते हैं परन्तु सुरसा के मुख की तरह लम्बी होती जाँच प्रक्रिया हतोत्साहित भी करती है । इस प्रकार गरीबों के कल्याण एवं भूख मिटाने के लिये आवंटित धन का उपयोग गरीबों का ही खून चूसने के लिये किया जा रहा है। ५० डिग्री सेल्सियस के तापमान में मजदूरों से दिन भर काम करवाना और मजदूरी के नाम पर एक धेला न देना 'फूड-फार-वर्क' योजना की उपयोगिता का खुलासा करने के लिए पर्याप्त है। संस्था ने इस प्रकार के भ्रष्ट प्रयासों से लड़ने के लिए गरीबों/मजदूरों को चिनगारी संगठन के रूप में संगठित किया है। लोगों में इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस एवं आत्म विश्वास बढ़ा है।

काम के बदले अनाज योजना की बिसंगतियाँ -

- **इसी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत जरर के मजरा गोवर्द्धनपुर में तालाब खुदवायी का कार्य करवाया गया। इस तालाब हेतु ४ लाख २५ हजार रुपये का कार्य प्रस्तावित था लेकिन मौके पर आधे से भी कम लागत का काम करवाया गया और आधा अधूरा छोड दिया गया ।**
- **बरईमानपुर के तालाब की खुदायी का कुल स्वीकृत बजट ३ लाख के सापेक्ष ४० हजार में ट्रेक्टरों द्वारा खुदायी करवा दी गयी ।**
- **ग्राम पंचायत बांसी में कुल स्वीकृत बजट ३ लाख ३४ हजार रुपये के स्थान पर मात्र ७० रुपये का कार्य ट्रेक्टरों द्वारा १ फुट खुदायी के रूप में करवाया गया है ।**

(११) चिनगारी संगठन, सशक्तीकरण एवं हक़दारी की ओर

चिनगारी का अपना गुण धर्म है । वह राख में दबकर सुलगती है, जिन्दा रहती है । थोड़ी सी हवा पाकर पूरे अस्तित्व में आती है । आंच देती है, कुछ भी बर्फ नहीं होने देती । कुछ ऐसा ही गुण धर्म जान-समझ कर बुन्देलखण्ड में एक संगठन ने आकार लिया एक ऐसा संगठन जिसका नेतृत्व महिलाओं के मत्थे है ।

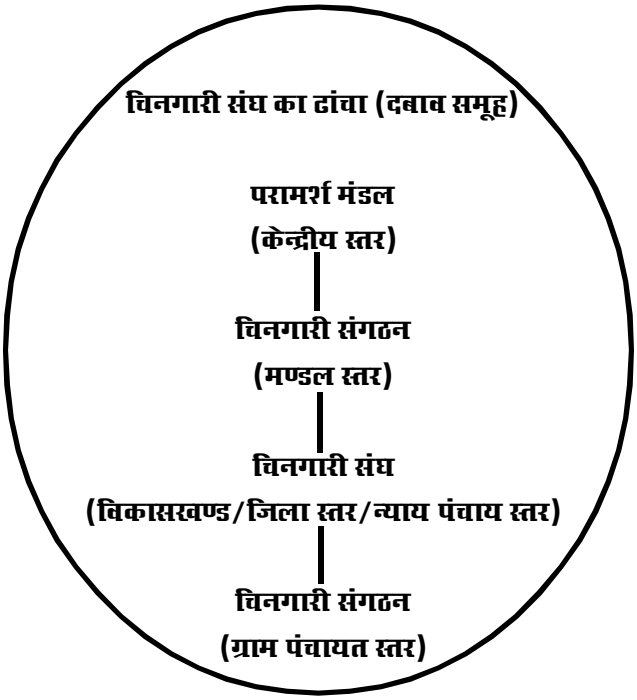

चिनगारी संगठन एक ऐसी संगठन की कल्पना है जो विचारवान, सक्षम, समझदार हित में काम करने वाले प्रबुद्धजन एवं ऊर्जावान नवयुवक, नवयुतियों का ऐसा समूह होगा जो समाज हित में अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु दबाव बनाने का कार्य करेगा । इसका उद्देश्य शासन-प्रशासन के स्तर पर नीतिगत बदलाव हेतु दबाव बनाना, शोषण, उत्पीड़न व गरीबों के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए हस्तक्षेप की भूमिका में खड़ा होना, प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रबन्धन, सदुपयोग एवं नियंत्रण पर बल देना व सरकारी योजनाओं पर निगरानी रखना है ।

ऐसे ही एक चिनगारी सगठन ने कुडई न्याय पंचायत में संगठित होकर किसान सेवा केन्द्र को दबंगो के कब्जे से मुक्त कराकर अपनी सामूहिक शक्ति का परिचय दिया। न्याय पंचायत कुड़ई के सभी गाँव कुड़ई, गुढ़ा, हंसला, बसरिया, पराऊवारी, खेरिया खुर्द, राजौनी पचारा, छितरवारा, सांगरपुरा, खेरिया कला, थुरट आदि के किसानों को खाद बीज हेतु ग्राम कुडई से २० से २५ कि०मी० दूर जैतपुर जाना पड़ता था। जिससे किसानों को ३० रुपये भाड़ा खर्च भी लग जाता था और किसानों को एक या दो दिन तक का समय भी बर्बाद करना पड़ता था। लाखों की लागत में बने किसान सेवा केन्द्र का निर्माण कार्य ६ अप्रैल १९९१ को हुआ था, लेकिन आज तक इस भवन का कोई उपयोग नहीं किया गया था। इस भवन में दबंगों का अवैध रूप से कब्जा हो गया था। भवन का दबंगों द्वारा जानवर, भूसा, लकड़ी, कंड़ा आदि के रखने हेतु इस्तेमाल किया जाता था। इस उत्पीड़न से न्याय पंचायत के सभी किसान ग्रसित थे। अरुणोदय संस्थान के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याओं का संकलन किया और संबंधित अधि

लाखों की लागत में बने किसान सेवा केन्द्र का निर्माण कार्य ६ अप्रैल १९९१ को हुआ था, लेकिन आज तक इस भवन का कोई उपयोग नहीं किया गया था । इस भवन में दबंगों का अवैध रूप से कब्जा हो गया था।

ाकारियों को श्री उत्तम चन्द्र, श्री रामलखन, श्रीमती गीता, श्रीमती परवीना बानों को प्रार्थना पत्र लिखने हेतु प्रेरित किया, लेकिन एक दो बार की पैरवी पर किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। २६ जनवरी, २००६ को चिनगारी संगठन के सदस्य श्री उत्तम चन्द्र वर्मा निवासी कुडई ने इस समस्या की चर्चा बीज गोदाम के सचिव महोदय से की और कहा कि गोदाम को चालू किया जाये। इस पर श्री उत्तम चन्द्र के साथ में गयी महिलाओं ने इस बात का समर्थन किया साथ ही रोष व्यक्त किया। जिस पर सचिव का जवाब था कि सही रोड न होने के कारण आपका किसान सेवा केन्द्र बन्द पड़ा है और मजबूरी में हमें किराये का मकान लेकर जैतपुर में गोदाम का सारा सामान रखना पड़ रहा है। जिस पर चिनगारी के लोगों का जवाब था कि हमारे गाँव में ट्रक, ट्रैक्टर, जीपे आदि सभी वाहन पहुँच जाते हैं पर आपके यहाँ से सामान ले जाने वाले साधन क्यों नहीं पहुँच पाते ? इस प्रकार की नोंक-झोक के बाद चेतावनी देकर चिनगारी सगंठन के लोग वापस आ गये। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत कुडई में संस्थान की ओर से चिनगारी संगठन की बैठक बुलायी गयी। बैठक में इस मुद्दे पर विधिवत चर्चा हुयी। चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि क्यों न मीडिया के लोगों को लाकर अपनी इस समस्या को समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर किया जाये। साथ ही संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्रों के माध्यम से पैरवी कर प्रक्रिया में तेजी लाई जाये।

किसान सेवा केन्द्र में अवैध कब्जा किये हुये बाहुबलियों को नजर अंदाज करते हुए लोगों ने अन्दर जाकर कमरों को खोलकर विधिवत ढंग से फोटो खिंचवाई साथ ही इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा गोदाम में रखे समान व अवैध कब्जे को कैमरे में कैद करवाया।

अरुणोदय संस्थान ने दिनाँक २७.०१.०६ को मीडिया प्रतिनिधियों को लेकर पत्रकार भ्रमण का कार्य किया जिसमें पूरी न्याय पंचायत के लोग संगठित होकर किसान केन्द्र पर एकत्रित हुये और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाये। साथ ही उपस्थित गरीब किसानों ने अपने-अपने ढंग से प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया के सामने प्रार्थना पत्रों के साथ सभी विसंगतियों से अवगत कराया। किसान सेवा केन्द्र में अवैध कब्जा किये हुये बाहुबलियों को नजर अंदाज करते हुए लोगों ने अन्दर जाकर कमरों को खोलकर विधिवत ढंग से फोटो खिंचवाई साथ ही इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा गोदाम में रखे समान व अवैध कब्जे को कैमरे में कैद करवाया । इस प्रकार संस्थान के अथक प्रयास व चिनगारी संगठन की पैरवी के बल पर मीडिया ने इस समस्या का जमकर प्रसारण किया। इसका असर सीधा प्रशासनिक कर्मियों पर पड़ा और २६ फरवरी २००६ को डी०ए०पी० खाद, यूरिया, खादी कपड़े, दंतमंजन व बीजों का स्टाक गोदाम में आ गया। वर्तमान में न्याय पंचायत के सभी किसानों की खाद बीज की समस्या पूरी हो गयी तथा उचित लागत में किसानों की अपनी जरूरतें अपने ही गाँव में पूरी होने लगी है। आज चिनगारी के प्रयास को देखते हुए लोगों में चिनगारी संगठन सदस्य के रूप में जुड़ने की होड़ लगी है।

(१२) दबंगों के चंगुल से मुक्त हुई बुधिया

ग्राम पंचायत गोंडा कोरारी का निवासी चुन्नू एक भूमिहीन मजदूर था। खदानों पर काम करके प्राप्त मजदूरी से अपना परिवार चलाना उसके जीवन की मुख्य दिनचर्या थी। चुन्नू २६ जुलाई की प्रातः काम पर जाने के पहले अपने बड़े बच्चे को खदान पर भोजन पहुंचाने के लिए बोलकर चल दिया। पहाड़ पर चढ़कर विस्फोट करने हेतु जब वह होल (छेद) कर रहा था कि अचानक सहारा दे रही रस्सी टूट गई। वह चट्टानों से टकराता हुआ ७०-८० फिट नीचे जा गिरा। इधर भोजन लेकर उसका बेटा खदान के पास तक पहुंच चुका था। दूर से उसने देखा था कि उसका बाप छेनी हथौड़ा लिये होल कर रहा है। मन मे ऐसा विचार आया ही था कि उसके देखते ही देखते उसका पिता चट्टानों से टकराते हुए नीचे गिर गया। यह दृश्य अपनी आंखों से देखकर उसकी आवाज़ बन्द हो गयी। हफ्तो वह इस सदमें से नहीं उबर पाया। इधर खदान के मालिक को पता चला कि चुन्नू गिरकर मर चुका है। लाश उठाने के पहले ही वह कुछ पैसे लेकर चुन्नू की पत्नी के पास पहुंचे और उसको बहला-फुसलाकर कुछ ज़मीन और पैसों का लालच देकर लाश को तुरन्त जला देने के लिए राजी कर लिया। दाह संस्कार की तैयारी हो ही रही थी कि अचानक एक मजदूर चुप्पी साधे खड़े मजदूरों के बीच से निकलकर संस्थान की शाखा दामिनी समिति, शिवरामपुर पहुंचा। यहां की प्रभारी को घटना की सारी जानकारी दे तुरन्त कुछ करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा।

...इधर खदान के मालिक को पता चला कि चुन्नू गिरकर मर चुका है। लाश उठाने के पहले ही वह कुछ पैसे लेकर चुन्नू की पत्नी के पास पहुंचे और उसको बहला-फुसलाकर कुछ ज़मीन और पैसों का लालच देकर लाश को तुरन्त जला देने के लिए राजी कर लिया।

मजदूरों के बीच निरन्तर जूझने वाली, संघर्षशील संस्था के कार्यककर्ताओं ने तत्काल आपरेशन पोस्ट-भरतकूप चौकी पहुंचकर घटना की जानकारी यहां के दरोगा को दी। संस्था की प्रतिनिधि सुश्री माया स्वयं भी घटना स्थल पर जा पहुँची ताकि ठेकेदार की मनमानी रोककर एक ग़रीब को न्याय दिलाया जा सकें। वहां पहुंचकर लाश को जलाने से मना कर दिया। हमारे खिलाफ बोलने वाली यह कौन महिला आ गई? वह तमतमाकर बोला 'देखो मैडम हमारे बीच में बोलने वाली आप कोई नहीं होती हैं। हमें खुद अपने मजदूरों के प्रति पूरी चिन्ता है, आप अपना काम करिये' यही शब्द चुन्नू की पत्नी से भी उसने कहलवाया कि 'आप कौन होती हैं हमारे और मालिक के खिलाफ बोलने वाली? आप हमें क्या दे देंगी?' केन्द्रीय संस्था को इधर कुछ कार्यकर्ता घटना की जानकारी दे चुके थे। जिससे चित्रकूट के पत्रकरों को भी यह सूचना पहुँच चुकी थी । लगभग २० मिनट बाद पत्रकार जगत के लोग वहां पहुंचे, जिससे मामला और संगीन हो गया। खदान मालिक पत्रकारों के पहुंचने के पहले ही चुन्नू की पत्नी व बच्चों को लेकर गायब हो चुका था।

चिनगारी संगठन एवं स्वयं सहायता समूह की लगभग ३५ महिलाएं भरतकूप थाने पहुंचकर पुलिस विभाग व ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करने लगीं। थाने में पहले से बैठे ठेकेदार की लॉबी घटना की सफाई दे रही थी। चून्नू की पत्नी भी ठेकेदारों के स्वर में स्वर में मिलाकर ठेकेदार को निर्दोष बता रही थी। महिलाओं ने जब कहा कि तुम कैसी पत्नी हो तुम्हारे पति के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ? इस ठेकेदार ने तुम्हारे जीवन भर के सहारे को छीन लिया फिर भी तुम्हे अपना पति नहीं ठेकेदार ज्यादा प्यारा लगता है? ऐसे लोगो ने ही तो इन ठेकेदारों का मनोबल बढ़ा रखा है। क्या यह कोई पहला चुन्नू मरा है? पता नही कितने चुन्नू हवन हो गये फिर भी तुम इनके गुणगान कर रही हो? हम तो अन्याय नहीं होने देंगे, जमकर विरोध करेंगे, यहाँ से तब तक हम लोग नही हटेंगी जब तक कि चुन्नू की एफ०आई०आर० दर्ज कर उसकी लाश को विच्छेदन हेतु नहीं भेज दिया जाता।

चिनगारी संगठन एवं स्वयं सहायता समूह की लगभग ३५ महिलाएं भरतकूप थाने पहुंचकर पुलिस विभाग व ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करने लगीं। थाने में पहले से बैठे ठेकेदार की लॉबी घटना की सफाई दे रही थी।

बढ़ते दबाव को देखकर दरोगा जी को चुन्नू की घटना की रिपोर्ट लिखकर लाश विच्छेदन हेतु भेजने को मजबूर होना पड़ा । इधर सभी ठेकेदार एकजुट होकर मामले को रफा-दफा करने हेतु पूरी ताकत लगा देने में जुट गये। मजदूरों को काम पर नहीं लगाया गया। ताकि वह मजबूर होकर उनके कथनानुसार चलने लगे, उनकी बादशाहत बनी रहे। करोड़ो की कमाई आती रहे। अवैध कमाई के बलबूते निरन्तर मजदूर गुलाम होने पर मजबूर रहे।

तत्पश्चात् समिति कार्यकर्त्ता पीड़ित महिला की मानसिकता बदलने का प्रयास करते रहे । थाना भरतकूप से घटना रिपोर्ट की नकल प्राप्त करने के लिए महिला को भेजा गया, लेकिन किसी भी दशा में दबंगों के प्रभाव के कारण गरीब महिला को नकल प्राप्त नहीं हो पायी । तब समिति के कार्यकर्त्ता उस महिला को लेकर सी०ओ० और पुलिस अधीक्षक के पास गये और उनसे आदेश करवाकर नकल प्राप्त किया। नकल लेकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को अवगत कराया गया और लेखपाल द्वारा लिखित सूचना समाज कल्याण अधिकारी को दी गयी । तत्पश्चात् ३ माह के प्रयास से पीड़ित महिला को १ लाख रु० का चेक ग्रामीण कृषि दुर्घटना बीमा के आधार पर प्राप्त हुआ। (चेक नं० ०६५८५५, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक, दिनाँक १७.१०.०५) शिवरामपुर एवं भरतकूप क्षेत्र में लगभग १०० खदाने एवं ५० क्रेशर मील वैध अवैध रूप से चल रही है। यहाँ लगभग १० हजार मजदूर काम कर रहे हैं। आये दिन इसी तरह कभी क्रेशर मील तो कभी डायनामाइट में जीवन बरबाद हो रहे हैं। लोग अपंग हो रहे हैं। आजीविका का विकल्प न होने के कारण आदिवासी एवं दलित परिवारों की यहाँ पर काम करने की विवशता हो गयी है। यह एक छोटा सा प्रयास था जिसमे समय पर सूचना मिलने के कारण सामाजिक हस्तक्षेप से कुछ सफलता मिल पाई परन्तु ६५ प्रतिशत मामलों को प्रायः रफा-दफा कर इतिश्री समझ ली जाती है। सरकारी स्थल पर जानते समझते हुए भी कोई पहल नहीं होती है।

●●●

(१३) निरन्तर पहल से श्रमिको को मिला हक़

मानिकपुर ब्लाक से १० किमी० दूर पूर्व दिशा में ऊँचाडीह ग्राम पंचायत है जिसमें अवगनी, अमरपुर, गढ़वा, चौर, टिकुरी आदि गाँव शामिल हैं । इन मजरों के अन्तर्गत कई जाति के लोग निवास करते हैं जैसे ब्राम्हण १६० परिवार, ठाकुर ७५ परिवार, गुप्ता ३६ परिवार, श्रीवास्तव १ परिवार, आरख २७ परिवार, नाई १५ परिवार, लोहार १० परिवार, गडरिया २७ परिवार, पटेल १० परिवार, कोल परिवार ४८३, धोबी १५ परिवार, २० परिवार कोरी, ३५ परिवार चमार और ३० परिवार डोमार है ।

वर्ष २००३ व २००४ में इस क्षेत्र में सूखा पड़ने के कारण गाँव की स्थिति बिगड़ने लगी । गाँव में अनाज के एक-एक दाने के लाले पड़ गये । लोग-बाग रोज़गार की खोज में इधर-उधर भटकने लगे तब इस गाँव से पलायन रोकने व लोगों के भोजन की व्यवस्था करने हेतु पंचायत द्वारा 'काम के बदले अनाज योजना' का कार्य प्रारम्भ हुआ । जिसमे अमरपुरवा से लेकर ऊँचाडीह सेंचुरी गेट तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ इसमें लगभग १०० मजदूरों ने जनवरी २००४ में कार्य किया। सड़क निर्माण कार्य लगभग एक माह चला। जिसमें मजदूरों की मजदूरी रोक दी गयी । जब मजदूर अपनी मजदूरी मांगते तो उन्हें असामाजिक तत्वों का भय दिखाकर चुप करा दिया जाता था । लोगों की खेती-बाड़ी सब कुछ खत्म होने के बाद इस योजना के तहत जब काम मिला तो लोगों में आशा की एक किरण जगी, परन्तु जब उनकी मजदूरी को इस तरह दबा लिया गया, तब उनके जीने का एक मात्र आधार भी चला गया। मजूदर बुरी तरह से हताश-निराश थे, उनके हाथ में कुछ भी न था। ५ माह बाद पाठा कोल विकास समिति के एक शिविर में सभी मजरों के महिला-पुरुषों द्वारा बताया गया कि हमारे ग्राम पंचायत ऊँचाडीह में कच्ची सड़क में मिट्टी डलवाने का कार्य ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया था जबकि कार्य समाप्त हुये आज से लगभग ५ माह पूरा हो गया है। फिर भी मजदूरी प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा नहीं दी गयी है। जब भी मजदूरी मांगने ग्राम प्रधान के पास जाते है तो प्रधान कहता है कि आप लोग मुझसे मजदूरी मत माँगों सीधे आप लोग सचिव के पास जाओ और सचिव ही आप सबको मजदूरी देगा। जब इस जानकारी का ठीक-ठीक पता चला कि वास्तव में यहाँ लोगो की मजदूरी शेष पड़ी है तो ऊँचाडीह गांव में जाकर समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में लोगो को बताया गया कि समस्या आप लोगो की है इसलिए अपनी समस्या का समाधान पाने हेतु आप लोगो को आगे आना पडेगा तभी आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। अगर आप लोग स्वयं अपनी समस्या लेकर सामने नहीं आयेगें, तो आपकी समस्या का समाधान संभव नहीं होगा। इसी बैठक में सामाजिक उत्प्रेरण के अन्य जगहों के मामलों एवं उनमें मिली सफलताओं को रखा गया। जन पैरवी में पहल एवं प्रयास निरन्तरता

...इसमें लगभग १०० मजदूरों ने जनवरी २००४ में कार्य किया। सड़क निर्माण कार्य लगभग एक माह चला। जिसमें मजदूरों की मजदूरी रोक दी गयी। जब मजदूर अपनी मजदूरी मांगते तो उन्हें असामाजिक तत्वों का भय दिखाकर चुप करा दिया जाता था।

लोगों की खेती-बाड़ी सब कुछ खत्म होने के बाद इस योजना के तहत जब काम मिला तो लोगों में आशा की एक किरण जगी, परन्तु जब उनकी मजदूरी को इस तरह दबा लिया गया, तब उनके जीने का एक मात्र आधार भी चला गया।

बैठक में लोगो को बताया गया कि समस्या आप लोगो की है। इसलिए अपनी समस्या का समाधान पाने हेतु आप लोगो को आगे आना पडेगा तभी आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है । अगर आप लोग स्वयं अपनी समस्या लेकर सामने नहीं आओगे तो आपकी समस्या का समाधान नही मिल पायेगा ।

पूर्वक होने चाहिए, जब-जब हम निरन्तरता में कमी लाते हैं, उदासीनता या लापरवाही के शिकार होते हैं, सफलता हमसे उतनी ही दूर होती जाती है। उदाहरण के रूप में बताया गया कि जन पैरवी एक ग्रामीण कहावत की तरह है :-

"पान क्यों सड़ा, क्योंकि फेरा न गया।
रोटी क्यों जली, क्योंकि फेरी न गयी।।" ठीक इसी तरह सामाजिक भाषा में अगर फालोअप नहीं किया जाता है तो पैरवी में सफलता की दर उतनी ही कम होती जाती है। हमें इस मामले में भी सफलता हेतु पैरवी निरन्तरता पूर्वक करनी होगी।

इस सामाजिक उत्प्रेरक की बैठक के बाद श्रमिकों को नयी ऊर्जा मिली। उन्होंने अपनी मजदूरी हेतु नयी रणनीति एवं निरन्तरतापूर्वक पैरवी का संकल्प लिया।

दिनाँक ४ अप्रैल, २००५ को जिलाधिकारी से आकर मिलने का प्रयास श्रमिकों ने किया परन्तु बाहर होने के कारण अपनी अर्जी एवं व्यथा-कथा जिलाधिकारी से नहीं कह पाये, उपजिलाधिकारी महोदय तक अपनी आवाज अवश्य पहुँचायी। इस दौरान लगातार प्रार्थना पत्रों का रिमाण्डर शासन-प्रशासन को भेजा गया।

दिनाँक ६ जुलाई, २००५ को पुनः कर्वी इस आशय से एवं संकल्प के साथ आये कि इस बार जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपनी समस्या रखेगें और न्याय न मिलने तक क्रमिक अनशन में बैठेगे। इस बार का आना सफल रहा। समस्यायें भी कही गयी और समाधान भी मिला।

दिनाँक १३ जुलाई, २००५ को मानिकपुर विकास खण्ड में १०० श्रमिकों को उनकी मजदूरी का हक १०० कुण्टल गेहूँ प्राप्त हुआ।

●●●

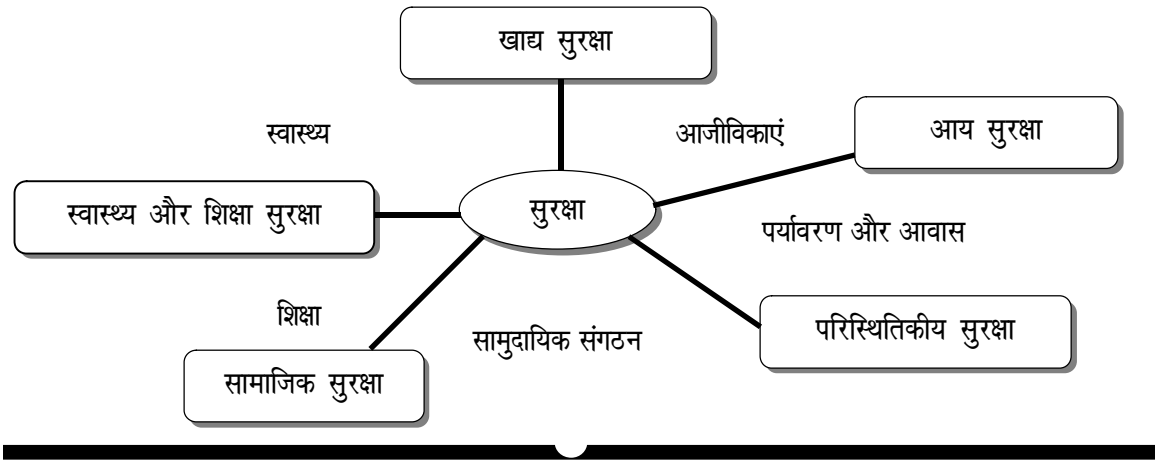

"This document is output from a project funded by the Department for International Development (DFID), U.K. for the benefet of the developing conutries. The views expressed are not necessarily those of the Management Consultant or Department for International Development (DFID), U.K."

(१४) मजदूर की अपनी लड़ाई अपनी जीत

काजीपुर के गरीब मजदूरों ने जब संगठन की शक्ति को पहचाना तब संगठित प्रयासों के बल पर अपने हक़ की लड़ाई लड़ी और अपने बकाया मजदूरी को पाया । बरईमानपुर न्याय पंचायत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत काजीपुर केन किनारे बसा हुआ है। इस ग्राम पंचायत में मडैयन, नई दुनिया, मुरादाबाद क्योटरा आदि मजरा है। इस ग्राम पंचायत की कुल आबादी ११७७० है। ब्राम्हण, साहू, जमादार, कोरी, केवट आदि जातियां निवास कर रही है। इस ग्राम पंचायत में केवट जाति के ७५ प्रतिशत लोग निवास कर रहे हैं। कोरी और केवट जाति के लोगों की जीविका का मुख्य आधार मजदूरी, कृषि व लकड़ी आस-पास के गाँवों में बेंचने का कार्य महिलायें करती है। शिक्षा के क्षेत्र में यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा है । कोरी व केवट विरादरी के लोग अशिक्षित व अनपढ़ होने के कारण दबंगों व सरकारी कार्यों के ठेकेदारों द्वारा समय-समय पर ठगे जाते हैं। गरीब मजदूरों की प्रतिवर्ष लाखों रुपये की मजदूरी जागरूक न होने के कारण हड़प ली जाती है। इन समस्याओं को ध्यान में रखकर इन गरीब परिवारों के बीच में कृष्णार्पित सेवाश्रम द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाकर लक्ष्य समूह के परिवारों के बीच सघन रिश्ता कायम कर विश्वास स्थापित किया। क्योंकि ये लोग दबंगों के बीच फंस कर उनका विश्वास ज्यादा मानते थे । सघन रिश्ता स्थापित होने के बाद उनको समस्याओं के प्रति संगठित कर आत्मविश्वास पैदा किया। जे०ई० श्यामबाबू चौकी तालाब काजीपुर की लगभग २५० मजदूरों की ३२ कु० मजदूरी दिनाँक ७.५.०४ को हड़प ली गयी। जिस पर प्रार्थना पत्र लिख करके संबंधित अधिकारियों को भेजा गया। दिनाँक ६.६.०४ को मीडिया में प्रकाशित हुआ। दिनाँक १३.६.०४ को पुनः रिमाइंडर पत्र, पत्र कतरन के साथ भेजा गया जिसके परिणाम स्वरूप जे०ई० पर प्रशासन द्वारा बनाया गया । १५.६.०४ को श्यामबाबू गुप्ता जे०ई० द्वारा हड़पा गया गेहूँ मजदूरों के गाँव में आकर वितरित किया गया। इस घटना से लक्ष्य समूह के बीच विश्वास बढ़ा। इस घटना के पश्चात काजीपुर के केवट व कोरी विरादरी के मजदूरों ने गिरवां ग्राम पंचायत में मजदूरी का कार्य दिसम्बर २००४ में गिरवा पूर्वी छोर के नब्बी के दरवाजे से बांदा राजमार्ग तक मिट्टी का कार्य जिला परिषद के ठेकेदार मातादीन यादव व गुड्डू द्वारा करवाया गया। कार्य होने के पश्चात मजदूरों का लगभग ५०,००० रुपये की मजदूरी का भुगतान तीन माह से नहीं किया जा रहा था। जिस पर आश्रम के कार्यकर्ता विनोद सिंह द्वारा २०.२.०४ को प्रार्थना पत्र लिखने में सहयोग किया

काजीपुर का संघर्ष

- **२५० मजदूरों की ३२ कु० मजदूरी जे.ई. श्यामबाबू द्वारा हड़प ली गई**
- **मजदूरों द्वारा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र - ७ मई, ०४**
- **समस्याओं का मीडिया में प्रकाशन - ९ सितम्बर, ०४**
- **प्रशासन को पुनः रिमाइण्डर पत्र - १३ सितम्बर, ०४**
- **जे.ई. द्वारा मजदूरों की हड़पी हुई मजदूरी वितरित की गई- १५ सितम्बर, ०४**

गिरवां का संघर्ष

- रु० ५०,००० की मजदूरी ठेकेदार द्वारा हड़प ली गई।
- मजदूरों द्वारा बी०डी०ओ० महुआ व सी०डी०ओ० बांदा को प्रार्थना पत्र - २० फरवरी, ०४
- रिमाइण्डर पत्र भेजा गया
- पत्रकार भ्रमण - १ मार्च, ०५
- समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशन - २ मार्च, ०५
- पत्र कतरन के साथ प्रार्थना पत्र भेजा गया
- जिलाधिकारी को ज्ञापन - ४ मार्च, ०५
- ई०टी० वी० व प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन - ५ मार्च, ०५
- मजदूरों को मजदूरी रुपये ५०,०००/- मिली अप्रैल, ०५

व बी०डी०ओ० महुआ, सी०डी०ओ० बांदा को प्रार्थना पत्र भेजा इसके पश्चात रिमाइण्डर पत्र भेजे गये व २ मार्च २००५ को श्री इण्डिया में समस्या का प्रकाशन किया गया व पत्र कतरन, प्रार्थना पत्र के साथ प्रशासन को भेजा गया। अभी प्रशासन थोड़ा दबाव में आया ही था कि ४ मार्च को मजदूरों ने संगठित होकर संस्था कार्यकर्ता के साथ जिलाधिकारी बांदा को ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया। ई०टी०वी० व प्रमुख समाचार पत्रों में समस्या का प्रकाशन हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप अप्रैल, २००५ को अवशेष मजदूरी का भुगतान करने के लिये ठेकेदारों को बाध्य होना पड़ा। इस घटना से मजदूरों में आत्मविश्वास बढ़ा लक्ष्य समुदाय व परियोजना के प्रति रिश्तों में मजबूती आयी। मजदूरों में संगठन का भाव बढ़ा व उनकी पैरवी जिला स्तर पर होने लगी। सरकारी तंत्र संवेदित हुआ व दबाव बना।

इस तरह के प्रयासों से संस्था के संगठनात्मक ढांचा में मजबूती आयी व लक्ष्य समूह दबंगों का विश्वास न मानकर संस्था कार्यकर्ताओं का विश्वास मानने लगा है। इस प्रयास से गरीबों का शोषण रुका अब मजदूर अपनी समस्याओं पर संगठित होकर पहल करने लगे हैं। ●●●

(१५) सरकारी कागजों में मृत सोना ने ज़मीन हासिल की

दबंगों द्वारा गरीबों की जमीन हड़पने का एक यह भी तरीका है कि उन गरीबों को सरकारी कागजों पर मृत दिखाकर उनकी जमीन अपने नाम ट्रांसफर करा लेते हैं। यह कहानी नहीं बल्कि सत्य कथा है, नरैनी क्षेत्र के ग्राम-पंचायत बिल्हरका के मजरा रानीपुर निवासी सोना की। सोना अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है इनके दो पुत्र व दो पुत्रियाँ हैं। आज से ३ वर्ष पूर्व सोना के नाम पट्टा किया गया था किन्तु गरीब सोना अपनी जमीन को देख तक नही पाया कि उसे दंबगों द्वारा मृत दर्शाकर सोना की १६ बीघे जमीन हड़प ली गयी । यह बात जब परागीलाल विद्याधाम समिति के कार्यकर्ताओं को मिली तो समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों से समय लेकर रानीपुर गाँव पहुँचे। वहाँ पहाड़ की कंदराओं से सोना निकल कर खड़ा हुआ और कहने लगा आप लोग मुझे भूत न समझे मैं जिन्दा हूँ। यह कहकर रोते-रोते अपनी व्यथा मीड़िया के लोगों से सुनाई है। सोना की करुण कहानी सुनकर मौके पर पहुँचे समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों ने इस खबर को अपने सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया। खबर छपते ही प्रशासन हरकत में आया और इस प्रकरण की जांच पड़ताल उपजिलाधिकारी नरैनी को सौंपी गयी। तत्पष्चात् एस०डी०एम० महोदय द्वारा अभिलेखों के अनुसार तत्कालीन लेखपाल को गाटा संख्या ६०११ रकबा तीन बीघा १६ विस्वा व गाटा संख्या १३० रकबा १ बीघा कुल ४ बीघा जमीन नापने के आदेश किये गये। तब लेखपाल महोदय द्वारा ४ बीघे जमीन नापकर दे दी गयी। इसके बाद पैरवी करने पर उपजिलाधिकारी नरैनी द्वारा आश्वासन दिया गया कि तत्काल प्रभाव से आगे की कार्यवाही जारी है। अभिलेखों की सत्यता की जांच करवा करके सोना की पूरी की पूरी जमीन नापकर दी गयी।

●●●

(१६) क्षय रोग पर पायी विजय

नरैनी क्षेत्र के बोड़ेपुरवा गाँव में दो जून के निवाला के लिए भटक रहे छिद्दू, विजय एवं छन्नी मीडिया, स्वैच्छिक जगत व प्रशासन के प्रयासों से हुई अपनी प्राणरक्षा पर सामाजिक कृतज्ञता प्रकट करते ही भावुक हो उठते हैं। लोकतान्त्रिक सामन्ती व्यवस्था की मझधार में फँसे इन परिवारों की गरीबी इन्हें रोटी के एक-एक टुकडे के लिए परेशान किये थी। जमीनों में दबंगों ने कब्जा कर रखा था । क्षय रोग से ग्रसित छिद्दू, विजय एवं छन्नू के घर में न तो दवा के लिए एक कौड़ी थी और न ही भोजन के लिए एक दाना। गाँव के इस सच को देख परागीलाल विद्याधाम समिति के कार्यकर्ताओं ने इस सभी परिवारों की समस्याओं को तथ्यांकित किया, मीडिया से सम्पर्क कर सामाजिक सरोकार के लिए समर्पित मण्डल के ऊर्जावान पत्रकारों की एक टीम को लेकर गाँव पहुँचे, पत्रकारों ने भी इस सच्चाई को देखा और अपनी धारदार लेखनी से समस्याओं को प्रकाशित किया। समस्याओं का समाचार पत्रों में प्रकाशन होते ही प्रशासन की निद्रा खुली और प्रशासन भी इनके प्राणों की रक्षा को अपना दायित्व समझ राहत के प्रयास प्रारम्भ किया । आनन-फानन इनकी जमीनें नापकर दी गयी । भोजन हेतु गेहूँ, चावल, कपड़े, साबुन पहुँचा दिये गये । साथ ही स्वास्थ्य टीम भी गाँव में पहुँच विधिवत स्वास्थ्य परीक्षण किया और क्षय रोग से ग्रसित छन्नू, छिद्दू, विजय का रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबर क्लोसिस कन्ट्रोल प्रोग्राम से डिस्टिक टी०वी० कन्ट्रोल सोसाइटी बाँदा द्वारा उपचार शुरू हो गया। नियमित रूप से हुए इलाज में अब ये तीनों व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ्य हो गये हैं । छिद्दू, विजय, छन्नू आश्रुपूरित हो अपना अतीत बताते हैं कि भइया जब घर में खाने का एक दाना नहीं था तो दवा कैसे कराते। यदि मीडिया और संस्था के लोग न होते तो अब तक हमारी जीवन लीला समाप्त हो गयी होती।

गाँव के इस सच को देख परागीलाल विद्याधाम समिति के कार्यकर्ताओं ने इस सभी परिवारों की समस्याओं को तत्थ्यांकित किया, मीडिया से सम्पर्क कर सामाजिक सरोकार के लिए समर्पित मण्डल के ऊर्जावान पत्रकारों की एक टीम को लेकर गाँव पहुँचे, पत्रकारों ने भी इस सच्चाई को देखा और अपनी धारदार लेखनी से समस्याओं को प्रकाशित किया।

नियमित रूप से हुए इलाज में अब ये तीनों व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ्य हो गये हैं । छिद्दू, विजय, छन्नू आश्रुपूरित हो अपना अतीत बताते हैं कि भइया जब घर में खाने का एक दाना नहीं था तो दवा कैसे कराते । यदि मीडिया और संस्था के लोग न होते तो अब तक हमारी जीवन लीला समाप्त हो गयी होती ।

मीडिया ने दी तीन ग्रामीणों को नई जिंदगी

श्री इंडिया संवाद

बाँदा, ९ अक्टूबर। बीमारी और भूख से बेहाल एक-एक दाने को मोहताज बोड़ेपुरवा के तीन ग्रामीण अब स्वस्थ्य है। मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे है। इस बदलाव के लिए तीनों ग्रामीण मीडिया के शुक्रगुजार है वे कहते है कि अगर पत्रकारों ने हमारी सुध न ली होती तो न जाने कब हम मर खप गये होते।

नरैनी तहसील अंतर्गत बोड़े पुरवा गांव मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा है। इस गांव में केन नदी की बाढ़ कई बार तबाही मचा चुकी है इसीलिए गांव के लोग बाढ़ से तबाह हो चुके है। गांव के किसानों के पास थोड़ी बहुत जमीन है इस जमीन पर दबंग काबिज है जिससे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेहनत मजदूरी करने वाले पलायन कर जाते है और आठ महीने बाद यानि बरसात में वापस आते है। इसी गांव के विजय कुमार, छेदू और मंहगू पिछले एक वर्ष से बीमार थे। विजय को [illegible] हो गयी थी जिससे वह न तो बच्चों का पेट पाल पा रहा था और न अपना उपचार करा पा रहा था। इसके घर में कभी-कभी हफ्तो चूल्हा नहीं जलता था। भूख से व्याकुल बच्चे पास पड़ोस से रोटी का टुकड़ा मांगकर ले आते और किसी तरह पेट की आग शांत करते थे। विजय बीमारी के चलते अंदर ही अंदर टूट गया था। यही हाल छेदू और मंहगू का भी हुआ। इनके रिश्तेदार भी इसी गांव में रहते है लेकिन कितने दिन इन्हें लोग खिलाते। अगर कोई रिश्तेदार खाना दे गया तो खा लिया अन्यथा पानी पीकर ही सो जाते। भूख से बेहाल तीनों ग्रामीण कभी-कभी गांव के लोगों के यहां चले जाते और मांग-मांग कर जिंदा रहने की कोशिश करते लेकिन रोज-रोज मांगने आने से तंग ग्रामीण उन्हें अपने दरवाजे से कभी-कभी दुत्कार कर भगा देते थे। ऐसी स्थिति में इन तीनों की हालत दयनीय हो गयी।

खबर रंग लाई

खबर पाकर प्रेस टीम जून के महीने में इस गांव में पहुंची। पीड़ित परिवार का दर्द अपनी आंखों से देखा। टीम के साथ गये परागीलाल विद्याधाम समिति के सचिव राजा भैय्या अपने साथ गेहूं भी ले गये थे उन्होंने पीड़ित परिवारों को गेहूं बांटा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रेस टीम ने लौटने के बाद इन तीनों ग्रामीणों की दास्तान को प्रमुखता से छापा। सूचना मिलते ही प्रशासन की कुंभकरणी नींद टूटी। सम्बन्धित अधिकारी मौके पर भेजे गये खाने-पीने का सामान अनाज आटा इत्यादि मुहैय्या कराया गया और लगातार तीन महीने तक उनका उपचार कराया गया। प्रेस टीम जब उस गांव में दोबारा पहुंची तो वह भले चंगे मिले। उन्होंने भावविभोर होकर कहा कि आप लोगों ने हमारी जान बचा ली, अगर आप लोग यहां न आते तो प्रशासन हमारी तरफ कभी नहीं देखता और हम लोग न जाने कब मौत के मुंह में समा जाते।

●●●

Akhil Bhartiya Samaj Sewa Sansthan (absss) Chitrakoot(u.p.)

Philosophy of ABSSS - ABSSS believes in ***Rachna*** (Creation) and ***Sangharsh*** (Non-Violence Struggle) to empower the most marginalised and exploited sections. Hence, ***"Antya Ka Uday"*** – Rise of the last has been the core developmental value statement of ABSSS by reflecting its meaning in all developmental interventions and initiatives to build a society where adivasis, dalits and women get equal opportunity (socially, economically and culturally) to live and work with dignity.

Vision of ABSSS- Our Vision is "to see a prosperous society where all have equality, access to social justice and opportunities for better livelihood."

Mission of ABSSS - "Advocacy and lobbying for the rights of adivasis and dalits and strengthen local institutions in the Bundelkhand Region to ensure self empowerment for Sustainable Development."

Goals and Strategies of the ABSSS

Goal 1 :To improve accessibility of tribal and dalits children and youth to basic education and livelihood skills respectively

Strategies

- *Support early age (FE, NFE) and adult education based on local environment and culture;*
- *Promote education based on human values, social cohesion and local culture;*
- *To widen the range of knowledge and understanding of the social, economic and political system in order to create a critical awareness about the environment;*
- *Increase employment generation skills and options among youths.*

Goal 2 :To minimise gender inequality and undertake proactive women empowerment initiatives

Strategies

- Effective redressal mechanism on women exploitation and atrocities against women;
- Promotion and strengthening of grassroots level women's organisations and networks to take up inequality and empowerment related issues;
- Increased participation of women in Gram Sabhas and PRIs;
- Increased access by women to easy credit for creation of productive assets and income generation opportunities;
- Increased access by women to basic health support services.
- To improve the health status of women and children of dalit, tribals and backward communities
- To ensure that people have access to better health, education and sanitation in villages.

Goal 3 : To improve the socio- economic and political conditions of the tribal and dalits and facilitate them to have increased control over natural resources and its optimal utilisation

Strategies

- Land and water resource management & development;
- Improve rain-water harvesting and percolation for improving agricultural productivity;
- Promotion of agro-based support services;
- Value addition to local natural resources and marketing options;
- Improve scope for inform income generating activities;

Goal 4 :To improve community participation in local planning and strengthen of PRIs for increased access to and use of developmental resources;

Strategies

- *Capacity building of Gram Sabhas and PRIs;*
- *Strengthening of Gram Sabha members for their active participation and decision-making in local governance process;*
- *Promotion of community managed village development information centres;*
- *Information dissemination on power of Gram Sabha and their role in mobilising resources for local area development.*

Goal 5 : To strengthen the civil society and improve their access over information and opportunities

Strategies -

- Strengthening of individuals, CBOs and networks to act as catalyst and pressure groups;
- Strengthening of local cadres and volunteers to identify and find solutions to address local problems effectively;

Goal 6: To promote and undertake necessary actions for protecting social justice and fundamental rights among tribal and dalits

Strategies -

- Situation assessment and documentation of ground realities to highlight violation and denial of social justice and fundamental rights;
- Network with local civil society institutions and strengthen alliance to identity issues in relation to human rights violations;
- Interface and exchange of information between the target groups and the government machinery;
- Public hearings between the effected families and concerned administration;
- Issue based campaign and lobbying at both micro and micro level for redressal;
- Highlighting of issues by using local media and various other mediums; and
- Legal support and facilitation to effected families in the form of taking up both individual and common cases with judiciary.

Goal 7 :To create a sustainable environment by influencing public policy at state level on pro-poor livelihood and human rights issues

Strategies

- Promotion of a human rights resource centre to act as human rights violation watch-dog and support centre;
- Awareness building and sensitisation among tribal and dalits about their fundamental right to livelihood;
- Issue based advocacy and lobbying of issues with government bureaucrats and legislative members;
- Policy advocacy to influence government policies on common issues;
- Public interest Litigations to draw attention of the judiciary for giving legal direction to concerned government machinery for action and policy change;
- Workshops and seminars on pro-poor livelihood support and human rights related issues in regular interval ;

Developmental Priorities - ABSSS has the following three development priorities that are core to its intervention process and on which other programme-wise thematic intervention issues are based to address widespread poverty and deprivation that is rampant in the targeted programme locations :

- Improvement and upliftment of Tribals & Dalits in the materials situation such as provision for minimum livelihood opportunities; opportunities for culturally sound and value based education; provision for basic health support & improved environment
- Human rights protection, advocacy & legal support to reduce social imbalance and inequality among tribal and dalits;
- Networking with like-minded civil society groups and make them proactive in addressing human rights and rural entitlement issues in Bundelkhand region;

Strategic Issues

- Developing of a long-term perspective action plan on Bundelkhand region in relation to livelihood issues, education, healthcare, sustainable agriculture, natural resource management, poverty, social exclusion and deprivation among tribals and dalits;
- Masco and Macro level Policy advocacy and intervention in relation violation of basic rights among tribal;
- Strengthening the local cadres, social entrepreneurs among dalits and tribal; and
- Networking with local civil society organisations and concerned citizens for identification critical iissues to undertake joint actions with object oriented focused programme interventions.